खण्ड-308, अंक-10
सोमवार, 17 आषाढ़, शक संवत् 1896
(8 जुलाई, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 308 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 8 जुलाई, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 346

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां)
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री

का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर, श्री
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप , श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री

गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह, मेहरा श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया--जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा०
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीचि सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुररहमान, श्री
फरजन्द अली, श्री

बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बंचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम , श्री
भृगुनाथ, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगर सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब ,श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद, गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री

राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजीलाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति विन्द एडवोकेट (जिला वाराणसी)
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार , चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुल रहमान, बर्क
शन्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री

सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश चन्द्र खण्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोटः—लघु उद्योग मन्त्री श्री इस्तफा हुसेन भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 8 जुलाई, 1974

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

श्री पी०एन० कपूर, कमिश्नर, मेरठ के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

**श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व कमिश्नर मेरठ (श्री कपूर) के भ्रष्टाचारों की जांच सरकार ने सतर्कता विभाग से कराई ? यदि हां, तो आरोप क्या थे और सतर्कता विभाग के अधिकारियों की जांच से क्या-क्या आरोप सिद्ध हुए ? सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की तो क्यों ?

श्रम मन्त्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

जी हां । श्री पी० एन० कपूर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अपने पद का दुरुपयोग करने से सम्बन्धित आरोपों पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराई गई । उनके विरुद्ध मुख्य आरोप अपने निकट सम्बन्धियों के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने, अपने पुत्र तथा बहन को चूना-पत्थर की खान का पट्टा स्वीकृत कराने, उक्त खान के लिए यातायात की अनुचित सुविधा उपलब्ध कराने तथा बिना शासन की अनुमति लिए अपने पुत्र तथा बहन की फर्म में पूंजी लगाने से सम्बन्धित थे । सतर्कता अधिष्ठान की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत उक्त आरोपों पर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया है, जो शासन के विचाराधीन है ।

श्री मंजूर अहमद—

क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आरोप क्या थे और किस तारीख को जांच के आदेश हुए ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता दिए कि आरोप क्या-क्या थे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

उत्तर में यह बताया गया कि उन आरोपों की विजिलेंस विभाग द्वारा जांच हुई। क्या अन्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा भी जांच हुई ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

विजिलेंस विभाग द्वारा जांच हुई।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

शासन के पास विजिलेंस की रिपोर्ट कब आई ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जो रिपोर्ट आई है उसकी तारीख ठीक नहीं बतलाई जा सकती लेकिन जांच की कार्यवाही बहुत लम्बी है। उस रिपोर्ट के आधार पर एक स्पष्टीकरण मांगा गया। वह भी उन्होंने दे दिया है। सतर्कता आयोग की रिपोर्ट है कि खुली जांच की जाय और उसके लिए भी आदेश दे दिए गए हैं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

कब से रिपोर्ट विचाराधीन है, कब उस पर विचार समाप्त हो जायगा और उनके खिलाफ कार्यवाही कब होगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

भारत सरकार के माध्यम से उनको लिखा गया। जवाब आ गया है और जल्दी ही उस पर विचार हो जायगा। इस निर्णय के अलावा सतर्कता अधिष्ठान ने लिया, यह भी कहा कि खुली जांच कराई जाय। उसके आदेश जारी हो चुके हैं।

श्री मधुकर दिघे--

मेरा सवाल है कि कब से विचार हो रहा है और कब समाप्त हो जायगा जबकि उत्तर यह दिया कि फिर जांच जारी है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

सतर्कता अधिष्ठान ने कहा कि जांच के बहुत से आरोप सही पाये गये। उसने यह भी कहा कि खुली जांच कराई जाय। इस बीच में जो स्पष्टीकरण मांगा गया वह भी आ गया जो उनके विचाराधीन है। लेकिन खुली जांच हो रही है।

श्री मंजूर अहमद--

उनको सस्पेंड कर दिया गया या नहीं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जी नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मन्त्री जी ने कहा कि विजिलेंस से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें कुछ शिकायतों को विजिलेंस ने सही माना है। मेरा प्रश्न है कि जो शिकायतें सही मानी गयीं वे क्या शिकायत हैं और क्या उनके आधार पर इस अधिकारी को सस्पेंड किया जा सकता है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

आरोप जो हैं उनको मैं एक-एक करके पढ़कर सुना दे देता हूं और जो निर्णय लिया गया है उसे भी पढ़े देता हूं:--

आरोप	जांच का परिणाम
1--श्री पी० एन० कपूर ने अपने पद का दुरुपयोग करके ग्राम लड़वाकोट, जिला देहरादून में अपने पुत्र श्री अरविन्द कुमार तथा बहन कुमारी कुन्ती के नाम चूने तथा पत्थरों की खदान का पट्टा स्वीकृत कराया ।	श्री कपूर ने अपने पुत्र श्री अरविन्द कुमार तथा बहन कुमारी कुन्ता फर्म में माडर्न मिनरल्स एवं केमिकल इंडस्ट्रीज के नाम लड़वाकोट, क्षेत्र (जिला देहरादन) में चूना तथा पत्थर की खदान का पट्टा स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में अधीनस्थ कर्मचारियों पर प्रभाव डाला और इस प्रकार पद का दुरुपयोग करके अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली, 1968 और नियम 3 सब क्लाज (1) के उल्लंघन के दोषी पाये गये ।
2--श्री कपूर ने अपने निकट सम्बन्धियों को लडुवाकोट जिला देहरादून स्थित चूने तथा पत्थर की खदान से यातायात सुविधा दिलाने हेतु श्री हरीश चन्द्र ठेकेदार पर अनुचित दबाव डाला ।	2--श्री कपूर अपने कर्मचारियों को 18 हजार रुपये की धनराशि 15 प्रतिशत बयान पर उधार देकर अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 14 (4) (1) (बी) के उल्लंघन के दोषी पाये गये ।
	3--श्री कपूर मार्डन मिनरल्स ऐण्ड केमिकल फर्म के व्यवसाय में अपने निकट सम्बन्धियों के माध्यम से बिना शासन की अनुमति के व्यवसाय में धन लगाने पर अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 113 (1) के उल्लंघन के दोषी पाये गये ।
2--श्री कपूर ने अपने निकट सम्बन्धियों की फर्म मार्डन मिनरल्स एन्ड केमिकल्स को अनुचित ढंग से यातायात की सुविधा दिलाने हेतु अधिकारियों और सम्बन्धित ठेकेदार पर दबाव डालकर अपने पद के दुरुपयोग में अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 3 (1) के उल्लंघन के दोषी पाये गये ।	
3--श्री पी० एन० कपूर ने अपने पद का अनुचित प्रभाव डालकर ग्राम जस्सूवाला जिला देहरादून में लगभग सत्तर बीघा भूमि (फार्म) सस्ते मूल्य पर क्रय की और उक्त फार्म के लिए सहसपुर विकास खंड से नवीनतम जाति का गेहूं का बीज अनुचित ढंग से प्राप्त किया ।	3--यद्यपि श्री पी० एन० कपूर के विरुद्ध सस्ते दाम पर अपने पुत्र के लिए ग्राम जस्सूवाला में जमीन खरीदने के मामले में कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है, उन्होंने बनामा होने के पूर्व ही क्रय की गई भूमि पर फसल उगाकर लाभ उठाया जिससे उनका आचरण संदिग्ध प्रतीत होता है ।

आरोप	जांच का परिणाम
4--श्री कपूर ने अपनी शादी की रजत जयन्ती तथा अपने पुत्र की मंगनी का उत्सव मनाया जिसमें मेरठ मंडल के अधिकारियों, व्यवसाइयों, परिवहन कम्पनी के मालिकों तथा अन्य नागरिकों को भारी संख्या में आमन्त्रित किया और उनसे उपहार भी स्वीकार किये ।	4--सिद्ध नहीं हुआ ।
5--श्री कपूर ने मेरठ के अपने कार्यकाल में अधिकतर ऐसे ही व्यक्तियों को मोटर परमिट दिए जिन्होंने उन्हें घूस दी अथवा सुरा सुन्दरी का प्रबन्ध किया ।	5--केवल दो व्यक्तियों ने घूस देने का समर्थन किया जब कि उनके द्वारा बताये गय साक्षियों ने जांच में इसका खंडन किया । सर्व-श्री भूपेन्द्र कोहली तथा मोहिन्दर सिंह को परमिट दिए जाने का औचित्य नहीं पाया गया । श्री कोहली श्री कपूर के पुत्र के व्यवसायिक सम्बन्धी पाये गये इन दोनों व्यक्तियों को परमिट दिए जाने में आर०टी० ए० की नीति तथा निर्देशों का पालन नहीं हुआ जिससे श्री कपूर का आचरण संदिग्ध प्रतीत होता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, क्या ये आरोप किसी अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए नाकाफी थे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, हर आई० ए० एस० अलग नियमावली से गवर्न होता है । उसके सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा गया है । अभी तो यह अन्तरिम जांच है, खुली जांच के बाद आगे कार्यवाही होगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो खदान उन्होंने अपने लड़के और बहन को दिलवाये हैं, उससे पेश्तर वन विभाग और सिंचाई विभाग ने इन खदानों को किन्हीं प्राइवेट व्यक्तियों के लिए नामंजूर कर चुके थे और यह नोटिस आने पर ही उन्होंने यह कार्यवाही की है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

इसके पहले की जानकारी नहीं है लेकिन यह चीज स्पष्ट है कि अनुचित प्रभाव डालकर ही उन्होंने खदानों से सम्बन्ध कराया ।

श्री मंजूर अहमद--

मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने कमिश्नर के दबाव में आने से अनुचित काम किया, उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि जब कोई आदमी किसी अधिकारी के मातहत होता है तो वह जो कार्य करता है वह दबाव में आकर करता है । जिसने स्वतः कोई ऐसा कार्य न किया हो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या कपूर साहब के अपने पद पर रहने से इन्क्वायरी में कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा अगर इनको सस्पेंड न किया गया तो ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

मान्यवर, प्रश्न इसलिये नहीं उठता कि उन्हीं के रहते हुये सारी चीजें हुई हैं। बल्कि हम सतर्कता विभाग को बधाई देंगे कि उसने पब्लिक कम्प्लेंट के पहले ही इन्फारमेशन गैदर कर ली थी कि उनके बारे में ये-ये शिकायतें हैं, लिहाजा जांच कर ली जाय।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

जो अपने भारत सरकार को लिखकर भेजा है क्या उसमें आपने यह मांग की है इनके खिलाफ ये-ये आरोप हैं। आप वह पत्र पढ़कर सुनादें जो आपने लिख कर भेजा है।

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा सस्पेंशन की कार्यवाही के बारे में नहीं लिखा गया, अब जब खुली जांच हो जायगी और उसके नतीजे आ जायेंगे तब इस पर विचार किया जायगा।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब किसी अफसर के खिलाफ एक प्राईमाफेसी केश इस्टेब्लिश हो गया और जिसके बारे में यह नहीं अभी तक बताया कि कितने दिन पहले लिखा गया है कि इस अफसर को सस्पेन्ड किया जाय, तो क्या यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है कि उसको जल्दी से जल्दी सस्पेन्ड किया जाय जिससे कि और भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर इसका असर पड़े ?

श्री राज मंगल पान्डेय---

मान्यवर, मेरा जहां तक ख्याल है सस्पेंशन का एक नियम है, यह उन्हीं केसेज में किया जाय जब उन चार्जेज क आधार पर उसका डिसमिशल भी हो सकता हो। अभी तक उस हद तक स्थिति सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए सस्पेंशन की कार्यवाही के बारे में नहीं लिखा गया।

श्री गोविन्दसिंह नेगी---

इस बात को देखते हुए कि जो भी अधिकारी देहरादून में पोस्ट होते हैं, वे वहां पर किसी न किसी रूप में जमीनें हथियाते हैं, तो जो पत्थर की खान उसने अपने लड़के और बहिन के नाम पर मंजूर कराई है, कम से कम उसका लीज कैंसिल कर देने में मंत्री जी को क्या आपत्ति है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, वह एक लीगल आस्पेक्ट है। अब चूंकि वह अनुचित दबाव डालकर कराया गया...

श्री राजेन्द्रकुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)---

कोई अपने लड़के के लिये अनुचित दबाव, अनुचित साधन इस्तेमाल करता है तो वह अनुचित है और वह आपको रद्द मानना चाहिये ?

श्री राजमंगल पांडेय---

यह तो गर्ग साहब का आर्गूमेंट है। अनुचित तरीके से एक लीज अपने लड़के और बहन के नाम पर कराया जाय, इसका एक लीगल आस्पेक्ट है, इसको हम एक्जामेन करा लेंगे, यदि यह कैंसिल कर देने योग्य हुआ तो हम कर देंगे।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

हर उस केस में सस्पेन्ड किया जा सकता है, जब महत्वपूर्ण गम्भीर चार्जेज सिद्ध हो जायें और जिनमें बाद में रिमूवल और डिसमिसल किया जा सकता हो। तो अपने पद का दुरुपयोग करने में, जैसा कि विजिलेंस की इंक्वायरी से सिद्ध है, अफसर का रिमूवल भी हो सकता है और डिसमिसल भी हो सकता है, तो उन्होंने क्यों नहीं उनका सस्पेंशन किया अभी तक ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह तो अलग-अलग सोचने की बात है। चौधरी चरण सिंह के लिये यह पर्याप्त कारण है लेकिन मैंने सोचा कि जो सीक्रेट इंक्वायरी हुई, उसके बाद जब खुली जांच की रिपोर्ट सामने आ जाय तो हमारे पास पर्याप्त कारण हो जायेंगे यह ऐक्शन लेने के लिये।

चौधरी चरण सिंह—

प्राईमाफेशी केस पर ही सस्पेंड किया जाता है, जब पूरा केस स्थापित होकर आ जायेगा तब तो उनका डिसमिसल ही होगा। लेकिन जब प्राईमाफेसी केस स्थापित हो गया इंक्वायरी के बाद, तब सस्पेंड तो आर्डिनरी कोर्स में होना ही चाहिये। क्या गवर्नमेंट मानती है कि अफसर अपने पद का दुरुपयोग करे तो यह उनके लिये डिसमिसल का केस नहीं है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह एक इंक्वायरी की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है, वह अब आया है तो एक्जामिन हो रहा है। यदि उसमें पर्याप्त कारण पाया गया तो हम निश्चित कार्यवाही करेंगे।

चौधरी चरण सिंह—

इनके सस्पेंशन के लिए लिखा है, यदि मैंने सही पढ़ा है . .

श्री राज मंगल पांडेय—

मैंने यह कहीं नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कहा है कि निलंबन के लिए नहीं लिखा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये गम्भीर शिकायतें सरकार को कब प्राप्त हुई और दूसरे यह कि जब उन्होंने स्वीकार किया है कि गम्भीर शिकायतें है और साबित हो चुकी हैं तब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों उनके सस्पेंशन की सिफारिश नहीं की ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, ११-१२-७१ को मंजूर अहमद साहब ने एक चिट्ठी भेजी आदरणीय मुख्य मत्री जी के नाम अगर आदेश हो तो पढ़ दूं।

'आदरणीय मुख्य मंत्री जी,

मेरठ के आयुक्त श्री पी० एन० कपूर के सम्बन्ध में जो आम चर्चा है, उसकी रिपोर्ट तो आपको मिल चुकी होगी। यह सज्जन पहले मेरठ के डी० एम० रह चुके हैं। काफी रंगीन और नतवाले किस्म के अफसर हैं। मेरठ में इनके पुराने सम्बन्ध उन्हीं लोगों से हैं जो नावलोश के दिलदादा हैं। पिछले दिनों इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मनायी थी।

पांचों जिलों के डी० एम० और बड़े-बड़े ट्रांसपोर्टर्स ने हजारों रुपये के तोहफे भेंट किये। शराब व कबाब की महफिल गरम रही। शाहाना अंदाज था।"

(व्यवधान)

एक सदस्य—

तारीख बता दें।

श्री राज मंगल पांडेय—

11-12-71 की चिट्ठी है। उस पर माननीय मुख्य मंत्री ने 17-12-71 को मुख्य सचिव को लिख दिया।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी, जैसे श्री संजय गांधी के केस में बंशीलाल को छोड़ दिया था इसी प्रकार कपूर साहब को छोड़ने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आप यह स्पष्ट कर दें जो विजिलेंस की रिपोर्ट आती है उससे फैक्टस आपको मिलत हैं, उस पर आप चार्जेज बनाते हैं। क्या आपने चार्जेज बनाये या नहीं ? अगर चार्जेज बनाते हैं तो उस पर स्पष्टीकरण आता है। तो निलम्बित करके क्यों चार्जेज नहीं लगाये ? श्री गुरनामसिंह जब मुख्य मंत्री थे तो उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने एक ट्रैक्टर अपने लिये अलाट कर दिया था उस पर दबे कमीशन के सामने मामला गया था आप उनको निलम्बित करके आये कार्यवाही करते।

श्री राज मंगल पांडेय—

सतर्कता अधिष्ठान ने इस बात की सिफारिश की थी कि खुली जांच करायी जाय। उन्हीं की सिफारिश पर खुली जांच के आदेश दे दिये। उनकी इंटरिम रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। वह एग्जामिन हो रहा है।

(कई सदस्यों के प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

ऐसा लगता है कि बहुत से माननीय सदस्यों को सवाल करना है (व्यवधान) आपके हाथ में उपचार है। प्रश्न यह है कि आप अगर इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो जो नियमावली की प्रक्रिया है उसके तहत आप.....

श्री त्रिवेणी सहाय—

इन्होंने भारत सरकार को रेकमेंडेशन कब भेजा है ? यह बता दें।

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब उन्होंने दिया था।

श्री त्रिवेणी सहाय—

भेजा नहीं गया है अभी यहां से।

श्री राज मंगल पांडेय—

जो प्रोसीजर है आई० ए० एस० अधिकारियों के लिये (व्यवधान) स्पष्टीकरण जो हमने मांगा है उनके माध्यम से मांगा है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

रेकमेंडेशन कब भेजा है ?

श्री अध्यक्ष—

भारत सरकार को आपने लिखा होगा तो तारीख होगी, न।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, अलग अलग मौकों पर अलग-अलग जवाब दिये हैं और फिर कहते हैं कि खुली जांच होगी।

श्री अध्यक्ष—

यह मामला बड़ा गम्भीर है इसको सभी जानते हैं।

श्री मधुकर दिघे—

आध घंटे की चर्चा करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर देंगे तो आगे कार्यवाही होगी।

श्री मंजूर अहमद—

आध घंटे की चर्चा दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

वह तो नेता विरोधी दल की तरफ से आया है।

श्री कदल—

मान्यवर, पांडेय जी हर बात नेता विरोधी दल की मानते हैं। लेकिन अब वह कह रहे हैं कि अपना-अपना दृष्टिकोण है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि अगर कोई चाहेगा तो चर्चा हो जायेगी। हमने कहा कि यदि आप चाहेंगे तो हम चर्चा करा देंगे।

जरवल रोड चीनी मिल पर बकाया

**2—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जरवल रोड चीनी मिल पर किसानों तथा मजदूरों की बकाया धनराशि को अदा करने तथा मिल को स्थायी रूप से चालू रखने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जरवल रोड मिल का शासन द्वारा जुलाई 1971 में अधिग्रहण किया गया, परन्तु मिल मालिकों द्वारा इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। 29 जुलाई, 1972 से मिल रिसीवर के अधीन संचालित है। मिल पर किसानों व मजदूरों का जो बकाया है उसके भुगतान के लिये हर संभव प्रयास किया जा रहा है पर चूंकि मिल की मशीनरी जर्जर अवस्था में है और मरम्मत की धनराशि उच्च न्यायालय द्वारा पिछले तीन वर्षों की मरम्मत की धनराशि के औसत तक सीमित है जो अत्यन्त अपर्याप्त है इसलिये चीनी का परता कम आता है और उत्पादन

मूल्य भी चीनी की बिक्री मूल्य की अपक्षा लाभकर नहीं है। फिर भी मिल पर बकाया के भुगतान का प्रयास किया जा रहा है। मिल के भविष्य के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री बाबूलाल वर्मा--

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि मजदूरों का पैसा, किसानों का बकाया और मिल चलाने के संबंध में प्रयास किये जा रहे हैं तो वे कौन-कौन प्रयास हैं और कब तक पूरे हो जायेंग, क्योंकि जुलाई महीना आ गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, इस मिल पर 1968-69 से बकाया है। 1973-74 का बकाया रु० 11,60,000 है। प्रयास यह हो रहा है कि हाईकोर्ट में अर्जी लगाई जा रही है जिससे इस मिल का जीर्णोद्धार हो सके और सामान्य आवश्यकतायें परी हो सकें। हाईकोर्ट से जो आदेश हुआ है उसके आधार पर केवल साढ़े तीन लाख रुपया लगाया जा सकता है। लेकिन कम से कम से कम 12 लाख रुपया लगाया जाना चाहिये। इसके लिये अर्जी दे दी गई है अगर हाईकोर्ट ने हमारी प्रार्थना मान ली तो उसकी ठीक से मरम्मत कराई जायेगी। यह भी चीज हो रही है कि गन्ना उत्पादकों से कहा जाये कि अगर वे हाई कोर्ट की परिधि में आयें तो इस फैक्ट्री के मालिक खुद बन जायें, किसान और मजदूर और बकाया को शेयर कैपीटल का रूप दे दिया जाय और कोआपरेटिव आधार पर चलाया जाय। यह चल रहा है। तो इस प्रकार यह व्यवस्था कानून के अन्तर्गत हो सके तो यह बकायें के भुगतान का तरीका निकाला जाये।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 68 से लेकर आज तक जो किसानों और मजदूरों का बकाया है इस सम्बन्ध में मिल-मालिकों या मनेजर के खिलाफ कभी वारेन्ट जारी किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल आया है।

श्री ऊदल--

हाईकोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि काश्तकारों का बकाया है तो क्या सरकार ने कोई कानूनी कार्यवाही की जैसे वारेन्ट आदि जो रेवेन्यू की वसूली के सम्बन्ध में होता है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट हैं कि 71 से पहले का गन्ने का बकाया नहीं दे सके। इसीलिये तो सरकार ने अधिग्रहण किया, एक्वायर किया। उस पर मिल-मालिक हाई कोर्ट में चल गये। वही मामला हाई कोर्ट में चल रहा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मिल के अधिग्रहण करने के खिलाफ मिल-मालिक कोर्ट में चले गये तो बकाये गन्ने की कीमत वसूली के लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, जो गन्ने का बकाया है उसकी वसूली हो सके इसीलिए तो मिल का अधिग्रहण किया गया है।

श्री पुरूषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बकाये की धनराशि व्याज सहित वसूल होगी या बिना व्याज के ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ब्याज के सहित होनी चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

होनी चाहिये या होगी । ऐसा आश्वासन दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

व्याकरण में चाहिये या होगा ही प्रयोग होता है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किसानों का कितना बकाया है आज तक ? क्या जिलाधिकारी ने मिल-मालिकों को कोई नोटिस दी थी और यदि दी थी तो कब दी थी ?

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न के उत्तर में मंजूर किया है । आज आया है शायद ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह खुल जाये मान्यवर । अब इस तरह से कहते हैं तो उनके बकाया का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

पूरा बता दें ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

आज तक वहां के किसानों का कितना पैसा बकाया है । क्या जिलाधिकारी ने कोई नोटिस उस मिल को दी थी, यदि दी थी तो क्या थी ।

श्री अध्यक्ष—

अतारांकित प्रश्न सं0 9 में दिया हुआ है । उसे आप देख लें ।

श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो किसानों का काफी पैसा बकाया है और मिल-मालिक किसानों को पैसा नहीं दे रहे हैं तो जो भविष्य में नियम बनाये जायेंगे उसको माननीय मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

भविष्य की व्यवस्था हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है । मुझे आशा है कि हाई कोर्ट अधिग्रहण करने की आज्ञा दे देगा, यदि अधिग्रहण हो गया तो किसानों के बकाये को शेयर कपिटल में बदल दिया जायगा और उस मिल को उनके हवाले कर दिया जायगा कि सहकारिता क आधार पर उस मिल को चलावें । यह हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर है ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष जी, किसी वस्तु को खरीद लेना और उसका पैसा न देना यह तो धोखे की बात हुई। किसानों से गन्ना खरीदा मिल मालिकों ने और उसका पैसा अदा नहीं किया, बाकी पड़ा हुआ है। तो इसको कानूनी जुर्म समझते हुये भी उस मिल मालिक को जेल भेजने में माननीय मंत्री जी को क्या आपत्ति है, क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैंने तो अर्ज किया कि 1971 में तत्कालीन सरकार ने सारी मिल का अधिग्रहण कर लिया ताकि बकाया मिल सके। श्रीमन्, यह जो जरवल मिल है यह बीमार चीनी मिल है जिसकी मरम्मत होना बहुत आवश्यक है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला दुलन्दशहर)---

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना उत्पादकों का रुपया बकाया है और सरकार का रुपया गन्ना उत्पादकों पर बकाया है तो क्या गन्ना उत्पादकों की पर्चीं जो है उसको अपने कब्जे में लेने की कृपा करेंगे ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गन्ना उत्पादकों की पर्चीं है उसको सरकार अपने कर्जे में लेने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---

इनका यह कहना है कि किसानों पर बकाया रहा क्योंकि 2,134 लाख 26 पै0 यह बकाया है किसानों पर गन्ने का पैसा। तो यह या तो सरकार अपने खजाने से दे या कोई उनको सुविधा दे। यह गम्भीर मामला है और कोई हाईकोर्ट या दूसरा बीच में आ जाय तो किसान, उत्पादक जो है उसको न मिले बात सोचने की है।

श्री भोखा लाल (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने बताया कि मिल बहुत जर्जर अवस्था में थी और रिकवरी बहुत कम हो रही थी, किसानों का बकाया हो रहा था और सरकार ने उसको अधिग्रहण कर लिया। क्या सरकार ने यह पालिसी बनाई है कि किसानों को घाटा होने लगे तब वह मिल को अपने अधिग्रहण में ले। यदि हाईकोर्ट ने फैसला आपके हक में कर दिया तो आपका आगे क्या करने का विचार है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, सरकार की ऐसी नीति नहीं है कि जब ही उसे अधिग्रहीत किया जब किसान और मजदूर का बकाया हो जाता है, तो सभी कानूनी कार्यवाही की जाय। 1971 में तत्कालीन सरकार ने यह कार्यवाही की कि इस मिल का जीर्णोद्धार हो सके, इसलिए इस मिल को अधिग्रहीत किया जाय और तभी यह मामला हाईकोर्ट में गया।

श्री बाबूलाल वर्मा---

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि चूंकि मिल की मशीनरी जर्जर है इस कारण उसका भुगतान नहीं हो पाता। मेरा प्रश्न यह है कि 1967-68 में जिस समय संविद सरकार थी और हमारे श्री हिम्मत सिंह जी, राज्य मंत्री थे उस समय चीनी का उत्पादन 44,56,880 बाकी हुआ था और गन्ना का दाम 12.75 पैसे था। चीनी का मूल्य 1.58 पैसे था। उसके पहले का जोकि लाखों रुपया किसानों और मजदूरों का था। उसके बाद जब आपकी सरकार की ओर से मैनेजर नियुक्त हुए उस समय 69-70 में 1 लाख 28 हजार 797 कुंटल चीनी बनी और चीनी का रेट 2 रु0 15 पैसे, गन्ने का दाम 12.75 पै0 से घटकर 12 रु0 हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि जब चीनी का दाम कम और गन्ने का दाम ज्यादा, उत्पादन कम...

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न आप दूसरा कर रहे हैं। आपका प्रश्न है कि किसानों का बकाया क्यों नहीं दिया जाता?

श्री बाबूलाल वर्मा—

चीनी का दाम ज्यादा, गन्ने का दाम कम....।

श्री अध्यक्ष—

आप तो अपने सवाल से भटक गये हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन्, इनका कहना है कि 1967 में गन्ने का दाम 12 1/4 रुपये था और आज जब कि चीनी का दाम ज्यादा है तो पेमेन्ट क्यों नहीं हो रहा है? उसके ये आंकड़े दे रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यही मिल मालिक का केस है। वे चाहते हैं कि उनकी सम्पत्ति जिस जर्जर अवस्था में है वैसी चलती रहे। यह पहले का मामला है लेकिन यह सही है कि मिल मालिक, जरवल चीनी मिल न, मिल के जीर्णोद्धार के लिए पूंजी नाम मात्र को लगायी है। इस मिल का जीर्णोद्धार बहुत आवश्यक है। जब तक इसका जीर्णोद्धार नहीं होता, बकाये का प्रश्न हमेशा बना रहेगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जून के दूसरे सप्ताह में यहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें माननीय मन्त्री, केन कमिश्नर और एसोशिएशन के प्रतिनिधि भी थे और उसमें एक निश्चित तिथि निर्धारित की गयी थी कि फलां तारीख तक जितना भी गन्ना किसानों का मिल मालिकों पर बकाया है, वह अदा हो सके। तो वह कौन-सी तारीख थी और अब तक वह रुपया क्यों नहीं अदा किया गया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासन स्वयं दबाव डालता रहा है कि किसानों के बकाया रकम की अदायगी होती रहे। जरवल के मिल मालिकों से कोई बात नहीं हुई। एसोशिएशन वालों से सामान्य तौर पर कहा गया और आज भी कहा जा रहा है कि जितनी भी प्रदेश की मिले हैं, वे किसानों के बकाया का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दें। उन्हें बैंकों के कर्जे के प्रयोग में कठिनाई हुई है। कश क्रडिट के बारे में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सरकार का लगातार यह प्रयास रहा है कि जहां पर चीनी का उत्पादन हुआ है, चीनी की उत्पादित बोरियां हैं, उनके उत्पादन पर कैश क्रेडिट ले ले ताकि किसानों का जो बकाया है, उसकी अदायगी हो सके। सरकार की यह चेष्टा अब भी जारी है।

अल्मोड़ा में सस्ते गल्ले की दुकानों में सड़ा आटा

**3—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या खाद्य मन्त्री को जानकारी है कि जून, 1974 के प्रथम सप्ताह में अल्मोड़ा में सस्ते गल्ल की दकानों (सरकारी) के माध्यम से जो आटा वितरित किया गया वह सड़ा हुआ था तथा उसमें कीड़े पड़े हुए थे? यदि हां, तो खराब आटा आपूर्ति करने वाले संस्थान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जून के प्रथम सप्ताह में नहीं, परन्तु दूसरे सप्ताह में यह शिकायत प्राप्त हुई कि अल्मोड़ा के होलसेलरों द्वारा मेसर्स हरखचन्द्र पलावर मिल, सीतापुर से उठाया गया कुछ आटा खराब है । जांच के पश्चात् यह पाया गया कि होलसेलरों द्वारा उठाये गये 2,700 कुन्तल होलमील आटे में से 132 बोरे खराब थे जो पांच होलसेलरों द्वारा मिल को वजन व क्वालिटी का प्रमाण-पत्र देने के बाद उठाये गये थे ।

खराब आटा सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों को वितरण हेतु नहीं दिया गया है ।

खराब आटे का नमूना जिला स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से विश्लेषण हेतु राजकीय विश्लेषक को भेज दिया गया है ।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की गई:--

(1) सर्वश्री हरखचन्द्र पलावर मिल, सीतापुर जिनके यहां से 132 खराब बोरे आटे के लिये गये थे, उनको 1-7-1974 को नोटिस दे दी गई है कि वह बतलायें कि उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की जाये?

(2) पांच थोक विक्रेता जिन्होंने उपरोक्त मिल से आटा उठाते समय यह प्रमाणित किया था कि वजन तथा क्वालिटी दोनों ठीक है उनको यह नोटिस दे दी गई है कि वह कारण बतलायें कि गलत प्रमाण-पत्र देने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की जाये?

(3) पी0 सी0 गोड, हाट निरीक्षक, जो इस मिल में तैनात थे और जिनके सामने मिल से आटा उठाया गया, उनको अपना उत्तरदायित्व ठीक ढंग से न निभाने के लिये लिपिक के पद पर जुलाई, 1974 से प्रत्यावर्त्तित कर दिया गया है ।

(4) मिल से यह कहा जायगा कि 132 खराब बोरे अपने खर्चे पर वापस लें तथा अपने ही खर्चे पर रिप्रोसेस करके वापस करें ।

श्री सत्य प्रकाश---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आटा पीसा जाता है क्या उसके लिये जो गेहूं दिया जाता है उसका निरीक्षण पहले कर लिया जाता है या नहीं?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

व्यवस्था तो ऐसी है ।

श्री सत्य प्रकाश---

मेरा कहना यह है कि गेहूं बिल्कुल सड़ा हुआ, घुना हुआ पीसा जा रहा है जिसकी वजह से वही आटा सरकारी सस्त गल्ले की दूकानों पर भेजा जा रहा है, तो ऐसी हालत में कोई उचित कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अभी तक किसी ने यह सवाल नहीं उठाया है कि गेहूं खराब मिला इसलिये आटा खराब पिसा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

यह खराब आटा जो जनता में वितरित हुआ और काश्तकार उसे ले गये तो क्या उस सड़े हुए आटे का पैसा उनको लौटाया जायगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सौभाग्य से यह होलसेलर्स के यहां ही मालूम हो गया, यह सस्ते गल्ले की दुकानों तक नहीं पहुंचा ।

श्री गोविन्द सिह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)--

क्या सरकार जानती है कि मई के महीने में अल्मोड़ा जनपद में सड़े गले अन्न की वजह से हैजे के प्रकोप से करीब 30 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है?

श्री कल्याण सिह (जिला अलीगढ़)--

जब खराबियां इतनी भारी मात्रा में थीं जो जनस्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती थीं तो डी० आई० आर० के अन्तर्गत उस मिल मालिक के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आटे की क्वालिटी प्रकार डिटेरियोरेट हुई, उसके बारे में विश्लेषक से रिपोर्ट मांगी गयी है, उसकी अपेक्षा है, लेकिन जो जांच रि ोर्ट आई उसमें यह मालूम हुआ कि उसमें ढेले पड़ गये थे और घुन पाया गया और पीले किस्म के छोटे कीड़े पाये गये ।

श्री कल्याण सिह--

जब कहा जाता है कि आटे में कीड़े और घुन पाया गया तो इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अभी तक उसके खिलाफ डी० आई० आर० का प्रयोग क्यों नहीं किया गया?

श्री अध्यक्ष--

जो सामान्य कानून है वह तो है । आप सुझाव दे रहे हैं क डी० आई० आर० का प्रयोग करना चाहिय ?

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिह--

मिल मालिक ने एलेक्शन में इनको चन्दा दिया है इसलिए ये कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं, यह मेरा आरोप है ।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

आये दिन यह सवाल उठता रहा है । इसका कारण यह है कि मिल मालिक यह कोशिश करते ह कि उनका सड़ा गला आटा राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानों पर निकल जाय। ती क्या मंत्री जी भविष्य में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानों पर सड़ा आटा न दे कर केवल गेहूं ही सप्लाई किया जाया करे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

क्या माननीय मन्त्री जी ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के सुपुर्द यह कार्य करेंगे कि साफ आटा सप्लाई करें?

(श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग ने मन्त्री जी के उत्तर देने से पहले ही उपरोक्त प्रश्न किया ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्यों को जो चिन्ता और गुस्सा है उससे मैं सहमत हूं । पहली जुलाई को नोटिस दिया गया है । उसकी एक निश्चित परिधि होती है नहीं तो लोग कोर्ट म जा कर स्ट आडर ल लत हैं । लकिन मैं आश्वासन देता कि इस मिल के वि द्ध सख्त कायवाही की जायगी जो भी सम्भव होगी ।

श्री सत्य प्रकाश--

मेरी जानकारी है कि यह सड़ा गला आटा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से अल्मोड़ा में बांटा गया और इसमें लिखा है कि नहीं बांटा गया । तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह दोबारा सप्लाई आफिस से जांच करवायेंगे और जांच के परिणाम से सदन को अवगत करायेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरे पास निश्चित सूचना है कि यह शिकायत सिर्फ होलसेलरों के बारे में आयी थी लेकिन अगर माननीय सदस्य को कोई सूचना हो तो मैं आभारी होऊंगा, मैं अवश्य दोबारा जांच करा लूंगा और जांच रि ो ं को सदन की मेज पर भी रखने को प्रस्तुत हूं । लेकिन मेरी निश्चित सूचना यह है कि वह आटा केवल होलसेलरों ` उठाया था और वह सस्ते गल्ले की दूका ों तक नहीं पहुंचा था ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

1966-67 में सरकार ने एक क्वेश्चनेयर इश्यु किया था जो उपभोक्ताओं के यहां भेजा गया था कि आया आप यह पसन्द क. रते हैं कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से आटा वितरित किया जाय या नहीं । मेरी जानकारी के अनुसार अधिकांश उपभोक्ताओं ने यही राय जाहिर की थी कि सस्ते गल्ले की दुकानों से केवल गेहूं ही वितरित किया जाय, आटा नहीं । फिर भी क्या कारण है कि इन दुकानों से आटा बितरित किया जा रहा है जबकि बराबर शिकायत आ रही है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्य ने यह महत्व का प्रश्न उठाया है । सामान्यत: शासन की पालिसी यही रही है कि गेहूं ही दिया जाय लेकिन पर्वतीय जिलो में विशष स्थिति है जहां बड़ी चक्कियां उपलब्ध नहीं हैं । जहां बड़ी नदियां नहीं हैं वहां चक्कियों में आटा पिसवाया जाता है । पवतीय क्षत्र म पलावर मिल्स की कमी को देखते हुए आटे का प्रबन्ध सरकार आमतौर पर पहले से ही पहाड़ी जिलो में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा करती रही है ।

श्री राज बजराज सिह (जिला बदायूं)--

माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया कि पहाड़ों पर चक्कियां नहीं होती हैं । जिसको कहते हैं, गरीबी में आटा गीला । गांव में चक्कियां सब के घर में होती हैं । यह कहना अनुपयुक्त है कि गेहूं के बजाय वहां आटा देना चाहिय ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मन्त्री जी ` कहा कि पर्वतीय जिलों में चक्कियां उपलब्ध न होने से आटा सप्लाई किया जाता है । ` किन मैदानी जिलो में आटा चक्कियां हैं । वहां क्यों आटा मोहैय्या किया जाता है? क्या उसका यह कारण है कि सड़ा गला गेहूं जब पिस कर आटा के रूप में आ जाता है तो उसकी बुराइयां छिप जाती हैं और अधिकारियों को मिलमालिकों से मोटी रकम ब्लक-मल करन क लि मिलती है इसलिय आटा सप्लाई किया जाता है?

श्री अध्यक्ष--

दूसरे हिस्से को छोड़ कर, वह आक्षेप है, उत्तर दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने यह कहा कि पर्वतीय जिलों में कठिनाइयां अधिक हैं इसलिये वहां दिया जाता है । यह नहीं कहा कि मैदानी इलाकों में नहीं दिया जाता है ।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

जो क्वैश्चनायर तैयार किया गया था उसमें क्या प्रश्न था इस सम्बन्ध में?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वह मेरे पास इस समय नहीं है। वैसे अधिकतर पर्वतीय जिलों से यही मांग आती है कि आटा दिया जाय।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

*1--श्री मुलायम सिंह यादव--

[6वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तारांकित प्रश्न

खड्डा चीनी मिल, देवरिया पर बकाया तथा मिल का मार्डेनाइजेशन

*1--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के खड्डा चीनी मिल के जिम्मे अधिग्रहण के समय गन्ना किसानों के गन्ने का दाम तथा मजदूरों का वेतन कितना बकाया था? और अब कितना बकाया है और उसक भुगतान के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री नाराधण दत्त तिवारी--

खड्डा चीनी उपक्रम का अधिग्रहण 3 जुलाई, 1971 को हुआ। उक्त तिथि को गन्ना किसानों के गन्न का दाम तथा मजदूरों क बकाये की स्थिति निम्न प्रकार है--

(लाख रुपयों में)

	देय धनराशि	किया गया भुगतान	बकाया
गन्ना मूल्य ..	36.77	24.76	12.01
श्रमिकों का बकाया ..	20.64	12.40	8.24
योग ..	57.41	37.16	20.25

उक्त बकाया की अदायगी अर्जित चीनी की बिक्री से तथा सरकार द्वारा देय प्रतिकर से होनी थी। अर्जित चीनी की बिक्री से प्राप्त धन से उक्त भुगतान किया जा चुका है। प्रतिकर के लिये दावे विहित प्राधिकारी द्वारा अभी तय नहीं किये गये हैं अतः उस राशि से भुगतान उक्त दावों पर निर्णय क बाद ही किया जा सकेगा।

*2--श्री श्रीनारायण--

रकार बताने की कृपा करेगी कि खड्डा चीनी मिल देवरिया की पेराई क्षमता बढ़ाने तथा मिल को मार्डेनाइज करने के लिये सरकार के पास कोई योजना है? यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में कौन सा कदम उठा रही है?

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी हां, खड्डा चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने तथा इसको मार्डेनाइज करने के लिये चीनी निगम ने एक त्रिसूत्रीय कार्यक्रम बनाया है जिसके प्रथम एवं द्वितीय चरण कुछ मदों को छोड़कर पूरे हो गये हैं । तृतीय चरण का कार्य शीघ्र आरम्भ करने की सम्भावना है ।

श्री श्रीनारायण---

20 लाख रुपया उस चीनी मिल पर अब भी किसानों का बाकी है और दूसरी ओर किसानों से सरकारी कर्ज की वसूली बराबर सख्ती के साथ होती है, तो क्या मन्त्री जी इस बकाया रुपये के साथ ब्याज भी दिलवायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जब भुगतान होगा तो उस पर भी विचार होगा ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

उत्तर प्रदेश की शायद ही कोई चीनी मिल ऐसी हो जिस पर 2 लाख से कम रुपया बकाया हो । तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में ऐसी नीति अपनायेंगी कि किसानों पर जो बीज और खाद आदि का सरकारी रुपया बकाया है वह चीनी मिलों पर बकाया रुपये में मुजरा हो जाय ?

श्री अध्यक्ष---

बकाया तो बहुत ज्यादा है ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

श्रीमन्, काफी पैसा किसानों का बकाया है और जो रुपया सरकार का उन पर बकाया है उसको वसूला जा रहा है । इसको बंद किया जाय । जब मैं अधिकारियों से कहता हूं कि इसको एडजेस्ट कीजिये तो वह कहते हैं कि एडजेस्ट नहीं हो सकता है । मूल प्रश्न यह है कि जो हमारा पैसा है उस पर ब्याज भी नहीं दिया जायगा और जब एडजेस्ट करने को कहा जाता है तो कहा जाता है कि एडजेस्ट नहीं हो सकता ?

श्री अध्यक्ष---

आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब भी दे रहे हैं । आप प्रश्न करें ।

(शोर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी मन्त्री जी ने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा कि लाखों और करोड़ों रुपया इन मिलों पर सरकार का बकाया है । जब यह मिलें बीमार हो जाती हैं तो सरकार को उनके अधिग्रहण करने की बात याद आती है । तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि शासन की यह कोई नीति है कि नहीं, कि जिन मिलों पर किसानों का बकाया है और मजदूरों का बकाया है, चाहे वह मिलें बीमार हों या न हों, क्या उन सब मिलों का अधिग्रहण सरकार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---

यह कोई नीति है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, जो मिलें ऐसी हैं उनके बारे में एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है । शासन की नीति ऐसी है । उनको कितना मुआवजा दिया जायगा इस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है ।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

एक बात पूछने दीजिये। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बार-बार इस पर सवाल कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री दशरथ सिंह—

श्रीमन्, आप इस पर मौका दीजिये। इसका जवाब दिलवाइये कि जो किसानों पर बकाया है उसको तो वसूला जा रहा है। पर उनके बकाया की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आपने पूछा है, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इसी तरह से एक ही सवाल पर आप लोग बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप इस पर किसी दूसरे ढंग से सवाल कीजिये। सरकार समस्या का निराकरण करेगी। आपके पास और तरीके हैं।

श्री दशरथ सिंह—

श्रीमन्, बात किसानों की है इसलिये बोल रहा हूं। बात यह है कि जो किसानों का बकाया है, लाखों रुपया बकाया है। उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो किसानों के ऊपर भिन्न-भिन्न मदों में बकाया है, जिसको अभी उन लोगों ने अदा नहीं किया है, उन पर कुर्की हो रही है, नीलामी हो रही है। जब वह अपनी पर्चों से एडजेस्ट कराना चाहते हैं तो कहा जाता है कि एडजेस्ट नहीं हो सकता। तो क्या सरकार एडजेस्ट कराने की व्यवस्था करेगी। इसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष—

अभी श्री त्रिवेणी सहाय ने यही बात कही है। इसको कैसे एडजेस्ट किया जा सकता है।

गोरखपुर को मिट्टी का तेल का आवंटन तथा दुकानदारों द्वारा तेल न उठाना

*3—श्री मधुकर दिघे—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल व मई, 1974 में आवंटित की गई तथा उसके वितरण के लिये कितने थोक एवं खुदरा दुकानदार नियुक्त किये गये थे?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

गोरखपुर जनपद को माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल व मई, 1974 में क्रमशः 1605, 800, 775, 675 एवं 760 किलो लीटर मिट्टी का तल आवंटित किया गया। मिट्टी के तल के वितरण हेतु जिले में 43 थोक एवं 1970 खुदरा विक्रेताओं ने लाइसेन्स प्राप्त किया है।

*4—श्री मधकर दिघ—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उन दुकानदारों में से कितने दुकानदारों ने तेल उठाया कितनों ने नहीं? यदि नहीं उठाया तो उसका क्या कारण था?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आवंटित मिट्टी का तेल 19 थोक विक्रेताओं ने उठाया और वितरण हेतु 1970 खुदरा दुकानदारों में से माह जनवरी में 1706, फरवरी में 1852, मार्च में 1404, अप्रैल में 1127

एवं मई में 1276 दूकानदारों ने तेल उठाया। इस प्रकार माह जनवरी से मई, 1974 तक क्रमशः 264, 118, 566, 843 एवं 694 खुदरा दुकानदार तथा 24 थोक विक्रेता अपने तेल का कोटा उठाने में असमर्थ रहे।

थोक विक्रेताओं ने तेल इसलिये नहीं उठाया कि उन्हें तेल कम्पनियों से तेल उपलब्ध नहीं हुआ। फुटकर विक्रेताओं ने जिन कारणों से तेल नहीं उठाया, उनमें से मुख्य कारण निम्नांकित है:—

(1) शासन के आदेश के अन्तर्गत अधिकांश सस्ते गल्ले के दूकानदारों को उदारतापूर्वक मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेता का लाइसेन्स दे दिया गया किन्तु बहुत से फुटकर विक्रेताओं ने खाद्यान्नों में मिट्टी के तेल के मिश्रण के भय से तेल उठाने में शिथिलता बरती।

(2) जनवरी, 1974 के बाद राज्य के मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती हो गई जिसके कारण प्रत्येक फुटकर व्यापारी कोटे में भी कमी करनी पड़ी। परिणामस्वरूप उनका लाभांश भी कम हो गया और इस व्यापार में उनकी रुचि भी कम हो गई।

(3) कुछ विक्रेताओं ने अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण इस अवधि में मिट्टी के तेल का कोटा नहीं उठाया।

(4) कुछ विक्रेताओं ने तेल इसलिए नहीं उठाया कि उनके थोक विक्रेताओं को उनकी तेल कम्पनी ने तेल नहीं दिया या थोक विक्रेताओं का लाइसेन्स चेकिंग करने के कारण विनिलम्बित हो गया था।

चीनी मिलों पर किसानों का बकाया तथा सरकारी नियंत्रण में चीनी मिलें

*5—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री श्रीराम चरन शाह (जिला लखीमपुर-खीरी)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में किस-किस चीनी मिल (दोनों निजी तथा कारपोरेशन द्वारा संचालित) पर किसानों का कितना-कितना रुपया बकाया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रदेश में निजी क्षेत्र की तथा उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन द्वारा संचालित किस किस चीनी मिल पर किसानों का कितना-कितना गन्ना मूल्य बकाया है, संलग्न तालिका 'अ' तथा 'ब' में क्रमशः अलग-अलग दर्शाया गया है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1052–1054 पर)

*6—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री राम चरन शाह—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कौन-कौन चीनी मिलें सरकार के नियन्त्रण में हैं तथा किन मिलों को सरकार अपने नियन्त्रण में लेने पर विचार कर रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के नियंत्रण में निम्नलिखित चीनी मिलें चल रही हैं:—

भटनी व खड्डा (जिला–देवरिया), सखौती टांडा व मोहिउद्दीनपुर (जिला–मेरठ) बाराबंकी तथा किच्छा सहारनपुर व रोहानाकलां चीनी मिलें भारत सुरक्षा कानून (डी0 आई0 आर0) के अन्तर्गत चीनी निगम द्वारा चलाई जा रही है। डोईवाला चीनी मिल के लिए भारत सरकार ने चीनी निगम को अधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त बुढ़वल, जरवल, रामकोला (खेतान), पन्नीजी, अमरोहा चीनी मिलें कलेक्टर द्वारा नियुक्त रिसीवरों व बिजनौर चीनी मिल हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर द्वारा चलाई जा रही है।

अन्य मिलों के नियन्त्रण के प्रश्न पर भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।

धान व चावल का निर्यात परमिट

*7—श्री राम सेवक यादव, (जिला बाराबंकी), श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं), तथा श्री पुरुषोत्तम—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1972-73, 1973-74 व चालू वर्ष में धान व चावल को राज्य के बाहर ले जाने के लिये सरकार द्वारा परमिट या लाइसेन्स किन-किन लोगों को दिये गये और किस आधार पर तथा बाहर भेजे जाने वाले धान व चावल की अलग-अलग मात्रा क्या है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वांछित सूचना तथा आधार संलग्न सूची † में दी गई है।

*8—श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री केशरी लाल—

[5वें सोमवार के लिए तारांकित प्रश्न 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*9—श्री हरीश कुमार गंगवार—

[6वें सोमवार में स्थगित]

लखनऊ शहर के लिए साफ्ट कोक का एलाटमेन्ट

*10—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर के फटकर साफ्ट कोक के प्रत्येक लाइसेन्सदारों को माह अप्रैल, 1974 में कोयला एलाट हुआ तथा रेल द्वारा उन्होंने कितना-कितना कोयला मंगाया था तथा रेलवे स्टेशन पर उन्हें वास्तविक डेलिवरी कितनी मिली?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

लखनऊ शहर के फुटकर साफ्ट कोक के 180 लाइसेन्सदारों में से 128 को माह अप्रैल, 1974 में कोयला एलाट हुआ था। खदानों से कोयला फुटकर लाइसेन्सदार सीधे नहीं मंगाते हैं बल्कि उनके संघ की संस्तुति के आधार पर कोयला कोल एजेन्ट के माध्यम से मंगाया जाता है। अप्रैल, 1974 में 26 बाक्स बैगन तथा 10 फोर हीलर का एक रेक आलमनगर रेलवे स्टेशन पर आया जिसमें आर0 आर0 के अनसार 1,526.700 टन कोयला होना चाहिये था किन्तु 1,444.470 टन कोयला निकला, जिसकी डिलीवरी उक्त 128 फुटकर लाइसेन्सदारों ने रेलवे स्टेशन से ली।

देवरिया जिले के लिये लेवी चीनी का कोटा

*11—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करें कि मार्च, अप्रैल, मई 1974 में देवरिया जिले के लिये लवी चीनी का कितना कोटा आबंटित किया गया है तथा गत वर्ष मार्च, अप्रैल, मई जून, जुलाई, 1973 में देवरिया जिले के लिये कितना लेबी चीनी का कोटा आबंटित किया गया था और दोनों सालों क आबंटित को की कितनी चीनी सरकार को मिल पाई है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मार्च तथा अप्रैल, 1974 में देवरिया जिले के लिये क्रमशः 403 और 505 मीट्रिक टन कुल 906 मी0 टन लेवी चीनी आवंटित की गयी। मार्च, अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई, 1973

---

†छापी नहीं गयी।

की अवधि में बांदा जिले को कुल 2,494 मी0 टन लेवी चीनी आवंटित की गयी। दोनों वर्षों में प्रश्नगत अवधि के आवंटित कोटे के विरुद्ध 858 मी0 टन मार्च तथा अप्रैल, 1974 और 2,508 मी0 टन मार्च से जुलाई 1973 तक भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त हुई।

भारतीय खाद्य निगम, उन्नाव द्वारा चीनी की अनियमित बिक्री

*12--श्री भीखा लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जून, 1973 में जिला पूर्ति अधिकारी उन्नाव द्वारा एफ0 सी0 आई0 उन्नाव की गोदाम की जांच करने पर 168 बोरा चीनी स्टाक में कम पाई गई ? यदि हां, तो इस कमी का दोषी कौन था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो पर कि भारतीय खाद्य निगम उन्नाव से चीनी की अनियमित बिक्री की जा रही है, जिला पूर्ति अधिकारी, उन्नाव 21 जून, 1973 को भारतीय खाद्य निगम के चीनी के बिक्री रजिस्टर की जांच की जिसके फलस्वरूप 165 बोरे चीनी अनियमित रूप से बेची पाई गई। इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई जिसमें जांच चल रही है। सूचनानुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक क्वालिटी इन्स्पेक्टर को निलम्बित कर दिया गया और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

शाहगंज चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य

*13--श्री मुहम्मद मसूद (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला आजमगढ़ में रानी की सराय के आस-पास के काश्तकारों के गन्ने की कीमत शाहगंज चीनी मिल के यहां भारी तादाद में बाकी है ? यदि हां, तो सकी अदायगी के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

शाहगंज चीनी मिल (जिला जौनपुर) पर जिला आजमगढ़ में रानी की सराय के आस-पास के काश्तकारों के गन्ने की कीमत केवल रु0 10,906.39 अब देय है। इस धनराशि के शीघ्र भुगतान हो जाने की आशा है।

सरकारी कोषागारों के खजान्चियों को सरकारी कर्मचारी मानने की घोषणा

*14--श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के समस्त सरकारी कोषागारों व उपकोषागारों में कार्य कर रहे खजान्चियों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जनवरी, 1965 में सरकारी कर्मचारी मान लिये जाने पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इन लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, सर्वोच्च न्यायालय ने उ0 प्र0 के कोषागारों एवं उन उप कोषागारों में कार्य कर रहे खजांचियों को सरकारी कर्मचारी मान लिया है। किन्तु राज्य सरकार ने उनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया है क्योंकि सरकार को परामर्श दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की उक्त घोषणा के उपरान्त उनको शासन द्वारा औपचारिक रूप से सरकारी कर्मचारी घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। शासन द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि नकी सेवा शर्तों में क्या-क्या परिवर्तनों की आवश्यकता होगी।

उदयपुर ग्राम (कानपुर) की शक्कर की दुकान का निरस्तीकरण

*15--श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)--

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम उदयपुर, परगना व जिला कानपुर के अधिकृत शक्कर विक्रेता के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच जिलाधिकारी के आदेशानुसार माह मई, 1974 में नायब तहसीलदार द्वारा की गई है ? यदि हां, तो जांच में क्या आरोप प्रमाणित ये ैर अधिकृत शक्कर विक्रेता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

श्री न्द्रजीत शक्कर बिक्रेता, ग्राम उदयपुर तहसील व जिला कानपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच नायब तहसीलदार द्वारा मई 1974 में की गई। उनकी जांच में शक्कर वितरण म ं नियमितता के आरोप सिद्ध नहीं ए। उसके बाद जून, 1974 में परगनाधिकारी ने मौके पर जांच की। उन्हें शक्कर वि ेता के विरुद्ध अशिष्ट व्यवहार की शिकायत मिली और उनकी संस्तुति पर दुकान निरस्त कर दी गई।

राबर्ट्सगंज, (मिर्जापुर) टाउन एरिया के अन्तर्गत सस्ते गल्ले की दुकानें

*16--श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज टाउन एरिया के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों के नाम शहरी सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं तथा पशुराव सहकारी समिति लि0 राबर्ट्सगंज के नाम एलाट गल्ला व चीनी दूकान जनवरी, 1974 से मई 1974 तक कितनी बार निलम्बित की गई और उसके कारण क्या थे तथा पुनः लाइसेंस किस आधार पर बहाल किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

बिजईपुर के राबर्ट्सगंज टाउन एरिया के अन्तर्गत निम्न के नाम सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी की दूकानें हैं :--

(1) पशुशव उपयोग सहकारी समिति।
(2) राबर्ट्सगंज सहकारी क्रय-विक्रय समिति।
(3) श्री शिव शंकर प्रसाद, पुत्र श्री लाल जी।
(4) श्री जय गोपाल देव, पुत्र श्री शिरोमणि देव पांडे।
(5) श्री फूलचन्द्र, पुत्र श्री अयोध्या।
(6) श्री किशन लाल, पुत्र श्री नरोत्तमदास।

पशुशव उपयोग सहकारी समिति, राबर्ट्सगंज के नाम से आवंटित दुकान जनवरी, 1974 से मई, 1974 तक की अवधि में केवल एक बार दिनांक 24 अप्रैल, 1974 को अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्र0) द्वारा दुश्मन के स्थान बदलने के आदेश की अवहेलना के परिणामस्वरूप निलम्बित की गई। बाद में आदेशों के पालन करने पर अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्र0) द्वारा दुकान दिनांक 29 अप्रल, 1974 को बहाल कर दी गयी।

*17--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 6वें सोमवार के लिये तारांकित प्रश्न 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के खदान में अनियमिततायें

*18—चौधरी चरण सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के खदान विभाग में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ के मंत्री का कोई पत्र हाल ही में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित कौन-कौन सी अनियमिततायें हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। इस पत्र में खदान व्यवस्थापक के विरुद्ध चूने का पत्थर खोदने के बजाय मिट्टी हटाने के लिए मजदूरों को लगाना, निजी लाभ पाने के लिए खदान में ठेकेदारों को मनमानी छूट देना, अधिक दर पर ठेका दिलवाना, आवश्यकता से ज्यादा मजदूर लगाना, कारपोरेशन की गाड़ियों का दुरुपयोग करना, बिना आवश्यकता ठेकेदारों द्वारा काम कराना, खदान के लिए अनुचित ढंग से सामान क्रय करना आदि शिकायतें की गयी हैं। यह पत्र सीमेंट कारपोरेशन के पास जांच कराने हेतु भेजा गया है।

*19—श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

[6वें सोमवार के लिए स्थगित]

*20—श्रीमती रामरती देवी—

[8वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर के अन्तर्गत सस्ते गल्ले की दुकान का निरस्तीकरण

*21—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री शिव सम्पत्ति राय (जिला मिर्जापुर)—।

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राबर्ट्सगंज टाउन एरिया जनपद मिर्जापुर में पशु शव सहकारी समितियां राबर्ट्सगंज के अध्यक्ष के नाम सरकारी सस्ते गल्ले एवं चीनी क लाइसेन्स है? यदि हां, तो ए0 डी0 एम0 (ई0) राबर्ट्सगंज ने उक्त दूकान का लाइसेन्स किस आधार पर मई, 1974 में सस्पेन्ड किया था?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। ए0 डी0 एम0 (ई0) राबर्ट्सगंज ने 26-4-74 को दूकान का स्थान बदलने के आदेश का पालन न किये जाने के कारण इस दूकान का लाइसेंस ससपेण्ड किया था।

वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वियन के फलस्वरूप घाटा

*22—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लगभग एक सौ सात करोड़ रुपये का घाटा वेतन आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने से जो होगा उसको पूरा करने के लिये ओपेन मार्केट से कर्जा वर्तमान सरकार ले रही है? यदि हां, तो इस स्कीम का पूरा ब्योरा क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वेतन आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप जो अतिरिक्त व्यय होगा वह शासन के 1974-75 में होने वाले सम्पूर्ण व्यय में सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से कर्जा लेने का कोई सीधा सम्बन्ध वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन से नहीं है।

कृष्णा ट्रेनिंग कम्पनी, मथुरा के वनस्पति लाइसेन्स का निरस्तीकरण

*23--श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1972 में जिला पूर्ति अधिकारी, मथुरा में वनस्पति का लाइसेंस कृष्ण ट्रेडर्स, सादाबाद को दिया था जब कि इस नाम की कोई भी फर्म सादाबाद में नहीं है। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमार बाजपेयी--

जिलापूर्ति अधिकारी मथुरा ने मे० कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी सादाबाद को वर्ष 1972 में लाइसस नहीं दिया था। इस फर्म को वनस्पति का लाइसेंस जिलापूर्ति अधिकारी ने 28-3-74 को दिया जब कि इस नाम की फर्म सादाबाद में थी।

2--पूर्ति निरीक्षक ने दुकान का निरीक्षण 5-5-74 को किया। दुकान बन्द पायी गयी और यह सूचना मिलने पर कि दुकान प्रायः बन्द रहती है और इसमें वनस्पति का अभी तक कोई कारोबार नहीं किया गया है, फर्म का लाइसेंस 2-6-74 को निरस्त कर दिया गया।

रामपुर मथुरा विकास खंड (सीतापुर) के अन्तर्गत सीमेन्ट का वितरण

*24--श्री हिम्मत सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले के विकास खंड रामपुर मथुरा को 1 अप्रैल, 1974 से 20 मई, 1974 तक कितनी सीमेन्ट वितरित करने हेतु मिली ? तथा यह सीमेन्ट किस-किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में दी गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

प्रश्नगत अवधि में विकास खंड रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर को 1350 बोरी सीमेन्ट वितरित करने हेतु दी गई। इसमें से 1970 बोरी सीमेन्ट का वितरण जिन व्यक्तियों को जिस मात्रा में किया गया उसकी सूचना संलग्न† है। अवशेष 240 बोरी का वितरण गेहूं खरीददारी योजना के अन्तर्गत गेहूं देने वाले काश्तकारों में किया गया।

काशी सहकारी चीनी मिल औराई (वाराणसी) की स्थापना पर व्यय

*25--श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि काशी सहकारी चीनी मिल औराई, वाराणसी कितने लागत में तैयार हुई, उसमें कितना धन जनता का व किसानों का लगा हुआ तथा कितना राज्य सरकार का है ? कुल कितना व्यय हुआ है एवं कितना आय है ? क्या चीनी मिल घाटे में है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

काशी सहकारी चीनी मिल्स औराई 243.00 लाख रुपये की लागत पर तैयार हुई है।

---

† छापी नहीं गई।

इस मिल में मई 1974 तक विनियोजित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:—

	लाख रुपया
(1) उत्पादक सदस्य	9.73
(2) अनुत्पादक सदस्य एवं सहकारी समितियां ..	20.72
(3) राज्य सरकार	70.00
योग ..	100.45

चीनी मिल इस समय घाटे में है। जिसके निम्न कारण हैं :—

1— मिल को पर्याप्त मात्रा में गन्ना पिराई के लिये उपलब्ध नहीं हुआ जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में चीनी का उत्पादन नहीं हो सका है।

2—चीनी मिल ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य से ट्रायल सीजन 71–72 में 97 हजार 72–73 में 25.43 लाख रुपया व 73–74 में 14.98 लाख रुपया अधिक दिया।

3—मिल की स्थापना के लिए वित्तीय संस्थाओं से जो कर्जा लिया गया था उसका ब्याज तीन वर्षों का मिला कर 51 लाख रुपया देय हो गया।

प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

*26—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का गन्ने की कीमत की कितनी धनराशि एक जून, 1974 तक देय है? इस धनराशि को दिलाने के लिये शासन कौन सी कार्यवाही कर रहा है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रदेश की 74 चीनी मिलों में से 68 चीनी मिलों पर वर्तमान सीजन (1973–73) का गन्ना मूल्य दिनांक 1–6–74 को रु० 2,134.28 लाख अवशेष था। इसके अतिरिक्त 35 चीनी मिलों पर विगत सीजनों का गन्ना मूल्य रु० 266.16 लाख बकाया था। गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान कृषकों को कराने के सम्बन्ध में नियमानुसार हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें निम्न कार्यवाही उल्लेखनीय है :—

(1) एक चीनी मिल को नीलाम किया गया।

(2) तीन चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं।

(3) क्रेडिट एक्वीज नीति के कारण बैंक ने चीनी मिलों को कम धन उपलब्ध किया, क्योंकि क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ाई व मार्जिन का प्रतिशत बढ़ा दिया। चीनी मिलों को गन्ने की कीमत देने के लिए अधिक धन उपलब्ध हो इसलिए शासन ने रिजर्व बक व भारत सरकार से आग्रह किया है।

(4) पुरानी बकाया वसूली हो सके इसलिए शासन ने 12 चीनी मिलों को अधिगृहीत किया, परन्तु इनमें से सात ने हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ले लिये और शासन का प्रयास है कि शीघ्र उनका निर्णय हो जाय।

(5) पुरानी बकाया की वसूली के लिए एक चीनी मिल को नीलामी पर चढ़ाया गया, परन्तु हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण नीलामी नहीं हो सकी।

मियांव ब्लाक, अकबरपुर (फैजाबाद) में नियंत्रित सस्ते कपड़े की दूकान का लाइसेन्स

*27—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर तहसील जिला फैजाबाद के मियांव ब्लाक में अब तक समस्त ग्राम सभाओं के ग्रामीणों को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने के लिये सरकारी सस्ते कपड़े की कितनी दुकानें एलाट की गई हैं और इस समय कितनी दुकानों से इस प्रकार कपड़ा वितरित किया जा रहा है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

फैजाबाद जनपद की अकबरपुर तहसील के मियांव ब्लाक में ग्रामीणों को नियंत्रित सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने हेतु केवल एक दुकान पैक्रोली सहकारी संघ लि०, पक्रोली को लाइसेंस प्राप्त है। परन्तु इस समय उक्त सहकारी संघ धनाभाव के कारण कपड़ा बेंचने का कार्य नहीं कर रहा है।

कोई अन्य व्यवस्था होने तक निकटस्थ नियंत्रित कपड़े की दुकान जलालपुर सहकारी संघ से मियांव ब्लाक के ग्रामीणों को नियंत्रित कपड़ा उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये है।

मियांव व जलालपुर ब्लाक (फैजाबाद) में शक्कर के कोटेदारों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*28—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अकबरपुर तहसील, जिला फैजाबाद के ब्लाक मियांव और जलालपुर में 1 अप्रैल, 1973 से लेकर इस समय तक शक्कर के किन-किन कोटेदारों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें जिला पूर्ति अधिकारी अथवा जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुईं तथा इन शिकायतों को लेकर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अकबरपुर तहसील, जिला फैजाबाद के ब्लाक मियांव और जलालपुर में प्रश्नगत अवधि में शक्कर के कोटेदारों के विरुद्ध जिला पूर्ति अधिकारी/जिलाधिकारी को प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही की सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 1055-1056 पर)

यू० पी० कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० (इटावा) के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*29—श्री विद्याधर (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, इटावा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र 22 अप्रैल, 1974 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई तथा उसके क्या परिणाम हैं ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)—

जी हां।

शिकायती-पत्र में मुख्यत: मिल द्वारा उत्पादित सूती धागे को कम दामों पर उठाये जाने, 1973 में कार्ड बोर्ड बक्सों के प्रचुर मात्रा में क्रय, 1969–70 में 49 गांठ स्टेपुल फाइबर के

आयात विषयक शिपिंग डाक्यूमेन्टस के खोये जाने के फलस्वरूप मिल को हुई आर्थिक हानि, मुख्य लेखा अधिकारी की सेवा-समाप्ति में बरती गई अनावश्यक शीघ्रता तथा मिल के लेखाधिकारी के संबंध में शिकायतें की गई हैं। जिलाधिकारी, इटावा, द्वारा इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

काशी सहकारी चीनी मिल में कथित घाटा

*30—श्री गिरजा शंकर पाठक, श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी), श्री कैलाश सिंह (जिला बलिया), श्री जंगबहादुर सिंह पटेल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री राम जी (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि काशी सहकारी चीनी मिल को सन् जनवरी 1974 से मई, 74 तक एक करोड़ रुपया घाटा हुआ है? यदि हां, तो इसका मुख्य कारण क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

*31—श्री भाभी—

[6वें सोमवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद रीजन में मोमबत्ती के कारखाने

*32—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रीजन में कितने मोमबत्ती बनाने के कारखाने हैं तथा मोमबत्ती बनाने वालों को मोम का कोटा किस आधार पर वितरित किया जाता है?

श्री इस्तफा हुसैन—

फैजाबाद रीजन में मोमबत्ती बनाने के कारखानों की संख्या 28 है।

मोम का कोटा जिस आधार पर वितरित किया जाता है उसकी सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 1057 पर)

सस्ते गल्ले की दुकानों को गेहूं का आवंटन न होना

*33—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किन-किन जिलों में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर गेहूं न दिये जाने के आदेश हाल ही में प्रदान किये हैं? गेहूं न दिये जाने के लिये सरकार ने कौन सा आधार बनाया है? क्या गोंडा जिले को सरकार इस आदेश से मुक्त करेगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रदेश को केन्द्रीय पूल से आवंटित गेहूं की मात्रा में कमी को ध्यान में रखते हुए तथा खुले बाजार में नयी फसल के गेहूं की उपलब्धता तथा मल्यों को ध्यान में रखते हुए माह मई, 1974 तथा जून, 1974 के प्रथम पक्ष में संलग्न सूची में दिखलाये गये 29 जिला मुख्यालयों की सस्ते गल्ले की दुकानों को गेहूं का आवंटन नहीं किया गया और केवल पुलिस, जैल, अस्पताल आदि के लिये तदर्थ आवंटन किया गया। मेरठ में जून, 1974 के द्वितीय पक्ष में तथा मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर तथा ललितपुर को जुलाई, 1974 प्रथम पक्ष में सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरण हेतु गेहूं आटे का आवंटन किया गया। जिला गोंडा में स्थिति पर ध्यान रखा जायेगा और तदनुसार सस्ते गल्ले की दुकानों को गेहूं के आवंटन

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

पर विचार किया जायेगा। इस समय केवल 1 कलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से चावल दिया जा रहा है और पुलिस, जेल तथा अस्पतालों के लिये गेहूं का तदर्थ आवंटन किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 1058 पर)

डिबाई ब्लाक, बुलन्दशहर में सीमेन्ट वितरण में अनियमितताएं

*34--श्री हिम्मत सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० ओ०, डिबाई जिला बुलन्दशहर के खिलाफ 6-5-74 को सीमेंट में व्याप्त भ्रष्टाचार की तहकीकात के लिये बी० डी० सी० ने एक कमेटी बनाई थी? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

डिबाई ब्लाक में सीमेन्ट वितरण की अनियमितताओं की जांच के लिये दिनांक 6 मई, 1974 को बी० डी० सी० ने कोई कमेटी बनाई थी। दिनांक 6 अप्रैल, 1974 को बी० डी० सी० की मीटिंग में ऐसी कमेटी का बनाया जाना प्रस्तावित हुआ था परन्तु प्रस्तावित कमेटी द्वारा न कोई कार्यवाही ही की गयी और न कोई जांच रिपोर्ट ही प्रस्तुत की गयी।

रसूलपुर व भवई गांव बाराबंकी के शक्कर कोटेदार के विरुद्ध कथित शिकायत और जांच

*35--श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन तथा जिला अधिकारियों को समय-समय पर गांव रसूलपुर एवं भवई, तहसील राम सनेहीघाट, जिला बाराबंकी के निवासियों ने उक्त ग्राम के शकर के कोटेदार के विरुद्ध शकर के अनियमित वितरण करने संबंधी शिकायत-पत्र गत वर्ष या इस वर्ष किये हैं? यदि हां, तो उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां। उक्त शिकायतों की जांच कराई गई।

*36--श्री शिव कैलाश--

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों पर नायब तहसीलदार, रामसनेही घाट मौके पर जांच के लिये गये तथा शिकायतें सही पाईं? यदि हां, तो कोटेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह सही है कि नायब तहसीलदार राम सनेही घाट उक्त शिकायतों पर जांच के लिये मौके पर गए, परन्तु जांच के उपरान्त शिकायतें सत्यापित नहीं पाई गईं। अतः कोटेदार के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

बिजनौर के ईंट के भट्ठों को स्लैक कोल का न दिया जाना

1--श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर), श्री मधुकर दिघे--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० में ईटों के भट्टे के लिये 174 रेक कोल का कोटा प्रतिमाह है? जिसमें से 14 रेक कोल आया है? यदि हां, तो उसे किन-किन जिलों को दिया गया तथा जिला बिजनौर को न दिये जाने का कारण क्या है?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ईंट भट्ठों के लिये उत्तर प्रदेश का स्लैक कोल का मासिक कोटा 174 रेक नहीं बल्कि 126.5 रैक्स है। जुलाई, 1973 से मई, 1974 की अवधि में कुल 147 रैक्स का आवंटन हुआ है जिसकी जिलेवार सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। इस अवधि में रेल यातायात की कठिनाइयों के कारण बिजनौर जनपद को एक भी रेक आवंटित नहीं हुआ, परन्तु इसके पश्चात् दिनांक 13 जन, 1974 को एक रेक रेल मंत्रालय ने आवंटित की है। इसके अतिरिक्त इस जिले की कोयले की कमी को सुधारने के लिये दिनांक 15 जून, 1974 को रेल मंत्रालय को लिखा गया है कि एक और स्लैक कोल का रैक बिजनौर जिले को दिया जाय।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 1059 पर)

सहकारी समिति महड़, टिहरी गढ़वाल को कन्ट्रोल का कपड़ा

2—श्री गोबिन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी समिति महड़ विकास खंड देव प्रयाग को 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1974 तक कितनी रुपये का कंट्रोल का कपड़ा दिया गया और क्या यह स्पष्ट करेगी कि समिति और डी० सी० डी० एफ० के ब्योरों में कपड़े की मात्रा का जो अलग-अलग विवरण है उसका क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

नियंत्रित कपड़े की वितरण योजना सहकारी समितियों के माध्यम से नवम्बर, 72 से प्रारम्भ हुई। जिला सहकारी संघ टिहरी-गढ़वाल द्वारा सहकारी समिति महड़ विकास खंड देवप्रयाग को नवम्बर, 1972 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि में 5579 रुपये 69 पैसे का नियंत्रित कपड़ा दिया गया। उक्त संघ तथा समिति के ब्योरों में कपड़े की मात्रा में सूचनानुसार कोई भिन्नता नहीं है।

विभूति कृषि यन्त्र उद्योग फर्म, बस्ती को लोहे का कोटा

3—श्री प्रभ दयाल (जिला बस्ती)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत नौगढ़ (तेतरी बाजार) में कितने कृषि यंत्र उद्योग चल रहे हैं। क्या विभूती कृषि यंत्र उद्योग फर्म नामक कोई कृषि यंत्र उद्योग भी वहां है ? यदि हां तो सरकार कृपया बतायें कि सन् 1972–1973, 73.74 में उन्हें लोहे एवं चादरों का कितना कोटा परमिट द्वारा दिया गया है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

बस्ती जनपद के अन्तर्गत नौगढ़ (तेतरी बाजार) में कृषि यंत्र बनाने वाली एक इकाई सर्व श्री विभूति कृषि यंत्र उद्योग तेतरी बाजार, बस्ती के नाम से कार्यरत है। इस इकाई को निम्नलिखित लौह एवं इस्पात का आवंटन किया गया है:—

वर्ष	आवंटित लौह एवं इस्पात मै० टन
1972–73	40.600
1973–74	11.000

इसके अतिरिक्त 20.000 मै० टन जी० सी० शीट्स आन्तीय लौह तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा दिया गया है।]

4—श्री सूबेदार तथा श्री शिव सम्पति—

[6वें सोमवार के लिये स्थगित]

बसों व ट्रकों के टायरों का कोटा

5—श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1973–74 में केन्द्र से बसों व ट्रकों के कितने टायरों का कोटा उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ और उसमें से कितने टायरों का आवंटन प्रदेश रोडवेज को किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बसों व ट्रकों के टायरों का कोई कोटा केन्द्र से निर्धारित नहीं है और न कोई आवंटन केन्द्र द्वारा किया जाता है। टायरों की पूर्ति सीधे निर्माताओं द्वारा की जाती है उपरोक्त स्थिति में रोडवेज को टायरों के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

बिक्री-कर विभाग के निष्कासित कर्मचारी

6—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिक्रीकर विभाग में वर्ष 1972–73 व 73–74 में भ्रष्टाचार के आरोप में कितने अधिकारियों व कर्मचारियों को दंडित, निलम्बित व निष्कासित किया गया ? इन दंडित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या आरोप थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बिक्री-कर विभाग में वर्ष 1972–73 में भ्रष्टाचार के आरोप में एक अधिकारी दंडित हुआ, कोई निलम्बित नहीं हुआ तथा एक अधिकारी निष्कासित किया गया।

बिक्री-कर विभाग में वर्ष 1972–73 में भ्रष्टाचार के आरोप में एक कर्मचारी निलम्बित हुआ तथा एक कर्मचारी निष्कासित किया गया।

वर्ष 1973–74 में भ्रष्टाचार के आरोप में 6 अधिकारी दंडित किये गये, एक अधिकारी निलम्बित हुआ तथा कोई निष्कासित नहीं किया गया। विवरण † संलग्न है।

वर्ष 1973–74 में 9 कर्मचारी दंडित किये गये, एक कर्मचारी निलम्बित किया गया तथा एक कर्मचारी निष्कासित किया गया विवरण † संलग्न है।

सस्ते गल्ले की दुकानों, बुलन्दशहर को गेहूं न दिया जाना

7—श्री सत्य वीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जनपद में राशन की दूकानों पर गेहूं बन्द किया गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, केन्द्रीय पूल से गेहूं का आवंटन घट जाने के कारण माह मई, 1974 से बुलन्दशहर जिला मुख्यालय को उपभोक्ताओं के लिये सस्ते गल्ले की दूकानों से वितरण हेतु गेहूं का आवंटन नहीं किया गया है। वहां केवल पुलिस, जेल, अस्पताल तथा छात्रावास के लिये गेहूं का तदर्थ आवंटन किया गया है।

फैजाबाद के लिये ग्रामीण उद्योग योजना

8—श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण उद्योग योजना (आर० आई० पी०) प्रदेश के किन-किन जिलों में लागू है और क्या फैजाबाद जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार उपर्युक्त योजना को फैजाबाद जिले में भी लागू करने हेतु विचार कर रही है ?

---

† छापी नहीं गई।

श्री इस्तफा हुसैन—

प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में ग्रामीण उद्योग योजना लागू है :—

(1) सहारनपुर
(2) गाजीपुर
(3) झांसी
(4) अल्मोड़ा
(5) लखनऊ
(6) उन्नाव
(7) राय बरेली
(8) फतेहपुर
(9) मुरादाबाद
(10) मथुरा
(11) देवरिया
(12) बलिया और,
(13) फूलपुर (इलाहाबाद)

फूलपुर परियोजना नियोजन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में है और शेष उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही है ।

जहां तक उक्त योजना को फैजाबाद जिले में लागू करने का प्रश्न है यह इस समय विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य बकाया

9—श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की कितनी चीनी मिलों के किसानों के गन्ने की कीमत का पूरा भुगतान नहीं किया है और किन-किन मिलों पर किसानों का कितना-कितना रुपया बकाया है तथा सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 31-5-74 तक उपलब्ध सूचना के अनसार प्रदेश की 70 चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने की कीमत का पूरा भुगतान नहीं किया है । उक्त बकायादार चीनी मिलों की सूची तथा उनके विरुद्ध गन्ना मूल्य बकाया की धनराशि संलग्न तालिका † 'क' में दर्शायी गयी है । गन्ना मूल्य बकाया का चीनी मिलों द्वारा कृषकों को शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है । चीनी की बिक्री से मिलों को उपलब्ध होने वाले धन से गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान कराने की व्यवस्था की जा रही है । वर्तमान सीजन (1973-74) में प्रदेश की चीनी मिलों में चीनी का पर्ता (रिकवरी) विगत सीजन (1972-73) की अपेक्षा औसतन लगभग 0.5 प्रतिशत कम रहा, और गन्ने का मूल्य बिगत सीजन में दिये गये मूल्य से अधिक दिया गया । पूरे प्रदेश में कुल गन्ना मूल्य की देय धनराशि 31-5-74 तक रु0 17032.11 लाख थी, जिसमें से 14897.83 लाख का भुगतान मिलों ने कर दिया है ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 1060-1062 पर)

उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (अलीजहीर आयोग) की एनामली कमेटी रिपोर्ट

10—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (अली जहीर आयोग) में ब्याप्त एनामलियों की जांच हेतु गठित एनामली कमेटी की रिपोर्ट शासन को अब तक प्राप्त हुई कि नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

11—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या एनामली कमेटी की कोई अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

जिलेवार गेहूं वसूली योजना

12—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गेहूं वसूली योजना में जिलेवार सरकार ने गेहूं वसूल करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और आज तक उस लक्ष्य के अनुसार जिलेवार कितना-कितना गहूं वसूला था ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्न में मांगी गयी सूचना संलग्न†तालिका में दी गयी है ।

श्री ठाकुर जी इंजीनियरिंग वर्कशाप, कछवा, मिर्जापुर को लोहे का परमिट

13—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के कछवा टाउन एरिया में स्थित श्री ठाकुर प्रसाद इंजीनियरिंग वर्कशाप कछवा को माह मार्च, 1974 से जून, 1974 तक कितने लोहे के परमिट दिये गये हैं और किन-किन कार्य हेतु दिये गये हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—

जिला मिर्जापुर के कछवा टाउन एरिया में स्थित श्री ठाकुर प्रसाद इंजीनियरिंग वर्कशाप कछवा के नाम से कोई इकाई नहीं है । यहां केवल श्री ठाकुर जी इंजीनियरिंग वर्क्स (प्रा0 लि0) कछवा मिर्जापुर के नाम से एक इकाई स्थित है जिसको मार्च, 1974 से जून, 1974 तक 32 मै0 टन लोह एवं इस्पात का आवंटन तीन परमिट द्वारा किया गया है । यह माल इकाई को कृषि यंत्र जैसे, चारा काटने की मशीन, गन्ना पेरने का कोल्हू, पावर थ्रेशर, चारा काटने का ब्लेड, मेज सेलर्स, हाथ से चलाने वाले पंखे, हल, रहट, कोल्हू के कड़ाह, आलपेड़ थ्रेसर बनाने हेतु दिया गया है ।

14—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[6वें सोमवार के लिये स्थगित) ।]

गाजीपुर में कथित सूती मिल खोलने की घोषणा

15—श्री काली चरन तथा श्री राम जी (जिला गाजीपुर)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 23 मार्च, सन् 1974 को गाजीपुर विकास सम्मेलन के अवसर पर गाजीपुर में जो सूती मिल स्थापित करने की घोषणा उन्होंने की थी ? यदि, हां, तो उसका शुभारम्भ कब होगा और मिल कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन—

जी नहीं । प्रश्नगत सम्मेलन में गाजीपुर में सूती मिल स्थापित करने की कोई घोषणा नहीं की गई थी । उक्त जिले में सूती कताई मिल खोलने पर केवल विचार करने की राय जाहिर की गई थी ।

---

† छापी नहीं गई ।

रेंहरा बाजार, गोंडा में कथित बाल्टी उद्योग

16—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में रेहरा बाजार ब्लाक में बाल्टी बनाने का कोई उद्योग साहुन्वा नगर में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो यह उद्योग किसके द्वारा चलाया जा रहा है ? और सरकार ने इस उद्योग के लिये कितना ऋण दिया है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

गोंडा जिले में रेहरा बाजार ब्लाक में साहुन्वा नगर नाम का कोई स्थान नहीं है। इस ब्लाक में सहदुल्ला नगर नामक स्थान है परन्तु यहां भी उद्योग विभाग की सहायता से बाल्टी बनाने का कोई उद्योग नहीं चलाया जा रहा है। अतः ऋण देने का प्रश्न नहीं उठता।

सुदर्शन इंडस्ट्रीज (गोंडा) तथा लक्ष्मी कैन्डिल इन्डस्ट्रीज (बलरामपुर) को मोम-कोटा

17—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग अधिकारी गोंडा ने मार्च, 1974 में सुदर्शन इंडस्ट्रीज, गोंडा तथा लक्ष्मी कैंडिल इंडस्ट्रीज बलरामपुर को मोमबत्ती बनाने हेतु मोम दिये जाने की संस्तुति उद्योग निदेशक कानपुर से की थी ? यदि हां, तो सुदर्शन इंडस्ट्रीज गोंडा को मोम का कोटा न दिये जाने के क्या कारण है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

जी हां।

सुदर्शन इंडस्ट्रीज गोंडा को मोम का कोटा देने की संस्तुति निदेशालय ने कर दी है।

18—श्रीमती सुखदा मिश्र—

[6वें मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

19—श्री शिवनान्द नौटियाल—

[पुर्नविचारोपरान्त निरस्त]।

अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में सुझाव

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि सवाल जिस तरह से पूछे जाते हैं और जिस तरह से उनका जवाब दिया जाता है उसका नतीजा यह होता है कि सारा समय कछ प्रश्नों के विवाद में ही चला जाता है और काफी प्रश्न शेष रह जाते हैं। जैसे आज ही 40 सवालों में से 4 सवालों में ही सारा समय चला गया और 36 प्रश्न रह गये। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस पर आप विचार करें। हमारे माननीय मित्र जो सवाल करते हैं उनका सीधा उत्तर देने में यह गवर्नमेंट एवाइड करती है और इर्रीलेवेंट बात करती है। तो जो मैनीपुलेशन्स का परपज है यह सबसे बड़ा खतरा है इस पार्टी को। विरोधियों के पास इसके अलावा कोई तर्क ही नहीं है कि गवर्नमेंट की नीतियों में जो गलत काम हो रहे हैं उनको इस सदन में सवालों के जरिये लाया जाय। परन्तु उन सवालों में 10 प्रतिशत सवालों के नम्बर नहीं आते हैं जो इस पर विचार करें। गुस्ताखी माफ करें आप भी कभी कभी आर्गूमेंट देने लगते हैं। तो आरगूमेंट न हो और आपको सावधान करना चाहिये कि बहस न कीजिये। दूसरा प्रश्न कीजिये। जो आपका नर्म सुभाव है उससे काम नहीं चलने वाला है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय चौधरी साहब ने जो सुझाव दिया वह बहुत अच्छा है। लेकिन सख्ती तो तब हो जबकि दूसरे नेता भी इस पर ध्यान दें।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, सीधा सवाल होना चाहिये और तब क्यों आप प्रश्न कर रहे हैं इसका सवाल नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल ने कहा है कि सीधा सवाल हो। सीधा सवाल यदि आप लोग करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी होगी। टेढ़ा-मेढ़ा सवाल नहीं करना चाहिये।

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड़ का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन सहित, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619—ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मुख्यमन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सचना श्री त्रिवेणी सहाय की है जो बनती नहीं है। मुख्य मंत्री जी अपनी बात कहते हैं और श्री त्रिवेणी सहाय अपनी बात कहते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, इस पर आप विचार करें.....।

श्री अध्यक्ष—

इस पर किसी भी हिसाब से विचार नहीं किया जा सकता है। आपने सवाल किया और उन्होंने जवाब दिया। आप कहते हैं कि हमारे अनुकूल जवाब दो। आप सही हैं या वह सही हैं। इस पर जब तक कि मुख्य मंत्री का कोई बयान न हो तब तक कैसे मालूम हो सकता है। आपको मैंने अपने कक्ष में जब समझाया तो आप आश्वस्त हो गये और यहां आकर फिर उसको उठा दिया। तो इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

चौधरी चरण सिंह—

जब आपने उनको अपने रूप में समझा दिया तो फिर उनको आपने क्यों खड़े रहने दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं नेता विरोधी दल के इस सुझाव से सहमत हूं। हम सब लोग आपके आदेशों का पालन करेंगे और नियमों के अनुसार आचरण करेंगे।

---

†छापा नहीं गया।

शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय ओम प्रकाश सिंह ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। उनका कहना है कि माननीय शिक्षा मंत्री ने पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं का प्रबन्ध करने के लिये एक जुलाई के लिये आश्वासन दिया था। अगर वह आश्वासन है और अगर वह टूटता है तो विशेषाधिकार का सवाल नहीं है। अगर आश्वासन टूटता है तो उसे आश्वासन समिति देखेगी। इसको अस्वीकार करते हैं। आज फिर उनका बयान भी है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

आपने जो कहा मैं उससे सहमत हूं। यह नियम है कि अगर आश्वासन है तो वह विशेषाधिकार नहीं बन सकता। लेकिन हमने उसमें घोषणा शब्द लिखा है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्वैएचन आवर में मंत्रियों द्वारा दिये गये जवाब विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकते। लोक सभा में अनेक बार व्यवस्थाएं हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष—

आज इसी पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य भी है।

प्रदेश के समस्त हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों को 1 अगस्त, 1974 तक बन्द करने के आदेशों के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। महोदय, कुछ दिन पहले मैंने माननीय सदन को इस बात की जानकारी कराई थी कि इस वर्ष पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धि की क्या स्थिति है। यह भी निवेदन किया था कि पाठ्य पुस्तक प्रकाशक 21 जन को मुख्य मन्त्री जी को आश्वासन दे गये थे कि पुस्तकादि का बिक्री मूल्य नहीं बढ़ायेंगे किन्तु 22 जन, 1974 को कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों के प्रकाशक उस आश्वासन से पीछे हट गये। इसी कारण शासन को भारत सुरक्षा अधिनियम (डी० आई० आर०) के अन्दर आदेश जारी करना पड़ा कि कोई, पाठ्य-पुस्तक निर्धारित मूल्यों से अधिक पर नहीं बेची जायगी। इस आदेश के अनुपालन में प्रकाशकों, मुद्रकों और पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध पुस्तकों की सूची आदि बनायी जा रही है। कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं किन्तु कुछ अन्य पुस्तकें अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। अभ्यास पुस्तिकाओं की सूची आदि बनायी जा रही है।

अभ्यास पुस्तिकाओं के बारे में स्थिति यह है कि कुछ सस्ता कागज मिलों ने अपने व्यापारियों को सीधे भी भेजा है और 300 टन कागज शासन को आवंटित किया है। शासन ने निर्णय लिया है कि यह कागज मिलों से उठाकर राजकीय प्रेस में अभ्यास पुस्तिकायें छपवायी जायं जो सस्ते मूल्य पर बेची जा सकें। इस प्रकार शासन की जानकारी में यह बात आयी कि प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं का पूरा सहयोग इस कार्य में नहीं मिल रहा है और छात्रों की पढ़ाई लिखाई में असुविधा होने की आशंका है। सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि समस्त हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज ग्रीष्मावकाश के बाद पहली अगस्त, 1974 से खोले जायं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

एक सदस्य—

सारे स्कूल और कालेज बन्द कर दिये गये तो सदन की कार्यवाही भी बन्द कर दें।

श्री अध्यक्ष—

स्पष्टीकरण की बात नहीं है। उनका वक्तव्य था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

एक महीने की छुट्टी उन्होंने कर दी।

श्री अध्यक्ष —

मन्त्रियों का जो विविध वक्तव्य होता है उसमें स्पष्टीकरण की गुंजाइश नहीं है। किसी सवाल की गुंजाइश नहीं है।

पिथौरागढ़ जिले में तस्करी के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

1—माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्डोनेपाल ट्रीटी आफ ट्रेड ऐण्ड ट्रान्जिट के अन्तर्गत नैपाली ट्रेडर्स द्वारा अन्य वस्तुओं के साथ कच्चा ऊन, चंवर गाय की चंवर तथा चोपश्म राज्य के पहाड़ी जिलों में विक्रय हेतु लाया जाता है। यह ऊन पहाड़ी जिलों में राज्य सरकार के उद्योग विभाग तथा उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड एवं अखिल भारतीय खादी आयोग द्वारा संचालित ऊन की अनेक योजनाओं को चलाने के लिये उद्योग विभाग, खादी बोर्ड तथा खादी आयोग द्वारा क्रय किया जाता है। इन संस्थाओं के अतिरिक्त यह ऊन पहाड़ी जिलों के स्थानीय ऊन के व्यवसाइयों द्वारा भी उनके व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है।

2—1973 के अन्तिम महीनों में शासन को खादी बोर्ड तथा जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि नैपाली ट्रेडर्स उपरोक्त ट्रीटी के अन्तर्गत लाए हुए कच्चे ऊन को पंजाब तथा दिल्ली के व्यापारियों को बहुत अधिक दर से बेंच रहे हैं और पहाड़ी जिलों में व्यक्तिगत व्यवसाइयों एवं राजकीय संस्थाओं तथा खादी बोर्ड/खादी आयोग को उचित मूल्य पर ऊन उपलब्ध होने में कठिनाई हो रही है। शासन द्वारा इस पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया तथा स्थानीय भोटियों, जो ऊन के उद्योग में लगे हैं वे स्थानीय उद्योग विभाग व खादी बोर्ड व पर्वतीय विकास निगम आदि को उचित मूल्य पर कच्चा ऊन उपलब्ध किये जाने के ध्येय से 30 जनवरी, 1974 को डिफेंस आफ इंडिया रूल्स, 1971 के नियम 114 के उप-नियम (2) के अधीन विज्ञप्ति जारी करके निम्नलिखित आदेश जारी कर दिये:—

1—कच्चे ऊन का प्रत्येक व्यापारी इस आदेश के प्रख्यापन के 48 घंटे के भीतर अपने पास उपलब्ध कच्चे ऊन के स्टाक को, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जिसमें वह ऐसा स्टाक अथवा उसका भाग रखता है, अधिसूचित करेगा।

2—कच्चे ऊन का कोई व्यापारी ऐसे व्यक्ति के अतिरिक्त, जिसे परमिट जारी किया जाय, किसी व्यक्ति को कच्चा ऊन नहीं बेचेगा।

3—कच्चे ऊन का कोई व्यापारी जिसके पास कच्चे ऊन का स्टाक हो, ऐसे व्यक्ति को, जिसे उस जिले के, जिसमें ऐसा स्टाक है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तदर्थ जारी किये गये और ऐसा स्टाक रखने वाले व्यक्ति को सम्बोधित परमिट में निर्दिष्ट किया जाय, निश्चित मूल्य पर ऐसे कच्चे ऊन का सम्पूर्ण स्टाक या निर्दिष्ट भाग बेचेगा।

4—जिला मजिस्ट्रेट सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसा मूल्य निश्चित कर सकता है जिस पर विभिन्न श्रेणी का कच्चा ऊन, कच्चे ऊन के व्यापारी द्वारा उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार बेचा जा सकता है और ऐसा मूल्य उत्पादन लागत, आनुषंगिक व्यय तथा लाभ की उचित मात्रा पर आधारित होगा।

5—जिला मजिस्ट्रेट, इस आदेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से—

(1) सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कच्चे ऊन के किसी व्यापारी से निम्नलिखित अपेक्षायें कर सकता है—

क—ऐसा अभिलेख रखना तथा ऐसी सूचना देना, जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय।

ख—ऐसे प्राधिकारी के पास, जिसे ऐसे आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, कच्चे ऊन की बिक्री अथवा निस्तारण से सम्बन्धित बहियां, लेखे अथवा अन्य लेख्य प्रस्तुत करना।

(2) ऐसे कच्चे ऊन से सम्बन्धित किसी बही, लेखे अथवा अन्य लेख्यों का निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करवा सकता है।

(3) कच्चे ऊन के किसी व्यापारी के भू-गृहादि में प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है अथवा निरीक्षण कर सकता है अथवा किसी व्यक्ति को प्रवेश करने अथवा तलाशी लेने अथवा निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

(4) किसी कच्चे ऊन को, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश का उल्लंघन हो रहा है, हुआ है अथवा होने की संभावना है, अथवा उससे सम्बन्धित किसी बही, लेखे अथवा अन्य लेख्यों को अभिगृहीत कर सकता है अथवा किसी व्यक्ति को अभिगृहीत करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

3—उपरोक्त आदेशों के अनुसार जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ने विज्ञप्ति में उल्लिखित समस्त बातों पर सावधानी पूर्वक विचार करके (उत्पादन लागत, आनुषंगिक व्यय तथा लाभ की उचित मात्रा) इस ऊन का भाव 11 रु० प्रति किलो ग्राम निर्धारित किया तथा ऊन बेचने पर नियमानुसार नियंत्रण लगा दिया। मूल्य निर्धारित करने में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने नैपाली व्यापारियों को अवसर दिया कि यदि यह दर उनको मान्य नहीं है तो वे उजर वाखिल कर सकते हैं व दर बढ़ाने के लिए सबूत दे सकते हैं। व्यापारियों द्वारा लगाया गया ऊन 1.70 लाख किलोग्राम है व धारचूला में सुपुर्दारी में रखा गया है।

4—कच्चे ऊन के मूल्य के जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्धारण तथा ऊन पर नियंत्रण के फलस्वरूप नैपाली ट्रेडर्स को असंतोष हुआ और उन्होंने नैपाली राजदूतावास के माध्यम से भारत सरकार को ऐप्रोच किया तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को भी प्रार्थना-पत्र भेजा।

5—उन्होंने मूल्य बढ़ाने का कोई सबूत नहीं दिया अपितु मूल्य निर्धारण तथा नियंत्रण पर असंतुष्ट हुए व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मार्च 1974 में 8 याचिकायें दायर कर दीं व स्टे आदेश प्राप्त कर लिया तथा डी० आई० आर० को अल्ट्रा वायरस करार दिये जाने की प्रार्थना की।

6—माननीय उच्च न्यायालय ने नैपाली ट्रेडर्स की रिट याचिकायें खारिज कर दी तथा डी० आई० आर० के अन्तर्गत विज्ञप्ति को सही करार दिया व स्टे आर्डर बैकेट कर दिया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

साथ ही यह आदेश दिया है कि ये जिलाधिकारी को ऊन के मूल्य के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें तो उन पर पुर्नविचार करके, यदि उचित एवं आवश्यक समझा जाय, ऊन का मूल्य पुनरीक्षित कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। किन्तु इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के फैसले के विरुद्ध उपरोक्त आठ में से पांच नैपाली ट्रेडर्स ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर दी है जिसमें स्टे (स्थगन) आदेश प्राप्त हुए हैं तथा शासन की ओर से उजुरदारी हेतु तिथि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में निर्धारित हुई है।

7--भारत नैपाल के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों (को विचार में रखते हुए व मैत्री को प्रगाढ़ बनाने) के हित में न्यायालयों में वादों का चलना अच्छा नहीं जान पड़ रहा है इस कारण मामले का आपसी नेगोसियेशन से समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापारियों ने जाहिर किया कि वे पहले दिल्ली आदि के व्यापारियों को 17 रु० किलोग्राम रा ऊन बेचने के वादे कर चके थे। यह ऊन केन्द्रीय बार्डर इक्जामिनर अर्थात् कस्टम अधिकारियों के परीक्षण के उपरान्त नैपाली चैम्बर आफ कामर्स के सर्टीफिकेट के आधार पर भारत में लाया जाता है।

8--यहां पर यह ध्यान में रखने की बात है कि उपरोक्त ऊन इस समय सुपुर्दगी में दिया हुआ है और बरसात के दिनों में इसके खराब होने की संभावना है। इसलिये यह आवश्यक है कि यह ऊन शीघ्र उपयोग में लाया जाय। उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड, खादी कमीशन, गांधी आश्रम आदि संस्थाओं ने नैपाली व्यापारियों से उपरोक्त ऊन में लगभग 50 प्रतिशत भाग परस्पर तय किये गये भाव पर खरीदने की इच्छा व्यक्त की है। यह भाव 17 रु० 10 पैसे प्रति किलोग्राम तय हुआ है शेष आधा भाग नैपाली व्यापारी दिल्ली-पंजाब के व्यापारियों को बेचेंगे। उपयोक्त ऊन का आधा भाग यदि तत्काल पहाड़ी क्षेत्र में उपलब्ध किया जाता है तो जिन परिस्थितियों के हित में भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत आदेश पारित किये गये थे उनमें सुधार होगा। इस पर्यवेक्ष में शासन विधि परामर्शी से राय लेकर इन (डी० आई० आर० के अन्तर्गत पारित) आदेशों को वापस लेने पर विचार कर रही है। नैपाली व्यापारियों ने भी न्यायालय में मुकदमें वापस लेने का आश्वासन शासन को दिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत गंभीर है। जिला पिथौरागढ़ में इसकी दो सीमायें हैं जो एक तरफ चीन से मिलती है और दूसरी तरफ नैपाल से मिलती है। ऊन का व्यापार तिब्बत के साथ और नपाल के साथ भी होता है। इस चीज को देखते हुए कि ऐसे तत्व भी मौजूद ह कि जो नेपाल और भारत के सम्बन्धों को बिगाड़ना चाहते हैं, सुधारना नहीं चाहत हैं। इस प्रश्न को देखते हुए इतनी बड़ी पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्धारण के सम्बन्ध में दे दी गयी है और है जो दाम 11 रुपये प्रति किलो तय था और जो सरकार द्वारा माना गया है अब वह 17 रुपये 10 पसे किलो तक किया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अधिकार बजाय जिला मैजिस्ट्रेट के कोई एसी व्यवस्था करें कि नैपाल के दूतावास और वहां की सरकार से जो माल आ रहा है उसकी कीमत तय करग।

श्री अध्यक्ष--

एक प्रश्न उनका हो जाने दीजिये, अब आपका तो हो गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

श्रीमन्, नहीं, भविष्य में जो भी इसकी कीमत की दर तय होगी वह हमारी सरकार नेपाल के दूतावास से मिलकर तय करायगी?

श्री अध्यक्ष--

दो माननीय सदस्य ही प्रश्न करने वाले हैं, इसलिये वे भी अपना प्रश्न कर लें ।

श्री दयाकिशन पांडेय (जिला पिथौरागढ़)--

मान्यवर, मैंने जो नियम 51 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मुख्य मन्त्री जी से वक्तव्य चाहा था वह इस आधार पर था कि उन्हीं की पार्टी के एक विधायक, माननीय ओझा ने कोई वक्तव्य अखबारों में दिया था कि भारत में जो ऊन आ रहा है वह नेपाली ऊन नहीं है बिल्कुल चीनी ऊन है और तस्करी के लिये वहां से आ रहा है और यहां से नेपाली कहलाने वाले भोटिये यहां से चावल, दवाइयां वगैरह लेकर चीन को उसके बदले में सप्लाई कर रहे हैं । यह खबर तमाम पहाड़ों के अखबारों में छपी । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो वक्तव्य अपने दस्तखतों से दिया है वह इस पृष्ठभूमि में बिलकुल इरेलेवेंट हो जाता है । मेरा सवाल यह था कि आया तस्करी हो रही है या नहीं? इस पर जो वक्तव्य आया है वह बिलकुल दूसरा है । प्रश्न यह है कि यहां से इस देश का माल इन एजेंसियों के द्वारा चीन को पहुंचाया जा रहा है या नहीं । जो वक्तव्य है वह इससे बिलकुल रेलिवेंसी नहीं रखता है । जिस पृष्ठभूमि में मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उस सारे सवाल को दबाने की कोशिश की है और उसके ऊपर से तुर्रा यह लगा दिया है कि हम उनसे सम्बन्ध को सुधारने के लिये कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं ।

फिर मान्यवर, हाई कोर्ट ने यह होल्ड कर दिया है कि यह ऊन तस्करी का है । स्वामी प्रणवानन्द जी जो एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं और जो रायल जागरफिकल सोसाइटी के मेम्बर हैं उन्होंने हाई कोर्ट में यह ऐफीडेविट दिया था कि जिस जगह से यह ऊन आया बताया गया था वहां न तो ऊन के लिये भेड़ें हैं और न उस जगह पर यातायात का कोई प्रबन्ध है और न वहां पर 1 लाख की हैसिबत वाला कोई आदमी रहता है और यह ऊन 30--40 लाख की मालियत का तस्करी में आता है ।

श्री अध्यक्ष--

आप भाषण न देकर प्रश्न करें ।

श्री दयाकिशन पांडेय--

प्रश्न यह है कि तस्करी के इस ऊन के बारे में कुछ खोजबीन की गयी या नहीं और इस बात का भी पता लगाया गया या नहीं कि तस्करी के ऊन के बदले माल यहां से भी भेजा जा रहा है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो सूचना उपलब्ध है मेरे पास उससे यह ज्ञात होता है कि तस्करी की कोई सूचना नहीं है । सूचना यह है कि नेपाली ट्रेडर्स नेपाल चेम्बर आफ कामर्स के जरिये जो सर्टिफाइड है और इंडो-नेपाल ट्रीटी के अन्तर्गत ऊन यहां लाते हैं और ऊन तस्करी में ले आया गया, इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इस सूचना में हो सकता है न हो लेकिन क्या सरकार को कभी इस बात की शिकायत मिली है कि इस ढंग का ऊन तस्करी से आ रहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जैसा समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में प्रकाशित हुआ है वह तो ठीक है लेकिन यह काम तो नेपाल के अन्दर हुआ है और इसकी व्यवस्था तो नपाल ही कर सकता है ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है वह·····

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय गोपाल दत्त ओझा ने कोई बयान दिया है उसकी बिना पर उनका सवाल है। अपनी जानकारी पर नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

ओझा साहब खड़े हुए हैं उनको आप अवसर दें। ओझा जी ने जो बयान अखबारों में दिया है क्या उनकी निजी जानकारी के आधार पर नहीं है?

श्री दया किशन पांडेय—

मेरी निजी सूचना यह है कि सी० आई० डी० ने रिपोर्ट दे रखी है कि अपने को जो नेपाली ट्रेडर्स कहते हैं उनमें से बहुत से लोग तस्करी करके माल चीन भेजते हैं तथा चीन से लाते भी हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। वह मुझे लिखकर दें। यह मसला भारत सरकार से सम्बन्धित है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से सम्बन्धित है। भारत सरकार की कस्टम और चेक पोस्ट वहां हैं। भारत सरकार के पास में इसको भेज दूंगा और वह नेपाल सरकार के पास उसे भेज देंगे। यह मामला भारत सरकार से सम्बन्धित है इसलिये प्रदेशीय सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकती।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

मैंने अखबार में यह बयान दिया है कि ऊन तिब्बत से आता है पहाड़ी जिलों के भोटिया भाइयों का रोजगार चलाने के लिये।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई अभियोग नहीं है। इसकी बुनियाद और आधार एक व्यक्ति है। जब माननीय सदस्य यहां पर मौजूद हैं और उनको कोई रुकावट नहीं है, यदि प्रश्न के रूप में वे मामला उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं·····

उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहकार परिषद् में तीन सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव

पंचायती राज मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहकार परिषद् में, शासकीय संकल्प संख्या यू० ओ० 582-डी/33-2-140-72, दिनांक 8 मार्च, 1973 के अनुसार विधान सभा के 3 सदस्यों को मनोनीत करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहकार परिषद् में शासकीय संकल्प संख्या यू० ओ० 582-डी०/33-2-140-72, दिनांक 8 मार्च, 1973 के अनुसार विधान सभा के 3 सदस्यों को मनोनीत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 1974

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनमति से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की आज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन), विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ह' आगे पृष्ठ 1063-1065 पर)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि माननीय नेता विरोधी दल से उद्योग मन्त्री की इस बारे में बातचीत हुई थी...

श्री अध्यक्ष—

किसके बारे में ?

श्री मधुकर दिघे—

इसी के पुरःस्थापन के बारे में...

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह ठीक है कि मेरी नेता जनसंघ तथा नेता विरोधी दल से बात-चीत हुई थी जिसमें मिलों के पुनर्जीवन के बारे में विचार करने के लिये आग्रह किया गया था कि उसके लिये कोई तिथि निश्चित कर ली जाय। लेकिन श्रीमन्, अभी तो यह केवल पुरःस्थापन हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं—पहली श्री ओम प्रकाश सिंह तथा शिव चरण शर्मा की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हाई स्कूल तथा इंटर मीडिएट की पुस्तकें... तो यह स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इस पर बयान हो गया है...

(अवशेष)

[श्री अध्यक्ष]

दूसरी बढ़ी हुई महंगाई में बढ़ा हुआ महंगाई-भत्ता न मिलने के कारण कर्मचारियों में... यह भी अस्वीकार किया गया है। एक सूचना भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वेतन जाम अध्यादेश। वह भी स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि यह भारत सरकार का प्रश्न है और उसी से सम्बन्धित है।

(कार्यसूची 11 पुकारे जाने पर)

(विरोध पक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला बाराणसी)---

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी इलाहाबाद में रहकर चुनाव में अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं, आटा और गेहूं वहां बंटवा रही हैं, लोगों के वोट खरीद रही हैं।

श्री अध्यक्ष---

किसी को इजाजत नहीं है, कार्यसूची 11।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

मैं सदन को इस तरह से नहीं चलने दूंगा। मैं अपने दल के सदस्यों के साथ आपके निर्णय के विरोध में 5 मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कल्याण सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

यह जो अध्यादेश निकला है, जिसके बारे में आपने कहा है कि यह भारत सरकार से सम्बन्धित है जिसका इस देश के करोड़ों वेतनभोगी लोगों पर असर पड़ने जा रहा है इस पर यहां चर्चा करने की इजाजत मिलनी चाहिये। इसका नतीजा यह होगा कि देश और प्रदेश में एक विषम परिस्थिति पैदा होगी। आपने इस पर विचार करने का मौका नहीं दिया, आपके इस निर्णय के विरोध में मैं इस सदन का 5 मिनट के लिये त्याग करता हूं।

(श्री मधुकर दिघे अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हरिकेवल---

मैं भी 5 मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री हरिकेवल सदन त्याग कर चले गये।)

(सहकारिता मन्त्री---कुछ पढ़ते रहे लेकिन वह कुछ सुनाई नहीं दिया)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

आपने एक निर्णय दे दिया, हमारे कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। लिहाजा, मैं और मेरा दल 5 मिनट के लिये इस सदन का त्याग करता है।

(श्री भीखालाल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

1974–75 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 41—सहकारिता, अनुदान संख्या 73—सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम सहकारिता तथा अनुदान संख्या 50–दुग्धशाला (डेरी) विकास

श्री अध्यक्ष—

(सहकारिता मन्त्री से) फिर से आप रख दें कुछ सुनाई नहीं पड़ा ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41—सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,74,60,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,01,38,100 रुपये की अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये। श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92–ऋण और अग्रिम–सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,14,11,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50–दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,49,000 रुपये की अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, सहकारी समितियों का कृषि उत्पादन में बड़ा योगदान रहा है । सहकारी समितियों द्वारा जो समाज के कमजोर निम्न वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको ऋण नकद या वस्तु रूप में दे कर उनको कृषि उत्पादन बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया । साथ ही उनके उत्पादन का उन्हें उचित मूल्य मिल सके इसके लिये विधायन भंडारण आदि-आदि का हमेशा प्रबन्ध सहकारी समितियों द्वारा होता है । खास कर जन जीवन, और उसमें जो कमजोर लोग हैं, उनका इतना अधिक सम्बन्ध इस सहकारी आन्दोलन से रहा, इसीलिये शासन का हमेशा यह प्रयास रहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें ।

आदरणीय सदन को वैसे मालूम है कि 1972 में सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया जिसकी मंशा असल में यह थी कि ज्यादा से ज्यादा किसान सहकारी संस्थाओं के सदस्य बन सकें और उन्हें उसका लाभ हो सके । 10–20 लाख सदस्य ऐसे थे जो वास्तव में उसका लाभ उठाते थे । वैसे तो पहले 55 लाख सदस्य थे । उनमें 19–20 लाख ऐसे सदस्य थे जो उनका लाभ उठाते थे, जिन्हें ऋण मिलता था । सरकार ने यह निश्चय किया कि यह ऋण पाने वालों

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

की संख्या अधिक बढ़े, वह सदस्य केवल नाममात्र के सदस्य हैं उनको लाभ नहीं होता सहकारी समितियों का, या वह किसान जो अभी तक सदस्य नहीं बन सके हैं, उनको सदस्य बनने का मौका दिया जायगा। इसलिए ऐसी योजना, मास्टर प्लान बने जिसके अन्दर यह था कि किसान स्वयं पैसा दे कर सदस्य बनें या वह न दे सकें तो सरकार की तरफ से सहयोग लें, ऋण दे कर जिसे वह सहकारी समितियों में जमा करें और उसके सदस्य बन सकें। इस तरह की योजना चली। इसका मतलब यह हुआ कि पहले 20 लाख सदस्य थे अब 36 लाख के करीब और बन गये।

इस तरह से आप देखें कि 35/36 लाख सदस्य अब सहकारी समिति के बन चुके हैं, जिनको ऋण दिया जा सकता है। इसका फल यह हुआ कि ऋण अधिक लोग लेने लगे 1973-74 की विभाग की जो छोटी-सी पुस्तिका है उसमें सारी चीजें दी हुई हैं और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने उसको पढ़ा होगा। 73-74 में अल्पकालीन ऋण 64/65 करोड़ बंटा था और 1974-75 में 70 करोड़ का लक्ष्य है। मध्यकालीन ऋण 73-74 में 5 करोड़ 12 लाख और अगले साल 4 करोड़ का लक्ष्य है। दीर्घ कालीन ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है वह 73-74 में 26 करोड़ 27 लाख बांटा गया। यह 31 मार्च तक के फिगर्स हैं इसमें और बढ़ेगा। लक्ष्य अगले साल 35 करोड़ का है। इस मास्टर प्लान का नतीजा यह निकल रहा है कि सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या बढ़ी है। पहले थोड़े लोग लाभ उठाते थे। अब अधिक लोगों को लाभ होगा। इस समय 35/36 लाख सदस्यों की संख्या है। अगले साल 6 लाख और बढ़ाने का लक्ष्य। जितने भी किसान हैं सभी सहकारिता समितियों के सदस्य बन सकें और उनको लाभ मिल सके यह हमारा प्रयास है।

इसमें खास तौर से जो भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण दिया गया है इस प्रदेश में उसमें विशेष तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसकी अंश पूंजी 947.74 लाख हो चुकी है। इसमें 190.78 लाख शासन द्वारा है। 783.96 लाख अन्य सदस्यों द्वारा है। सदस्यों की संख्या 4,36,538 है। इसमें से एक शासन भी सदस्य है। इस तरह से आप देखें कि इसकी अंश पूंजी और सदस्य संख्या दोनों बढ़ी है। 31 मार्च 1974 तक इस प्रदेश में 160 करोड़ रुपया बंट चुका है, दीर्घ कालीन ऋण की यह एक बहुत बड़ी रकम है उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ। कोई काम होता है छोटा मोटा लेकिन खासतौर से 46 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये और साथ ही यह भी है मान्यवर कि करीब-करीब हमेशा यह बैंक लाभ देता रहा है। पारसाल का लाभ 2 करोड़ 29 लाख रुपया है। और यही नहीं इसके अलावा गेहूं की वसूली भी तेजी से है। पूरा जितना पैसा बंटा उसमें आज तक वाजिब है सदस्यों से वसूल करने का 67 करोड़, जिसमें 63 करोड़ वसूल हो चुका है। इस साल की आशा है कि वसूली कोई 30 फीसदी के करीब हो जायेगी। जिन वर्षों में सूखा रहा उसमें इससे कम रही लेकिन इस तरह की वसूली और वर्षों में हुआ करती थी। साथ ही ऋणों के अलावा जो खासतौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यहां का पी० सी० एफ० है। यह मार्केटिंग सोसाइटी की शीर्षस्थ संस्था है। उसकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है खाद बांटने में, बीज बांटने में और गेहूं की खरीदारी में और वैज्ञानिक तरीके से कृषि उत्पादन के भंडारण के लिये भंडारगृह बनाये हैं।

पिछले वर्ष 1973 में 4.22 लाख टन गेहूं की खरीदारी भारतीय खाद्य निगम के लिये पी०सी०एफ० द्वारा की गई। इसके लिये 12 करोड़ का अग्रिम भारतीय खाद्य निगम ने बिना ब्याज के फेडरेशन को दिया। इस वर्ष भी मान्यवर, सुनकर आश्चर्य होगा कि आज तक करीब करीब डेढ़ लाख टन गेहूं की खरीदारी पी०सी०एफ० द्वारा हो चुकी है। इसके अलावा 11 हजार टन अलग से खरीदा और डेढ़ लाख टन अलग से खरीदा। इस साल वैसे 2 करोड़ रुपये ही मिला लेकिन 3 करोड़ रुपया उन्होंने सूद लेकर दिया कोई साढ़े 9 परसेन्ट पर। वैसे ही पिछले वर्ष 3 लाख टन उर्वरक 35 करोड़ में क्रय किया और उसमें से 2.60 लाख टन 28 करोड़ 61 लाख में विक्रय किया। उसने एक लाख टन की क्षमता का भंडारगृह निर्माण करा लिया है।

सबसे महत्वपूर्ण कार्य मान्यवर, इस साल कुम्भ मेला हुआ हरद्वार में। वैसे तो मा० सदस्यों को भी मालूम है कि शासन के हर विभाग ने इस साल के हरद्वार के कुम्भ मेला में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को तो इस देश के न जाने कितने प्रशंसा-पत्र आये। पी०सी०एफ० का भी मैं आपसे निवेदन करूं कि 40 लाख की भीड़ हुई, उस 40 लाख भीड़ में जो आवश्यक है कि उनका शोषण कोई न कर सके इसलिये पी०सी०एफ० की तरफ से वहां पर आटा, सूजी, मैदा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य किया गया था और उसकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस विभाग ने निभाया। अखबारों में भी मा०सदस्यों ने पढ़ा होगा। उस वक्त का पी०सी०एफ० का जो प्रबन्ध था उसकी भी सराहना आमतौर से हुई थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)––

मान्यवर, इसमें बहुत धांधली हुई है और हरद्वार में 40 लाख का राशन लेकर बेंचा गया और ब्लैक किया गया।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव––

40 लाख का इन्तजाम फेडरेशन से हुआ। उसको लिखकर आप दे दीजिये हम जांच करा लेंगे। जो आप कह रहे हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग––

इसकी जानकारी आपको कैसे नहीं है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव––

खाद्य से संबंधित पदार्थों एवं जनरल मरकंडाइज का भी उसकी तरफ से दूकानों का प्रबन्ध था और मा० सदस्य कह रहे थे कि किसी ने शिकायत किया वह तो अलग चीज है। लेकिन आमतौर पर लोगों ने उसकी प्रशन्सा की। यह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग––

पी० सी० एफ० के लोग 40–50 लाख रु० खा गये और उसके बाद आप इन्क्वायरी नहीं करना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव––

मैं कहां कह रहा हूं कि मैं इन्क्वायरी नहीं करना चाहता हूं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)––

जो अपने पक्ष में हो वही मंत्री जी कहिए। मीठा-मीठा गप, कड़ुआ–कड़ुआ थू।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव––

मान्यवर, इस तरह से देखेंगे कि ऋणों का वितरण हर तरह का और फेडरेशन से खाद्य का वितरण, बीज का वितरण और गेहूं की खरीदारी, गोदामों का प्रबन्ध करना उसी तरह से उपभोक्ता, केन्द्रीय उपभोक्ता भंडारों द्वारा और यहां जो इसकी शीर्ष संस्था है उसके द्वारा उपभोक्ताओं को ठीक मूल्य से सामान मिल सके। इसकी व्यवस्था सहकारी समितियों के द्वारा होती है। प्रदेश में और छोटे-छोटे जो कमजोर लोग हैं जैसे रिक्शा वाले उनका शोषण न हो सके इसके लिये भी सहकारी समितियों द्वारा प्रबन्ध किया गया और इस वक्त तक कोई 83 रिक्शा चालक समितियां

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

रजिस्टर्ड हो चुकी हैं । 3,227 रिक्शायें उनको बांटी जा चुकी हैं। 35 के करीब हमारे यहां दुग्ध यूनियन्स हैं, जिनके द्वारा दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलता है ताकि वे दूध का उत्पादन बढ़ा सकें और प्रदेश में उपभोक्ताओं को ठीक से दुग्ध मिल सके ।

इस प्रदेश में दलपतपुर, जिला मुरादाबाद में एक कारखाना है जहां पर दूध से पाउडर बनाया जाता है। 3 करोड़ 82 लाख की एक और योजना है जिसके अन्तर्गत दूध फैडरेशन के द्वारा 2 कारखाने और उत्तर प्रदेश में लगाये जा रहें हैं। एक मेरठ में और एक बनारस में लगेगा। इनके अलावा सरकार का यह भी प्रयास होगा कि दुधारू जानवरों का विकास किया जा सके उस पर भी पैसा खर्च किया जायगा । 10 नयी यूनियनें भी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जायगा। इस प्रकार से मान्यवर, आप देखेंगें कि सहकारी समितियों द्वारा अनेक प्रकार से किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो सके, इसका प्रयास किया गया है। वैसे तो यह पुस्तक "उत्तर प्रदेश में सहकारिता" है जिसमें बड़े विस्तार से हर चीज दी हुयी है । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इन सब चीजों पर विचार करेंगे और जो अनुदान के प्रस्ताव मैंने सदन में पेश किये हैं, उनको पास करेंगे ।

जहां तक माननीय ऊदल जी का प्रश्न है कि कितना बढ़ावा दिया गया, मेरा निवेदन है कि सदस्य बनाये जा रहे हैं, ऋण वितरण व्यवस्था भी अधिक हो रही है पहले से । जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, उसके सिलसिले में मैं तमाम माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार सहकारी आन्दोलन से समाप्त हो, इसके लिये उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कदम उठाया गया है । जिस प्रकार से पहले कज दिये जाते थे, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इतना निवेदन कर दूं कि पसा तो एक खाता था लेकिन एक सोसाइटी के जितने भी सदस्य होते थे, उन तमाम के नाम लिख दिया जाता था। पता भी नहीं लगता था कई वर्षों तक और अब सारी कार्यवाही आर्बिट्रेशन वगैरह की आरम्भ हो जाती थी नीलामी और कुर्की की नौबत आती थी तो लोगों को मालूम होता था। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि जिन्होंने सोसाइटी में दख्वास्त तो दी थी, उन्हें कर्जा नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते थे जो कहते थे कि न तो उन्होंने कोई पैसा मांगा, न कोई दख्वास्त ही दी, कैसे हमारे ऊपर वसूली के आर्डर्स आ गये । इस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ था । बैंकों में भी ट्रान्सफर एन्ट्रीज होती थीं, उनके बारे में भी मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । अब चैक प्रणाली से यह सब समाप्त हो गया है। यह सिस्टम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चलाया गया। अब तो यह अन्य प्रदेशों में जैसे हरियाणा वगैरह में भी शुरू हो रहा है ।

दूसरा जो कदम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया, और देश में कहीं-नहीं और अन्य प्रदेशों के लोग उस योजना को लेने आते हैं, वह है पुलिस की विशेष अनुसंधान शाखा। पहले गबन हो जाता था, उसकी एफ०आई०आर० नोट हो जाती थी लेकिन कार्यवाही नहीं हो पाती थी। जबसे यह शाखा स्थापित हुई, उसपर कार्यवाही होती है । मैं आपसे निवेदन करूं कि 1,758 मामलात में उसका इनवेस्टिगेशन अनुसंधान शाखा ने किया है और उसका नतीजा हुआ कि बहुत से लोगों ने, 6-7 सौ लोगों ने आत्मसपर्पण कर दिया । वसूली भी उससे बढ़ गयी, जो प्रवृत्ति थी गबन करने की वह कम हुई। तो ये सारे कदम ऐसे हैं जिससे मान्यवर, यह अपनी जगह पर सत्य है कि जो इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार था उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया और कुछ किया और कर रही है ।

यह जरूर है जिसे मैं नहीं छिपाना चाहता कि जबसे चेक प्रणाली से कर्जा दिया जा रहा है तबसे ऐसी संभावना नहीं है कि फिर कोई पैसा मार सके, क्योंकि जिस किसान को कर्ज मिलना है उसे चेक मिल जायगा और वह बैंक जायगा तो उसके हाथ में पैसा आयेगा, किसी दूसरे के लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता, लेकिन वह जरूर है कि पुराने जितने मामले हैं जो उनमें तरीका पहले कर्जा देने का था उससे बहुत-सी जगहों पर मामलों की छानबीन हो रही है और विभाग द्वारा कार्यवाही हो

रही है। कार्यवाही होने के बाद उसकी एफ०आई०आर० लाज होगी जो विशेष अनुसंधान शाखा है उसको दी जायगी। पर वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से उतना स्टाफ नहीं मिल सका कि शत-प्रति-शत सत्यापन,सैंट पर-सैंट वेरिफिकेशन हम करा सकें वरना जितने भी पुराने मामले थे वह सारे के सारे साफ हो जाते। कुछ तो वहीं सोसाइटी में गांव वालों के सामने बैठ कर तय हो जाते। जो नहीं तय होते तो जब पुलिस अनुसंधान शाखा को दिये जाते तो उसके जरिये से कानूनी कार्यवाही की जाती। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि जहां एक तरफ यह प्रयास हैं कि हम सहकारी समितियों के सदस्यों को अधिक बढ़ा सकें, अधिक लोगों को लाभ हो सके, अधिक लोगों को कर्जा मिल सके वहां यह भी प्रयास है कि व्याप्त भ्रष्टाचार के लिये जो कदम उठाया गया उसके जरिये से उसको दूर किया जा सके, और वह धीरे-धीरे दूर हो रहा है।

हां, यदि चेक सिस्टम के बाद भी कोई नया तरीका निकाला गया हो, क्योंकि खाने-पी वाले बड़े चालाक होते हैं, तो अगर चेक प्रणाली में भी किसी ने कहीं कोई रास्ता निकाल लिया हो तो माननीय सदस्यों के बताने पर उस पर और भी ऐसा तरीका सोचा जा सकता है जिससे कि वह खाने-पी का तरीका समाप्त हो सके।

अन्त में यही निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं तो उस पर जो कदम उठाया गया उसे भी देखें। सबसे बड़ा मूल्यवान सुझाव वह होगा कि जहां पर कोई भ्रष्टाचार हो उसका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं और जो भी सुझाव इस तरह के आगे उन पर शासन विचार करके कार्यवाही करने का प्रयास करेगा।

अन्त में फिर हमारा निवेदन है कि जो प्रस्ताव रखे गये हैं अनुदान के उन्हें माननीय सदस्य स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला टावा)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41––सहकारिता के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73––सहकारिता तथा डेरी के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92––ऋण और अग्रिम––सहकारिता के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50––दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मुझे यह कहना है कि जिस देश में इतनी असमानता हो और जिसे दूर करने के लिये निरन्तर घोषणा होती रहे उसके बावजूद भी असमानता बढ़ती चली जाय तो उस देश में सहकारिता का कोई महत्व नहीं। सहकारिता का मतलब और आसार होना चाहिये समता। लेकिन जिस देश में इतनी असमानता हो उस देश में सहकारिता का कोई अर्थ नहीं। दूसरे, सहकारिता का मतलब है साझेदारी और साझेदारी उन्हीं लोगों की चल सकती है जो समान हों।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

लेकिन हमारे देश में यह बदकिस्मती है कि इतनी असमानता होने के बाद भी यहां जो सहकारी आन्दोलन चलाया गया वह बे मतलब है और उसी का नतीजा है कि आज इस देश में सहकारी आन्दोलन पूर्णतया फेल हो गया है। अगर सरकार को किसी काम म सफलता मिली है तो इन 27 वर्षों में केवल एक ही बात में सफलता मिली है और वह यह कि इस देश की राजनीति को भ्रष्ट और गन्दा करने में और यह काम किया है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति बच न पाये भ्रष्ट होने से। इसके अलावा सहकारिता कोई विभाग ही नहीं है लेकिन सरकार और सत्तारूढ़ दल ने अपने साधन जुटाने के लिये, अपनी एजेन्सी बनाने के लिये इसको एक बहुत बड़ा विभाग बना दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कहा था कि सरकारी नियंत्रण से अधिक घातक सहकारी आन्दोलन के लिये कोई दूसरी चीज नहीं।

(इस समय 1 बज कर 9 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

किन आज सहकारी आन्दोलन सरकार की एजेन्सी मात्र रह गया है। इससे सत्तारूढ़ दल को जन, धन और साधन तीनों प्राप्त हुये हैं और यह सहकारी आन्दोलन आज जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथों में न रह कर सरकारी कर्मचारियों के चंगुल में फंस गया है। उसका नतीजा यह हुआ है कि सहकारी आन्दोलन में इतना अधिक भ्रष्टाचार घुस गया है कि आज गांव का कोई भी आदमी उससे अछूता नहीं रह गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहले बहुत ईमानदार होते थे, उनमें कोई छल कपट आदि नहीं होता था, इस सहकारी आन्दोलन ने उनको इतना भ्रष्ट बना दिया कि उनमें नाना प्रकार की खराबियां आती गयीं, आपस में नफरत तक पैदा होने लगी। आज जिस तरह से सरकारी मशीनरी के हाथों में यह सहकारिता आन्दोलन जकड़ कर रह गया है उसके कारण लोगों में इस सहकारिता शब्द से उसी प्रकार नफरत होने लगी है जिस प्रकार समाजवाद के नाम से। सहकारिता आज भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द बन गया है। 99 प्रतिशत सहकारी समितियां आज सत्तारूढ़ दल के हाथों में हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

प्रांविशियल कोआपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष तो आपकी पार्टी के हैं, तथा कई अन्य पार्टियों के लोग भी इसमें हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

100 प्रतिशत आपके ही हाथों में रहे, मुझे इसमें एतराज नहीं है, एतराज तो इस बात में है कि आज सहकारिता आन्दोलन जिनके हाथों में है, आज जो सहकारी आन्दोलन के अगुआ हैं, य उसे चला रहे हैं वह निश्चित रूप से तंग दिल [***]

(व्यवधान)

एक सदस्य--

यह "दो कौड़ी के" शब्द माननीय सदस्य वापस लें, यह संसदीय है क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य ही ऐसे हों जो सहकारिता आन्दोलन को चला रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि वे उसे वापस लें।

श्री अधिष्ठाता--

"दो कौड़ी के" शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स तरह के कथन को आप वापस लें।

(* * *) श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

दुच्चा शब्द का भी प्रयोग नहीं होना चाहिये ।

एक सदस्य--

जब माननीय नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि आप झूठ कह रहे हैं, यह शब्द असंसदीय है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप जागरूक नहीं हैं । जिस समय कहा गया था उसी समय आप उसे उठा सकते थे ।

एक सदस्य--

जिस तरह से आपने माननीय सदस्य को निर्देश दिया उसी तरह से आप उन माननीय सदस्य को भी निर्देश दें कि वे अपना शब्द वापस लें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जाइये ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अभी तक सदन की यह परम्परा रही है कि अगर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिये यह शब्द कहे जायं तो यह असंस ीय होगा ।

श्री अधिष ाता--

आपको मेरी व्यवस्था पर कहने का कोई अधिकार नहीं है । आप कटौती के प्रस्ताव पर कहिये ।

एक सदस्य--

अधिष्ठाता महोदय, इन्होंने अपने शब्द अभी वापस नहीं लिये हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

मेरी व्यवस्था देने के बाद यह शब्द प्रोसीडिंग में नहीं रहेंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, आप देखिये 1970 में जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने सहकारिता आन्दोलन को ठीक चलाने के लिये नामिनेशन किये थे । उन्होंने एक ए० आर० और स्टेट बैंक के एजेन्ट, दो सदस्यों को नामिनेट प्रत्येक बैंक में किया था । लेकिन आज जो मंत्री जी हैं, उस वक्त भी यही मंत्री जी थे और जैसे ही वह सरकार खत्म हुयी, सहकारिता मंत्री जी ने जो एजेंट या उसको अलग कर दिया और अपनी पार्टी के बहुमत को लाने के लिये अपने दल के लोगों का उसमें नामिनेशन किया । आप बातें यह करते हैं कि सहकारिता से दल बन्दी ह ं । लेकिन आज आप अपने स्वार्थों को हल करने के लिये, अपने राजनैतिक उद्देश्यों को कामयाब करने के लिये सहकारी आन्दोलन को आप अपने हाथों में जकड़ रहे हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे कानून बनाइये कि यह सहकारी आन्दोलन कामयाब हो सके और इसको सुविधा मिल सके । लेकिन आज सरकार इसको पूरी तरह से अपने हाथ में ले रही है जिसका नतीजा यह हुआ है कि यह सहकारी आन्दोलन भी भ्रष्ट हो गया है और सरकार तो भ्रष्ट है ही ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह सहकारी आन्दोलन और सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं। 1969-70 में जब आपकी सरकार थी तो आपने सहकारी विभाग को क्यों नहीं समाप्त कर दिया इस पर चर्चा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इस पर चर्चा आयेगी। अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो चाहता था कि किसी का नाम न लूं। लेकिन सदन के सामने जब किसी तथ्य को रखना जरूरी हो गया है तो मैं नाम को लूंगा।

अभी हमारे मंत्री जी ने कहा था कि तथ्य मेरे सामने लाये जायं मैं उन पर कार्यवाही करूंगा। जिस समय यह तथ्य श्री रोशन लाल की जो रिपोर्ट है जिसमें 14 करोड़ का घपला दिखाया गया था, उस समय भी शायद मंत्री जी यही थे और आज भी मंत्री जी वही हैं। यह 14 करोड़ का घपला, श्री रोशन लाल की रिपोर्ट आपके सामने है इसको देखिये। उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आप कहेंगे कि उसकी तरफ ध्यान दिया जायेगा, कार्यवाही की जायेगी। मैं स्वागत करूंगा इस सत्तारूढ़ दल को कि जिसने इतने बड़े करप्शन पर ध्यान दिया।

दूसरी बात सुपर-मार्केट में लगभग 10 लाख रु० का घपला था। इस घपले में मैं नाम नहीं लेना चाहता था परन्तु मुझे लेना पड़ रहा है। वहां के जनरल मैनेजर, श्री छोटेलाल थे जिन्होंने सुपर मार्केट को चौपट किया। उसके बाद रोशन लाल रिपोर्ट जो पी० सी० एफ० के घपले को निकाल कर रखा था उसमें श्री ओ० पी० त्यागी सचिव थे। इसमें लगभग 100 व्यक्ति दोषी थे। लेकिन जनरल मैनेजर, श्री छोटे लाल ने बाजार को ऐसा तहस-नहस कर दिया था कि उसको कोई नहीं चला सका। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दोषी होते हुये भी दण्ड देने के बजाय उन्हीं (श्री छोटेलाल को) पी० सी० एफ० में सचिव के पद पर पदोन्नति कर दी गई। इस प्रकार जो रोशन लाल रिपोर्ट आई थी, जिसमें बेईमानी थी, उसके श्री ओ० पी० त्यागी, श्री छोटे लाल के मित्र होने के नाते उनके मामले पर लीपा-पोती कर दी और जिससे उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज श्री छोटेलाल, पी० सी० एफ० के सचिव हैं।

क्या मंत्री जी इस सहकारी आन्दोलन को आगे बढ़ा सकेंगे? ऐसे भ्रष्ट आदमियों के हाथों में देकर। श्री छोटे लाल के ऐसे कारनामे होते हुये भी वह सचिव हैं जहां कि सबसे ज्यादा घपला होता है। इनको जितनी सुविधायें दी जा रही ह उससे इनको दूसरा राज्यपाल माना जा सकता है। इन सब का दुरुपयोग होने का कारण है कि श्री श्याम बिहारी लाल उनके मित्र हैं। श्री श्याम बिहारी लाल के द्वारा श्री छोटे लाल को मदद मिलती है। दूसरी ओर श्री श्याम बिहारी लाल की जीप और कार कानपुर में बनने जाती हैं और उनका पेमेन्ट पी० सी० एफ० के द्वारा किया जाता है। अधिष्ठाता महोदय, आप सोचिए और विचार करिए कि कानपुर में जाकर कार बने तो क्या यह सही ह। क्या लखनऊ में वर्कशाप नहीं हैं। यह इसलिये होता है कि सारा खर्चा पी० सी० एफ० के द्वारा उठाया जाता है। इसलिये भ्रष्टाचार को खत्म करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यदि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय तो सबसे पहले श्री छोटेलाल पर कार्यवाही होनी चाहिये। परन्तु यहां कार्यवाही के बजाय प्रमोशन दिया जा रहा है। इस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कितना कहा जाय यह असंभव है।

मैं एक सर्वोच्च स्थान को पकड़ कर कहता हूं। यदि सर्वोच्च स्थान पर भ्रष्टाचार आ जायेगा तो नीचे के स्तर पर भी भ्रष्टाचार पहुंच जायेगा। इसी प्रकार वहां 1,500 रु० का टी० ए०, डी० ए० बनता है परन्तु कोई मुआयना नहीं किया जाता है। तीन वर्षों से करीब 50 हजार रुपया टी० ए०, डी० ए० में लिया लेकिन कहीं भी कोई मुआयना नहीं हुआ। पिछले साल पी० सी० एफ० के द्वारा गेहूं खरीदा गया और यह कहा गया कि जो अच्छे कर्मचारी हैं उनको

इनाम दिया जायगा। दो लाख रुपया शायद रखा गया। लेकिन उन सचिव महोदय की वजह से आज तक उसको नहीं बांटा गया। मुझे बतलाया गया कि उनको एक कार चाहिए थी। जब उनको कार नहीं दी गयी तो जो अच्छे कार्यकर्ता थे उनको भी वह रुपया नहीं बांटा गया। एक बात और बतलाना चाहता हूं। डेढ़ दो साल पहले रिकवरी आफिसर की नियुक्ति के लिए बजट हो चुका था लेकिन अधिष्ठाता महोदय मंत्री जी ने, सरकार ने उनकी आज तक नियुक्तियां नहीं कीं और केवल इसलिए नहीं की कि सत्तारूढ़ दल के जो बड़े-बड़े लोग हैं उनके ऊपर रिकवरी है। दूसरा कारण यह है कि सचिव महोदय की अभी बातचीत नहीं हो पायी है कि रिकवरी आफिसर की नियुक्ति में किस से कितना पैसा लिया जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सत्तारूढ़ दल अपनी एजेन्सी के रूप में इस सहकारिता विभाग को चला रहा है। सरकार का इस विभाग से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए था और इसको जनता पर छोड़ देना चाहिए था। अगर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्यों में आस्था है और उनके नेतृत्व को आप स्वीकार करते हैं तो उनके उद्देश्यों को मानिये क्योंकि उनका कहना था कि सरकारी नियंत्रण ही सहकारी आन्दोलन के लिए सबसे घातक चीज है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, करप्शन की तीन जगहों की बात और बतलाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 55 जिलों में जो जिला उन्हें पसन्द हो उसकी वे जांच करा लें। जिस जिले में वह सबसे कम करप्शन समझते हों उसकी जांच करा लें। इससे ही सहकारी विभाग में जो भ्रष्टाचार है वह उभर कर सामने आ जायगा और उससे फिर सारे सूबे का नक्शा सामने आ जायगा। मेरी मंत्री जी से मांग है कि कोई भी एक जिला निश्चित कर लें और उसकी जांच करा लें।

इसी तरह से फतेहपुर जिले का मामला है। मुझे बताया गया कि जिला बैंक के संचालक मंडल के विरुद्ध शिकायत की और तत्कालीन सहकारिता मंत्री ने जांच करायी और जांच सही भी पायी गयी लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसका एकमात्र कारण यह है कि वहां पर सत्तारूढ़ दल के विधान सभा के सदस्य हैं। उन्होंने वहां पर डिग्री कालेज के लिए सुपरवाइजर के माध्यम से लाखों रुपया एकत्र किया लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह से मैं अपने जिले का भी थोड़ा-सा जिक्र कर देना उचित समझता हूं। एक ट्रक यूरिया था। पी० सी० एफ० ने दिया। लखना के सुपरवाइजर ने रिसीव कर लिया। लेकिन क्षेत्रीय सहकारी समिति के स्टाक में एक ट्रक यूरिया खाद नहीं चढ़ाई गयी। 30/40 हजार रुपये का पता नहीं। वह स्टाक में नहीं। सुपरवाइजर ने रिसीव कर लिया लेकिन पता नहीं वह खाद कहां चली गयी?

इसी तरह से डी० सी० डी० एफ० ने करीब 1 लाख 32 हजार रुपये का दुरुपयोग किया। वहां पर आडिट हुआ। गबन है। लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। डी० सी० डी० एफ० न बरफ के लिये 1 लाख 10 हजार खर्च किये, लेकिन एक टुकड़ा बर्फ का नहीं बना, दो साल के अन्दर। इसी प्रकार सहकारी सूती मिल, इटावा पर करीब 62 लाख रुपये का घाटा है। डी० सी० डी० एफ० इतने घाटे में है कि यदि सारी चल-अचल सम्पत्ति भी बेंच दी जाय तो भी कर्जा नहीं दूर किया जा सकता, यह हालत है।

इसी प्रकार से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर जिला कोआपरेटिव बैंक में 15 संचालक हैं। उनमें से केवल 3 निर्वाचित हैं और 12 कोआप्टेड हैं। यह जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में सहकारी आन्दोलन है? शर्म की बात यह है कि उन कोआप्टेड सदस्यों ने ही कोआप्शन किया। उसके बाद जो कोआप्टेड सदस्य हैं, वह कांग्रेस कमेटी के

[श्री मुलायम सिंह यादव]

अध्यक्ष हैं और इटावा जिला कोआपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष भी हैं, जब कि बाईलाज में है कि दो केन्द्रीय सहकारी समितियों के संचालक नहीं हो सकते हैं। लेकिन मान्यवर, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज कल इटावा कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, वह भर्थना सहकारी सम्मिति के अध्यक्ष भी हैं, संचालक हैं और इटावा कोआपरेटिव बैंक के संचालक और उपाध्यक्ष भी हैं। इतनी अनियमितताएं हैं और एक करोड़ का घोटाला है। ये सारी चीजें मंत्री जी की नोटिस में होने के बाद भी आज तक उस संचालक मण्डल को भंग करने की बात नहीं सोची। यह जन-प्रतिनिधियों के हाथ में सहकारी आन्दोलन है। पूरा का पूरा यह आन्दोलन सत्ता को मजबूत करने के लिये और अपने स्वार्थों को सिद्धि के लिये चलाया जा रहा है, अधिष्ठाता महोदय।

इसी तरह से आपने कहा कि पुलिस अनुसंधान शाखा नियुक्त की गयी है। बड़ी सराहना की बात है। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या इस शाखा से करप्शन मिटेगा? मैं तो कहता हूं और बढ़ेगा। जो लोग दुर्बल थे, गरीब थे, कमजोर थे, उन पर उन्होंने कार्यवाही की और जो बड़े-बड़े लोग हैं उन पर कहीं भी उस शाखा ने कार्यवाही नहीं की। बड़े-बड़े लोग आज भी बकायेदार हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट लाज नहीं हुई। मैं, मान्यवर कहना चाहता हूं कि अगर इस अन्दोलन को सफल करना चाहते हैं तो जितने भी भ्रष्ट सुपरवाइजर्स हैं, मेरी मांग है कि उनको बर्खास्त करायें उसके बाद सुपरवाइजर्स का सरकारीकरण करिये और यदि उनका वेतन कम है, तो उसको भी बढ़ाइये और उसके अलावा जो भी सहकारी आन्दोलन का कर्मचारी हो चाहे वह ए० आर० हो या सुपरवाइजर हो, चाहे एकाउन्टेन्ट हो जिसको खेती का ज्ञान हो उसको ही नियुक्त करिये।

किसानों के कल्याण और उसके हित के लिये यह सहकारिता आन्दोलन चलाया गया था किन्तु उनमें जो कर्मचारी हैं उसमें से 75 फीसदी लोग ऐसे हैं जिन्हें कृषि का ज्ञान नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं। लोगों की मीटिंग 22 जुलाई को हुई जो खरीफ की फसल के सिलसिले में हुई थी तब उनसे यह पूछा गया कि खरीफ की फसल कब से शुरू होती है? पिछले वर्ष 22 जुलाई को यह मीटिंग हुई थी लेकिन उनको यह पता नहीं था कि खरीफ की फसल कब शुरू होती है। उनको पता था कि जब पानी बरसे तब खरीफ की फसल शुरू होती है। उनको तारीख तक नहीं मालूम थी कि खरीफ और रबी की फसल कब शुरू होती है। खरीफ की फसल के लिये वह मीटिंग और पहले यानी पहली जुलाई के पहले ही बैठक होनी चाहिये थी लेकिन 22 जुलाई को की गयी तब तक खरीफ की फसल का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कट कर आना भी शुरू हो जाता है। तो मेरी मांग है कि चाहे जो भी कर्मचारी इस विभाग में आप नियुक्त करें उसे कृषि का ज्ञान होना चाहिये।

आप सहकारिता आन्दोलन को स्वच्छ नहीं कर सकते हैं जब तक आप यह तय न करें कि कोई भी सुपरवाइजर हो वह तीन साल से ज्यादा एक सहकारी समिति में नहीं रह सकता। लेकिन माननीय मंत्री जी सत्रह-सत्रह और अठारह-अठारह सालों से एक सुपरवाइजर एक ही समिति में है। वहां रह कर उसने अपना रोजगार शुरू कर दिया ह, अपना मकान बना लिया, अपने रिश्तेदार बना लिये, सम्पर्क स्थापित कर लिये हैं, इसे समाप्त करना बहुत जरूरी है। आप ट्रांसफर एन्ट्रीज की बातें कर रहे थे कि चेक सिस्टम के बाद भी ट्रांसफर एन्ट्री हो रही हैं। उसका कारण है कि सुपरवाइजर ने इतना विश्वास वहां अपना बना लिया ह वह इतना घाघ हो गया है कि वह आज भी ट्रांसफर एंट्री कर रहा है।

मैं अपने जिले के एक सुपरवाइजर का उदाहरण देता हूं। आप जांच करा लें, खेड़ा धौलपुर में एक सुपरवाइजर है जिनका नाम रामजीत यादव है वह सन् 1962 म वहां नियुक्त हुआ था। उस वक्त उसकी हैसियत यह थी कि 10 या 12 बीघा जमीन उसके पास थी।

और सन् 1962 से लेकर आज तक उसके पास खेती के अतिरिक्त उसके पास और कोई काम नहीं है और न उसके घर में कोई नौकर है और न कोई व्यापार है और आज उसके पास आप नोट कर लें और जांच करा लें कि आज उसके पास दो ट्रकें हैं, एक ट्रेक्टर है, एक मोटर साइकिल है, 70 बीघा जमीन है, दो ट्यूबवेल्स हैं। यह सब कहां से आया जब उसके परिवार में कोई और काम करने वाला नहीं है, कोई और व्यापार नहीं है तब वह चौबीसों घंटे मोटर साइकिल पर घूमता है और सत्तारूढ़ दल का जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वह उसको 10 हजार 15 हजार रुपया तक दे देता है। वहां पर वह आज 12-13 सालों से है लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं हुआ तो मेहरबानी करें मन्त्री जी वहां के गरीबों और किसानों पर और यह नियम बना दें कि कोई सुपरवाइजर तीन साल से ज्यादा एक सहकारी समिति में नहीं रह सकता। इसका ट्रांसफर तुरन्त कर दें इसी तरह से जितने सुपरवाइजर तीन साल से ज्यादा एक ही जगह पर हैं उनका ट्रांसफर कर दें और जब तक मन्त्री जी यह नहीं करेंगे तब तक सहकारी आन्दोलन में से यह भ्रष्टाचार कभी नहीं मिटेगा।

इसी तरह से जहां मैं सुपरवाइजरों की बात कह रहा था, वहां जो यहां पर सबसे बड़ा दफ्तर है उसका एक कर्मचारी श्री छोटेलाल सन् 1965 से यहां बैठा हुआ है और यू० पी० में सहकारिता आन्दोलन में सबसे करप्ट आफिसर है। और इस वर्ष जब स्थानान्तरण की सूची बनी तो उसमें उनका नाम आता है लेकिन मददगार ने लिस्ट से नाम काट दिया और 65 से लेकर अब तक वह लखनऊ में हैं जब कि वह सबसे ज्यादा भ्रष्ट आफिसर हैं। ट्रांसफर तक तो आप कर नहीं सकते और कहते यह हैं कि सहकारी आन्दोलन की उत्तर प्रदेश में सराहना हो रही है क्योंकि भ्रष्टाचार मिटाया जा रहा है।

इसी तरह से आपने यह व्यवस्था बना रखी है कि 30 जून के बाद लेन-देन खत्म। अमेरिका में किसान को जो रुपया दिया जाता है उसे किसान प्रयोग में लाता है। लेकिन अगर उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो वहां पर उसको दुबारा आवश्यकता के अनुसार रुपया दिया जाता है और दुबारा भी अगर वह अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पाता है तो फिर उसको सरकारी ऋण कभी नहीं दिया जाता है। आप यहां 30 जून की बात करते हैं। 30 जून के बाद फसल की कटाई, निराई, खाद और पानी इन सब की जरूरत होती है, लेकिन आपकी सारी मदद बन्द। इसलिए मेरी मांग यह है कि किसान को आवश्यकतानुसार धन दें और इस तरह के नियम बनायें कि यदि वह अपनी फसल को पैदा नहीं कर पाते हैं तो आप उसको दुबारा ऋण न दें।

जहां तक ट्रांसफर एन्ट्री रोकने का सवाल है इन सुपरवाइजर्स को हटाइये। आप यह न समझ बैठिये कि आपने चेक सिस्टम जारी कर दिया है तो ट्रांसफर एंट्री नहीं हो रही हैं यह गलत बात है। मेरी निजी जानकारी है कि ट्रांसफर एंट्री अब भी सुपरवाइजर 50 प्रतिशत कर रहा है। दूसरे भाई के नाम मकान, जमीन आदि कर दी। उसको विश्वास हो गया कि रुपया नहीं मारा जायगा। चेक वापस आ जायगा। अपना झोला लेकर फिर वह पहुंच जायगा और कहता है कि यह रुपया इनको दे दिया जाय। इस तरह से रुपया ट्रांसफर हो जाता है। मेरा यही निवेदन है कि किसान को आवश्यकतानुसार धन दिया जाय। आप कहते हैं कि खेती की तरक्की के लिए किसान को रुपया दिया जाता है। एक एकड़ पर 100 रुपये दिये जाते हैं यानी 5 एकड़ पर 500 रुपये। 500 में से हिस्सा काटकर यानी 125 रुपये काट कर 375 रुपये किसान को मिलते हैं तो 375 रुपये में कौन सा जानवर किसान ले लेगा, खेती के औजार तथा खाद आदि ले लेगा? यह कोई बड़ी मदद नहीं है। मेरा सुझाव है कि किसान को आवश्यकतानुसार मदद दें।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

इसी तरह से जो आपने ए, बी, सी, कैटेगरी के बैंक बना रखे हैं उसे इस कैटेगरी सिस्टम को खत्म करके एक से ही बैंक चलाइये । कैटेगरी बनाने से कोई फायदा नहीं है, नुक्सान ही है । इसी तरह से साधन सहकारी समितियां हैं । यह बिलकुल बे मतलब हैं, इसको समाप्त कीजिये और क्षेत्रीय सहकारी समितियों को कुछ छोटा कीजिये । जो अलग-अलग समितियां हैं जैसे खाद, गन्ना, बीज समिति आदि ये सारी अलग-अलग समितियां एक समिति में होना चाहिये और एक समिति के द्वारा सारे काम चलाये जायं तो ज्यादा अच्छा है ।

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक सहकारी समितियों में बीज और खाद देने का प्रश्न है वह बिलकुल नगण्य है, कोई बीज और खाद नहीं दे रहे हैं । केवल एक धन्धा हो रहा है । उससे नाज ले लिया और दूसरी फसल पर सवाया नाज दे दिया । उत्तर प्रदेश की सारी सहकारी समितियों में यही धन्धा हो रहा है । कहीं भी बीज नहीं है । दो प्रकार के बीज होते हैं एक फाउन्डेशन और दूसरा सेलेक्टेड । ये दोनों प्रकार के बीज सहकारी संघ के पास रहने चाहिए और हर वर्ष नया बीज होना चाहिये । इस प्रकार की व्यवस्था कहीं नहीं है । किसानों की लूट हो रही है जिससे सहकारी आन्दोलन फेल हो रहा है ।

जहां तक भूमि विकास बैंक का सवाल है बड़ी सराहना की जाती है कि बड़ा काम कर रहा है । किन्तु अधिष्ठाता महोदय, यदि यह भूमि विकास बैंक न होते तो किसानों की हालत अच्छी रहती । मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इनके जरिये आज किसानों को कितना सताया जा रहा है । मान लीजिये 500 रुपये की कोई किस्त किसी किसान पर बकाया है तो वहां पर भूमि विकास बैंक की जीप जाती है तो उस दिन का उस जीप का पेट्रोल का सारा खर्चा और अखबारों में उसकी सूचना आदि मिलाकर 500 रुपये और उस किसान पर हो जाते हैं । आपने देखा होगा कि अखबारों में एक लम्बी लिस्ट निकलती है कि खेती की नीलामी हो रही है । इस तरह से आज भूमिहीनों और गरीब किसानों की जमीन ली जा रही है । इसके लिए एक ही उपाय है कि इन अधिकारियों पर कड़ी निगाह रखी जाय । यदि 20 रुपये का पेट्रोल जीप पर खर्च होता है तो ये 100 रुपये लिख देते हैं, विज्ञापन पर 10–20 रुपया लगता है तो ये 300 रुपये लगा देते हैं । जहां तक अखबारों का सवाल है, आज कोई किसान अखबार नहीं पढ़ता है । विज्ञापन निकालने से कोई फायदा उन्हें नहीं है । यह काम आप 10 पैसे के कार्ड द्वारा भी कर सकते हैं ।

दूसरी बात यह है कि यदि किसान को 4,000 रुपये मिलने वाले होते हैं तो भूमि विकास बैंक का मैनेजर, ग्राम सेवक और डीलर ये तीनों मिलकर उसे दो–ढ़ाई हजार ही रुपया देते हैं और वह भी चेक के द्वारा देते हैं । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसे पूरा चेक देकर उसे खुले बाजार में जहां वह उचित समझे सस्ता सामान खरीद सके । आपने जो यह प्रतिबन्ध लगा रखा है कि वह डीलर के माध्यम से ही खरीदेगा, उसे हटाया जाना चाहिये । क्योंकि यहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है । एक बार में उसे चेक नहीं दिया जाता है । इस प्रकार ये तीनों मिल कर आज किसान को लूट रहे हैं । अधिष्ठाता महोदय, मेरा सुझाव है कि किसान के पास वसूली के लिये जो जीप चलायी जाती है उसके पेट्रोल पर जो खर्चा आता है, अखबारों में विज्ञापन जो निकाला जाता है उसको समाप्त किया जाय और जिस तरह से सहकारी बैंकों में साइकिल आदि से कर्मचारी काम करते हैं, उसी तरह से काम किया जाय । वरना किसानों की भूमि जैसे आये दिन नीलाम हो रही है, वह होती रहेगी । तो ऐसी व्यवस्था कर देने से निश्चित तौर से बहुत से किसानों की भूमि बच जाएगी । लेकिन वह 500 रुपया नहीं दे पाता है, तब तक उस पर 600 रुपया और खर्च हो गया ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी तरह से सहकारी के क्रय-विक्रय केन्द्र चल रहे हैं । इसके सचिव को भी 3 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए और किसान की सुविधा के लिए

प्रत्येक क्रय-विक्रय केन्द्र पर वर्कशाप हों और वहां पर पेट्रोल और डीजल का भी इन्तजाम हो। अगर क्रय-विक्रय केन्द्र पर सारे ये साधन होंगे, तो किसान के जो ये आकर्षण हैं, यह वहां पर बेचने के लिए आ सकता है।

इसी तरह से आपने जो योजना खाद की कमी को मिटाने के लिये बनाई थी गोदाम बनाने के लिये, जिसके लिये कुछ पैसा स्वीकार किया था और यह निश्चित किया गया था कि 4 लाख टन खाद की क्षमता के गोदाम बनाने हैं। लेकिन अगर खाद का कहीं घपला गायब हो जायगा तो ये जेबें नहीं भर पाएंगी। लिहाजा यह योजना घट कर 1 लाख टन खाद की बन पाई। पूरी इसलिये नहीं बन पाई कि कहीं ऐसा न हो कि सारी खाद का भ्रष्टाचार बन्द हो जाए। यह भ्रष्टाचार करने वाले बड़े-बड़े लोग हैं, जिनके बारे में ऐसे शब्द नहीं कहना चाहता। आप ऐसे वाक्यों के लिए असंसदीय शब्दों की बात कहते हैं, मेरे लिए ज्यादा कहा जाए, यदि मैं ऐसे स्तर पर काम करूं। शब्दों के स्तर पर कहने की इजाजत नहीं होगी उसको जो बेईमानी करने वाला होगा, तो बेईमान और ईमानदार में कोई फर्क नहीं रह जाता है। मैं आपको बता रहा था यह सहकारी आन्दोलन, पूरी सरकारी मशीनरी और सत्तारूढ़ दल के चंगुल में फंस गया है तथा जो इतनी बड़ी धनराशि सरकार स्वीकार कराने जा रही है, वह केवल उन भ्रष्ट कर्मचारियों और भ्रष्ट अधिकारियों और बड़े-बड़े सत्तारूढ़ दल के लोगों की ऐय्याशी, फिजूलखर्ची और शौकीनी में खर्च किया जाएगा।

ये कंज्यूमर्स सोसाइटीज जो चल रही हैं, इसका कपड़ा चुनाव में बांटा गया उन्हीं के क्षेत्रों में और मुझे तो यहां तक बताया गया है कि माननीय मन्त्री जी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कपड़ा बंटा और जो माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं, उनके क्षेत्र में भी बंटा है। आज जो सहकारिता मन्त्री हैं उनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा बंटा है। लोकपति जी यहां बैठे हैं, वह जानते हैं, यह सारा का सारा धन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। मुझे उम्मीद है कि सदन मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को समर्थन देगा।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता विभाग का अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत है, उसके समर्थन में मैं उठा हूं। माननीय मुलायम सिंह जी का सहकारिता पर भाषण सुना। उन्होंने मूलतः इस बात को स्वीकार कर लिया कि सहकारिता आन्दोलन को जनमत का समर्थन होना चाहिये। विरोध उनका जो रहा वह सहकारिता विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों, चाहे वे राज्य कर्मचारी रहे हों या सुपरवाइजर रहे हों, के सम्बन्ध में था। उन्होंने कोई खास चीज नहीं बतायी जिस पर विचार-विनिमय होता। इस अनुदान के सम्बन्ध में कुछ सुझाव माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूं।

आज हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हर वर्ष हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से बालक पढ़ कर निकल रहे हैं। मैं समझता हूं कि छात्रों म जो असंतोष है उसका मूल कारण यह है कि हमारे छात्रों को अपना भविष्य दिखायी नहीं देता। विद्या समाप्त करने के बाद वह क्या करें ? उनके सामने कोई रास्ता नहीं रहता। सहकारिता ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम बहुत अश तक इन पढ़े-लिखे व्यक्तियों की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। एक सर्वेक्षण हुआ था 1958-60 में केन्द्रीय सरकार द्वारा और उसमें 11 सौ उद्योग ऐसे निकाले गय थे जिनकी स्थापना देहातों में हो सकती थी और जिसमें हमारे पढ़े-लिखे बालक लगाय जा सकत थे।

[श्री लोकपति]

जो भी वजह हो, चाहे हमारी शिक्षा पद्धति हो, कोई हमारा छात्र जो पढ़ कर निकलता है वह नौकरियों में जाना चाहता है, जो भी वजह हो लेकिन उन्हें रोजगार देना आवश्यक है। उसके वातावरण के अनुरूप सहकारी समितियों के माध्यम से यह कार्य पूरा किया जा सकता है। अपने प्रदेश में इस समय साढ़े पांच लाख पढ़े-लिखे बेरोजगार शिक्षित हैं। कोई भी सरकारी विभाग, उत्तर प्रदेश का अथवा उत्तर प्रदेश के जितने पूंजीपति हैं, चाहे लघु उद्योग के या मध्यम उद्योग के या बड़े उद्योग के हों उनको नौकरी नहीं दे सकते। किसी भी उद्योग की स्थापना की जाय उसमें उद्योग में निर्माण करने वाले, उत्पादन करने वाले लोगों की आवश्यकता अधिक होती है, बनिस्बत क्लर्क और लिपिक या सुपरवाइजर या एग्जिक्यूटिव स्टाफ के। वह हमारे बालक और विद्यार्थी जो पढ़ कर निकलते हैं उस कार्य को नहीं कर सकते। उनको प्रेरणा मिल सकती है अगर उनसे कहा जाय कि तुम्हारी यह समिति कुछ पढ़े-लिखे बेरोजगारों की है, मैं इसके माध्यम से उत्पादन करने वाली चीजों के दो चार नाम दे सकता हूं। वह सूची यहां नहीं है। मैंने अखबार में पढ़ा था। तब मैं इस सदन का सदस्य नहीं था। कागज बनाने का काम है, दियासलाई बनाने का काम है, पेंसिल बनाने का काम है। फलों को डिब्बों में बन्द करने का कार्य है। इस प्रकार 11 सौ कार्यों की सूची निकली थी। अगर उनको सहकारिता विभाग के माध्यम से शुरू किया जाय तो बहुत अंश तक जो बड़ी भारी समस्या है हमारे प्रदेश की योगदान द्वारा दूर की जा सकती है।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में जिला सहकारी बैंक हैं। जिला सहकारी बैंकों की स्थापना हुई थी कृषि में सहयोग देने के लिये। ऋण बांटने की जो सीमा निर्धारित की गयी थी जिस जमाने में उस जमाने में पांच हजार रुपये थे। आज के युग में कृषि में वह क्या सहयोग दे सकती है। खाद का मूल्य जो हो गया, पंपिंग सेट का जो मूल्य हो गया, बीज का जो मूल्य हो गया, छोटे छोटे बल, चलने वाले कृषि उपकरणों की जो कीमत है, पांच हजार की सीमा के अन्दर नहीं आ सकते। सम्भवतः 1956–57 में 5 हजार की सीमा निर्धारित की गयी थी। उस समय से अब तक जो मूल्यों में वृद्धि हुई है उसके अनुरूप उसकी सीमा बढ़ा देनी चाहिये। आज जो कीमत है उसके अन्तर्गत मध्यम ऋण की सीमा 20 हजार रुपये होनी चाहिये जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे पढ़े-लिखे नौजवान हैं उनको सहकारिता के माध्यम से लघु उद्योगों की स्थापना कराई जाय। छोटे उद्योग चलाये जायं और जिला सहकारी बैंकों के बाई-लाज में अमेंडमेंट होना चाहिये। जो बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों की संस्था द्वारा कोई उद्योग प्रारम्भ किया जाता है तो जिला सहकारी बैंक उसमें अपना योगदान प्रदान करे जैसा कि वह कृषकों के लिये देता है।

जहां तक सुपरवाइजर्स की बात हमारे भाई मुलायम सिंह जी ने कहीं वह सही हो सकती है। लेकिन उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि में प्रकाश नहीं डाला। कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और आगे प्रगति करने का उसको कोई मौका नहीं है तो उसकी मनःस्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जाय। अतः मेरा अनुरोध सदन और मन्त्री जी से है कि सुपरवाइजर्स का प्रांतीयकरण कर दिया जाय। जब तक यह नहीं होगा तो तक जो–जो बातें उन्होंने कहीं हैं उनका निराकर नहीं हो सकता है। सुपरवाइजर किसी जगह पर 8–10 साल रहता है तो उसका स्थानान्तरण कौन करे। वह एक ऐसा व्यक्ति है कि उसका कौन मालिक है, वह स्वय नहीं जानता है। कौन सा अधिकारी उसके कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है या प्रबन्ध कर सकता है इसका आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। इसका निर्णय तभी होगा जब उनका प्रांतीय-करण किया जाये। सुपरवाइजरों की हड़ताल हुई थी और उनकी भी प्रांतीयकरण करने की मांग थी और सदन की भी इच्छा है तो हमारा मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय।

1974–75 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान 1017 संख्या 41–सहकारिता, अनुदान संख्या 74–सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92–ऋण और अग्रिम सहकारिता तथा अनुदान संख्या 50–दुग्धशाला (डेरी) विकास

हमारे यहां जिला मिर्जापुर में 64–65 से पिछले छः वर्षों से सूखा पड़ा है । दो वर्ष ऐसे थे कि 72–73 में अतिवृष्टि हुई और 69–70 में कुछ खाद्यान्न पैदा हुआ । जो सहकारी संस्था है जो किसानों को खाद तथा बीज का ऋण देती है यानी सहकारी बीजगोदाम जो किसानों को बीज देते हैं । किसानों की माली हालत खराब होने से उनसे सम्बद्ध संस्थाओं की भी स्थिति खराब हो रही है ।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)––

एग्रीकल्चर सीड्स सहकारिता विभाग में नहीं है ।

श्री लोकपति––

बीज का वितरण किसान को होता है और सवैया सूद लगता है उसकी बात कह रहा हूं ।

क्वालिटी का क्या सवाल है । वहां तो बीज का प्रश्न है । उसमें मैं इतने डिटेल में नहीं जाना चाहता । श्रीमन् जब राष्ट्रपति शासन था तो उस समय अनुरोध किया गया था कि जिला सहकारी बैंक, मिर्जापुर को एक अनुदान दिया जाये और उस अनुदान को उन किसानों के लिये प्रयोग किया जाये जो सवा तीन से सवा छः एकड़ के हैं और उनके ऊपर बैंक का बकाया है । उस अनुदान से उस बकाये को समाप्त कर दिया जाये । इस तरह की व्यवस्था पहाड़ी क्षेत्र के लिये की गयी है । उस पर क्या निर्णय हुआ है मुझे पता नहीं है । जो बकाया रुपया किसानों के ऊपर है उसकी वसूली अगर उससे हो ती है तो उसके बैल और घर बिक जायेंगे और अगर दूसरी तरफ वसूल नहीं किया जाता है तो बैंक की लोनिंग कैपासिटी में अन्तर पड़ता है । दूसरे वहां जो किसानों को बीज दिया गया है उसकी वसूली सवाया होती है । मैं अनुरोध करता हूं कि उनका सवाया समाप्त किया जाये और जितना गल्ला उन्होंने लिया है उतना ही वापस ले लिया जाये । जितना गल्ला वापस करना हो उसकी किस्त बना दी जाये जिससे किसान उसे आसानी से 2–3 साल में चुका दे । इस प्रकार से किसान भी अपने बकाया को अदा कर लेगा और उसे कोई परेशानी नहीं होगी ।

अन्त में, मैं अनुरोध करना चाहता हूं लैन्ड मार्टगेज बैंक और डेरी के सम्बन्ध में । आजकल रोज नीलामी की बात निकल रही है किसानों की जमीन के सम्बन्ध में । अधिकांश उन लोगों के लिए जिन्होंने पंपिंग सेट लगाने के लिये ऋण लिया हैं उन्होंने पंपिंग सेट लगा लिया है, उसे खरीद लिया है । उसकी विधि क्या है, श्रीमन् समय कम है । उनका नलकूप तैयार हो गया पंपिंग सेट का कर्जा उनके ऊपर है वह कर्जा द नहीं पा रहा है । वजह उनका पंपिंग सेट अथवा नलकूप तयार है परन्तु उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है ।

इस तरह भूमि विकास बैंक के अन्तर्गत 26 हजार किसान ऐसे हैं इस प्रदेश में जिन्होंने 26 हजार पंपिंग सेट लगाये हैं और जिनको विद्युत नहीं मिली है, वह उनसे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उनकी वसूली शुरू हो गयी है । किसान इसका जिम्मेदार नहीं है कि बिजली नहीं है उसकी जिम्मदारी बिजली बो की है और शासन की है । उस पर बहुत व्यय होता है । देख चुका हूं कि 4 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है । यह तो शासन का काम है कि किसान को बिजली मिल । या तो यह कहे कि जब तक बिजली नहीं दी जायगी उसकी नीलामी नहीं होगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––

उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है ।

श्री लोकपति--

आप बड़े आदमी हैं, दे सकते हैं। अब श्रीमन् एक अनुरोध है कि इस देश में एक ो स्कीम बनने वाली ी मैं नहीं जानता कि उस ोजना का क्या, हुआ ? हमारे देश में 9 करोड़ की आबा ी में डढ़ करोड़ की आबादी में पशु हैं जो दूध देते हैं और औसतन प्रति व्यक्ति एक औंस दूध 3 दिन में मिलता है यह स्थिति है। इससे लोगों को दूध नहीं मिलगा। शुरू में जैसा मैंने आपसे अ ुरोध किया था कि रोजगा ी दूर होगी। इसमें शिक्षकों को वरीयता दी जाय, अच्छी नस्ल के जानवर दुधारू लाये जायं। दूर-दूर जो हमारी ुरानी नश्ल की गायें हैं, जो इस देश के ऊपर बोझ भी हैं, धी े-धी वह अपने आप समाप्त भी हों और इसके द्वारा श के प्रदेश के लोगों को ूध भी मि और पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार भी मिले। इन शब्दों के साथ मैं मा० मन्त्री जी द्वारा जो अ ुदान पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं और मा० मुलायम सिंह यादव जी जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह उस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है।

मैं, श्री यादव के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उसका उद्देश्य एक ही है कि शासन के सामने सहका ी विभाग के बारे में कुछ अपने सुझाव रख सकूं, मुझे भी इस विभाग में का करने का बहुत अर्से से सौभाग्य ाप्त है। कहना तो बहुत कुछ था ैर सोचा था लेकिन हमारे श्री यादव जी मन्त्री महोदय का भा ण, क्षमा करेंगे मुझे, इतना नीरस था। उन्होंने यह विभाग छोड़ दिया इसलिए उनका उत्साह फीका पड़ गया और अगर बहुत कुछ कहा भी जाय इसके बा में ो सम्भवतः वह इसकी आड़ भी लें कि वह विभाग उनका नहीं है और माननीय ुख्य मन्त्री जी जो इसको ील करते हैं वह इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं अपनी स्पीच में प्वाइन्ट्स ोक से रखूंगा।

जैसा कि हमारे और साथि ों ने डिटेल्स में कहा, उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं कि किस तरह से सत्तारूढ़ दल को अधिक ताकत दी जाय। जैसा हमारे साथियों ने बताया था उनको सत्तारूढ़ होने से किस तरह से किसानों को वास्तविक तरक्की दी जाय। विरोधी दल के सदस्य भी यह समझते हैं कि हम में ैर सत्तारूढ़ दल में मतैक्य ोना चाहिए। किसा ों की आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। किसानों की खेती में तरक्की होनी चाहिए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि आज तने दिनों में क्यों सोनग हो ी है। हर बैंक करोड़ों पये किसानों को देते हैं। सोजनल एग्रीकल्चरल लोन के माध्यम से मिनिमम प्लान लोन से और भूमि विकास बैंक से दीर्घकालीन लोन के रूप में ऋण मिलता है किसानों को लेकिन क्या कारण है कि आज देश में अ की कमी है। किसानों की उन्नति नहीं हो रही है। जरूर क ीं कमी है जिसके कारण यह आज स्थिति किसानों की है और इस देश की है जिसको दूर करना है और उसकी एक ही वजह है कि हमारी ो प्लानिंग है वह बड़ी ही वैसिलेटिंग है। कभी-कभी आकर्षक नारे आ जा हैं और जब मन्त्री जी चले जा हैं ो वह स्कीमें खत्म हो जाती हैं और वह आकर्षक नारे भी जो क्षणिक हो हैं वह भी खत्म हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि देहात की स्थिति जहां पर होती है वह वहीं पर रह जाती है। मैं ूछना चाहता हूं कि स प्लानिंग का क्या लक्ष्य है ? क्या हमारा लक्ष्य

---

*अवक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यही है कि हम करोड़ों पयों की उत्तरोत्तर वृद्धि कर दें? किसानों को खेती के लिए रुपये की नितांत आवश्यकता है लेकिन क्या यही उसकी उन्नति के लक्षण हैं कि अगर आज वह 500 रुपये का मकरूज है ो कल खेती के लिए वह एक हजार पये का देनदार होगा और फिर अगले वर्ष उसे 2,000 रुपये देना होगा। यह उस समय कि था जब ट्रान्सफर एन्ट्रीज होती थीं। लेकिन यह तो अच्छा हुआ कि ट्रान्सफर एन्ट्रीज बन्द हो गयीं, इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके इस सद्प्रयास से क्या नतीजा निकला।

माननीय मंत्री जी जब सरकारी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा इतना लोनिंग बढ़ गया। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह अपने समाज की उन्नति के लक्षण हैं? उन्नति के लक्षण तो तब होते जब हमारे माननीय मंत्री जी यह कहते कि हमने इतनी सोसाइटीज को स्वावलम्बी बना दिया, ये आज अपनी कैपिटल से काम कर रही हैं। मास्टर लोनिंग के नाम पर, मास्टर प्लान के नाम पर अगर रुपया उधार भी दिया जाता है तो कहा जाता है कि हम दुर्बल व्यक्तियों को उधार देते हैं। जिनके पास इतनी भी पूंजी नहीं है कि वे अपना काम चला सकें, हम नहीं जानते कि हम किसानों की किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकते हैं। जिस किसान ने 100 रुपये कर्ज लेकर खेती आरम्भ की थी वह आज 1 हजार रुपये का मकरूज हो गया है। अगर हर किसान का 50 रुपये साल भी जमा कराया जाता, कम्पल्सरी सेविंग के रूप में तो उसके पास 10 वर्ष में 500 रुपया हो जाता।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

जहां तक मैं समझता हूं माननीय सदस्य चेयरमैन भी रहे हैं बैंक के, वे बताने की कृपा करें कि उन्होंने अपने जिले में सहकारी समितियों में से कितनी समितियों को स्वावलम्बी बनाया है?

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा---

मैं माननीय सदस्य के सूचनार्थ निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो प्लानिंग होता है, उसी के अनुसार कार्य होता ह, जो डिपार्टमेंटल आदेश होते हैं, उन्हीं के अनुसार हमें काम करना होता है। अगर आवाज भी उठाते हैं तो कौन सुनता है। इस नक्कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? मैं 25 वर्षों से देख रहा हूं कि दिल्ली का जो प्लानिंग कमीशन तय करता है, न आपको और न आपकी सरकार को मदाखलत करने का हक है। हम समय-समय पर आपको आगाह करते रहते हैं। क्या आप समझते हैं कि किसानों की अपनी पूंजी नहीं होनी चाहिये, उसके ऊपर कर्जे का भार बढ़ना चाहिए?

मेरी राय में किसानों को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिये, आर्थिक दृष्टि से उन्हें सम्पन्न होना चाहिये, शक्तिशाली होना चाहिये। खेती के विषय में प्रान्त में इने गिने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंकों से रुपया लेना बन्द कर दिया है। किसी भी समिति का सदस्य हो, ऐसा कोई न होगा जिसने 500 या 250 रुपया बैंकों से न ले रखा हो। यदि किसानों के कर्जे को उचित समझती है, तो सरकार उनके प्रति विश्वासघात करती है।

विभाग की कमियां तो बहुत हैं, मैं माननीय मंत्री जी की पोजीशन को ज्योपरडाइज नहीं करना चाहता हूं लेकिन जब मैं सही बात कहता हूं तो आप मतभेद क्यों करते ह? यदि आप चाहते हैं कि देश और प्रदेश उन्नति करें तो आप में और हम में कोई मतभेद नहीं

[श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा]

होना चाहिये। कोई भी सदस्य चाहे विरोध पक्ष का हो या सत्तारूढ़ पार्टी का हो इस विषय में कोई फर्क नहीं होना चाहिए ।

एक चीज मेरे भाई ने बहुत कही, म दोहराऊंगा नहीं । विभाग में ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स सब राजनैतिक आधार पर होते हैं । क्षमा करेंगे, हर जगह राजनीति नहीं चलानी चाहिये । देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति हमारा कर्त्तव्य है, उन किसानों क प्रति कर्त्तव्य ह कि निश्चित रूप से इस विभाग में 3 साल से ज्यादा कहीं भी किसी को नहीं रहना चाहिए और जहां पर अधिक कोई रह जायगा तो वह अवश्य अपना सेक्शन ग्राफ इनफ्लुएंस बना देगा, खाने-पीने का धंधा कर देगा । इसलिये चाहे किसी की सिफारिश हो, मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि किसी को 3 साल से अधिक समय तक किसी जिले में नहीं रहने देना चाहिये । अगर इस पर अमल करेंगे तो बहुत कुछ खराबियां दूर हो जायंगी ।

इसी तरह से बीजे के बारे में सजेस्शन है। जब नये चुनाव आये तो बहुत से कंज्यूमर्स स्टोर्स के बारे में सुझाव मैंने रखा । प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में, सुपर बाजार और डी० सी० डी० एफ० के बारे में जो माननीय सदस्य प्रश्न रखते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि सरकार के ध्यान में वहां की गड़बड़ियों की ओर चीजें लायें । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो शासन की तरफ से जवाब आते हैं वह बड़े इवेजिव रिप्लाई आते हैं । अगर सरकार कुछ स्टप लेती उन गड़बड़ियों को दूर करने की तो प्रदेश का बहुत भला हो सकता था।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मेहरोत्रा जी, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

बहुत अच्छा, मैं समाप्त करता हूं, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है ।

*श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने लम्बे अर्से के बाद मुझे बोलने का मौका दिया यह बात कही गयी कि सहकारी विभाग में सभी पर्यवेक्षक भ्रष्टाचारी हैं और उन सभी को निकाल देना चाहिये और यह भी कहा गया कि इस विभाग में सभी अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं या अधिकारियों की वजह से यह विभाग खराब हो गया । इस तरह से ऐसा कथन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, सारे के सारे कंडर के प्रति जो कि यहां उपस्थित होकर अपनी परिस्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकता, मैं समझता हूं, उचित नहीं प्रतीत होता और न यह सही हो सकता है । सही कैसे हो सकता है ? अंधेरा और प्रकाश भी साथ-साथ हैं, अच्छाई-बुराई साथ-साथ हैं, प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई भी कहीं है और बुराई भी हैं, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से उसे उस अच्छा बुरा कहा जाता है । अतः सहकारी विभाग के कर्मचारियों मे, सुपरवाइजरों, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर और ऊपर के अधिकारी जिनको आप सम्मिलित कर सकते हैं, यह समझा जा सकता है कि उनमें कुछ बहुत ही भ्रष्ट लोग हैं लेकिन यह न मानना कि उनमें अच्छे और ईमानदार और सच्चे कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, सभी भ्रष्टाचारी नहीं हैं यह मैं समझता हूं कि सैद्धान्तिक रूप से भी गलत है और सच्चाई के स्तर पर भी सही नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

सौभाग्य या दुर्भाग्य से इस सदन में मुझे सहकारी विभाग का एक भूतपूर्व अधिकारी होने के बाद उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है । मैं पूरा विवरण बतलाता हूं । सहकारी विभाग क कर्मचारियों और अधिकारियों को यहां पर भ्रष्टाचार के लियें बहुत ही ओत-प्रोत किया गया है, उसका जवाब देने के लिये मैं आपके समक्ष खड़ा हूं । मैं सहकारी विभाग में 20–25 वर्ष तक गजटेड पोस्ट पर कार्य करके और 30 वर्ष की सरकारी सर्विस के बाद रिटायर होकर उसके बाद कांग्रेस के टिकट से अपने क्षेत्र से विजयी होकर आया हूं, बैकडोर से नहीं आया हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस ने मुझे टिकट किसी खुशामद या राजनीतिक आधार पर नहीं दिया है बल्कि सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार की हैसियत से सच्चाई और ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिये दिया है । (व्यवधान) यदि आपको इसमें कोई शक है तो यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप जिस तरह से चाहें जांच करें और अगर आप मुझे गलत साबित करेंगे तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

कुछ सुझाव दें आप ।

श्री बनवारी राम यादव—

सझाव भी दे रहा–हूं । कोआपरेटिव विभाग में सुपरवाइजर का पद ऐसा है जिसको सर्विस का कोई ठिकाना नहीं । ग्राम स्तर पर जितने कर्मचारी हैं वी0एल0 डब्लू0, स्टाफमैन और और कर्मचारी, सभी सरकारी नौकर हैं और सभी की तनख्वाहें बंधी हैं, सब को पेन्शन मिलेगी और सभी को मेडिकल की सारी सहूलियतें उपलब्ध है । ग्राम स्तर के कर्मचारियों में एक पंचायत सेक्रेटरी था वह भी रिट्रास्पेक्टिव एफक्ट स सरकारी कर्मचारी बना दिया गया है ।

लेकिन सुपरवाइजर जिसके जिम्मे सबसे ज्यादा कैश और हिसाब-किताब की देखभाल रखने की जिम्मेवारी है उसकी सर्विस का कोई ठिकाना नहीं है । वह सरकारी कर्मचारी भी नहीं है और यह भी पता नहीं चलता कि वह प्राविंशियल कोआपरेटिव यूनियन का कर्मचारी है या बैंक का है या किसका है । कभी बैंक उसको लखनऊ भेज देता है और कभी यूनियन और सोसायटीज उसको रिलीव कर के जिलास्तर पर भेज देती हैं । ऐसी परिस्थिति है कि सैकड़ों की तादाद में सुपरवाइजर इस प्रान्त में ऐसे घूम रहे हैं जिनकी सर्विस का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कहां नियुक्त हैं और किस के वह कर्मचारी हैं ।

मैं समझता हूं कि सहकारी पर्यवेक्षकों की जो ग्रामीण स्तर पर कार्य की जिम्मेदारी है उसके आधार पर उसकी नियुक्ति या तो प्राविंयिल कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के मातहत हो या सरकारी कर्मचारी के रूप में हो और उसकी तनख्वाह और सर्विस कंडीशन्स, सब ऐसी हों जो कामर्शियल कोआपरेटिव बैंकों में क्लर्कों को दी जाती हैं । एक सुपरवाइजर जो 4–6 लाख तक के स्टाफ और कैश को डील करता हो और उसकी सर्विस का कोई ठिकाना न हो तो स्वाभाविक है कि उसमें गड़बड़ी करने की कुछ गुन्जायश हो । आज सहकारी पर्यवेक्षकों का वेतन जिला सहकारी बैंक के क्लर्कों के बराबर तो जरूर होना चाहिये और उनकी सर्विस या तो प्राविंशियल कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की हो या गवर्नमेंट की हो ।

दूसरी एक बात और कहना जरूरी समझता हूं । प्राविन्शयल कोआपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक, सहकारी समितियां ये सब बैंकिंग का कार्य करते हैं और दूसरी

[श्री बनवारी राम यादव]

तरफ बैंकिंग के कार्य को डेवलपमेंट और कोआपरेटिव मूवमेंट से लिंक करते हैं । मैं समझता हूं कि ब्लाक स्तर पर कोआपरेटिव सुपरवाइजर और ए० डी० ओ०, कोआपरेटिव, इनका अलग कैडर होना चाहिये ।

कोआपरेटिव मूवमेंट को अगर कामयाब बनाना है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि इसको बैंकिंग सेक्शन का अलग कैडर होना चाहिये और इस कडर को नियोजन विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी के अधीन उनके नियन्त्रण में नहीं रखना चाहिये, बल्कि बैंकों के या सहकारिता विभाग के अधीन ही रहना चाहिये । ए० डी० ओ० (कोआपरेटिव) को यह अधिकारी अन्य कामों में लगा देते हैं जिसके कारण वे अपना सहकारिता संबंधी काम नहीं कर पाते । (व्यवधान) हां, मैं कोआपरेटिव विभाग में रह चुका हूं, मैंने इस विभाग में रह कर काफी भ्रष्टाचार के मामले पुलिस को दिये हैं, तमाम सुपरवाइजरों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त, कृपया बैठें ।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हालत वही है :—

आशा पाश शते बद्धा : काम क्रोध परायण:
महदन्ते काम मोक्षार्थि अन्यायेन अर्थ-संचयन ।।

आज देखने में यह आ रहा है कि हर आदमी की प्रवृत्ति कुछ धन संचय करने की ओर लगी हुई है यही हालत सहकारिता विभाग में सब से ज्यादा देखने में आ रही है । दुनिया में आज कोई जगहें ऐसी नहीं है, जहां यह सहकारिता आन्दोलन न चल रहा हो । हर जगह सहकारिता समितियां काम कर रही हैं ।

1954 में हमारे देश में गोरवाला के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी । उस रिपोर्ट को देखने से यह पता चलेगा कि वह कौन-सा कारण है जिसकी वजह से यह कोआपरेटिव मूवमेंट गति प्राप्त नहीं कर रहा है । उस रिपोर्ट में लिखा है कि सहकारी समितियों का मुख्य काम है ऋण देना । मैं आपको ऋण देने के आंकड़े देना चाहता हूं । हमारे देश में 70 फीसदी ऋण सूदखोरों के माध्यम से दिया जाता है । ग्रामीण गरीब किसान या तो धनी किसान से ऋण लेता ह या सूदखोर से लेता है । कोआपरटिव मूवमेंट से केवल 3 सेंट ऋण मिल पाता है । उत्तर प्रदेश की 9 करोड़ की आबादी में केवल 3 परसेंट ऋण की व्यवस्था सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से हो पाती है । इसका भी जो मेजर हिस्सा है वह सूदखोर ही ले जात हैं, जरूरत वालों को वह नहीं मिल पाता ।

आज सहकारी आन्दोलन क ों फेल हो रहा है । इसलिये कि यहां पर सूदखोर डाइरेक्टर और मैनेजिंग डाइरेक्टर बने हुए हैं । जिन लोगों के ही कारनामों का यह फल है । यहां पर बदइंतजामी आज फैली हुयी है । यह सूदखोर सहकारी विभाग का पैसा लेकर गरीबों को 40–48 पये सालाना सूद पर देते हैं । मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं, 12 आने सैकड़ा सूद पर पैसा दिया जाता है लेकिन यह सूदखोर उसे 3–4 रुप ै सैकड़ा सूद लते हैं । साल में 48 रुपये सैकड़ा । इन सूदखोरों के पास कोई यह श ोरिटी नहीं है कि यह पैसे को गरीब किसान से किस तरह से वसूलेंगे । नतीजा यह होता है कि छोटा किसान जब रुपया नहीं दे पाता है तो वह अपनी जमीन इन सूदखोरों के हाथ बेच लेता है और गरीब किसान बेसहारा हो जाता है ।

जापान के अन्दर कोआपरेटिव मूवमेंट चलाया जा रहा है। वहां का जो मध्यम वर्ग है, किसान या छोटे कर्मचारी हैं वह इन सोसाइटियों द्वारा लाभ उठा रहे हैं और वहां सूदखोरों को खत्म किया जा रहा है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि यह सूदखोर आप ही आप खत्म हो जायं। लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर इस बात को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है कि सहकारिता विभाग को किस तरह से चलाया जाय और यह सूदखोर कम हों ।

अभी यह बात कही गयी है कि यह डाइरेक्टर और मैजिंग डा रेक्टर 2 टर्म्स से ज्यादा नहीं रहेंगे । लेकिन यह सूदखोर कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा कानून बने जिससे इन बदमाशों को फिर डाइरेक्टर तथा मै जिंग डाइरेक्टर बनने का मौका मिल जाय । इसलिये यह कहना है कि सरकार इस बात का पक्का इरादा करे कि इनको 2 टर्म्स से ज्यादा मौका न मिले । मैं समझता हूं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है । मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि वहां सुपरवाइजर्स और इन डाइरेक्टरों ने लाखों रुपये पैदा किये हैं । सारे भ्रष्टाचार की जड़ यही हैं । तो मेरा कहना है कि मैनेजिंग डाइरेक्टर और डाइरेक्टर को आप ठीक करने की कोशिश कीजिये, नीचे के जो कर्मचारी हैं वह अपने आप ही ठीक हो जायेंगे और करप्शन कम होगा । इसलिये मेरा फिर यह कहना है कि उन लोगों को 2 टर्म्स से ज्यादा न दिये जायें जो डाइरेक्टर रह चुके हैं । तभी यह भ्रष्टाचार कम होगा ।

इसके अलावा दूध की सहकारी योजना की बात चल रही है। 1950 में जो दूध का उत्पादन हमारे देश में था आज वह नहीं है । 1950 में डेढ़ छटांक दूध, पर कैपिटा, पर परसन्स को पड़ता था । लेकिन आज वह नहीं है, बच्चों को दूध नहीं मिलता है । आज पर कैपिटा कंजम्प्शन 1 छटांक रह गया है । दूध की हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है आज देश के अन्दर और देश के अन्दर, मेरे जिले के अन्दर कोई ऐसी डेरी नहीं है जो अच्छा काम कर रही हो।

योजनाओं के बारे में अब तक आपने नहीं देखा कि वह बुनियादी रूप से कैसे चल रही हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है । आप योजनायें बनाये और आंकड़े इकट्ठे करते चले जा रहे हैं पर कोई प्रगति इस तरफ नहीं हो रही है । हम सभी जानते हैं कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं । डरी का जो उद्योग है वह गांव की अच्छी स्कीम है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस स्कीम को चलाने के लिये गांव के अन्दर जो व्यवस्था की जाय वह उन लोगों के द्वारा की जाय जो मेल प्रैक्टिस न करें । हमारे सहकारिता मंत्री जी जो बै हैं वह इस पर बल और उन जगहों को देखें जहां से शिकायत आये । शिकायतों को निष्पक्ष होकर देखें और भ्रष्ट लोगों को निकालें । इस प्रकार हमारे ांत में सहकारी आन्दोलन अच्छी प्रकार बढ़ सकता है ।

तमिलनाडु और केरल में जो सहकारी समितियां चल रही हैं वहां इस प्रांत जैसा भ्रष्टाचार नहीं है कि 2 बो ी खाद दी गई और 10 बोरा रजिस्टर में दर्ज कर दिया । हमारे यहां यह बड़ी समस्या है कि किसानों को पता नहीं कि कब उन्हें खाद दी गई या कब उन्हें रुपया दिया गया परन्तु रजिस्टर में वह चढ़ जाता है। किसानों को ऋण का रुपया कम दिया जाता है और अधिक पर दस्तखत करवा लिये जाते हैं । यह सब इसलिये होता है कि यहां के किसान पढ़े नहीं होते हैं । परन्तु केरल और तमिलनाडु में जब किसानों को ऋण दिया जाता है तभी वह दस्तखत करता है । इसी प्रकार यहां के किसान के पास 2 बी जमीन नहीं है परन्तु उसके ऊपर रजिस्टर में समिति का 500 0 ऋण चढ़ा हुआ है ।

[बाबा रामनाथ]

ग ेब किसान अपनी जमीन को बेंच करके तो भुगतान कर नहीं सकता है । इसलिये वह सालों उसका भुगतान करता रहता है।

अतः उन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहि जिससे गरीब किसान का शोषण न हो सके । रा रिजर्व बैंक तथा इस सरकार से अनुरोध है कि वह गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऋण दें और 3 प्रतिशत से बढा कर 10 प्रतिशत कर ले ो भी हम कह सकते हैं कि हमारा आन्दोलन आगे कुछ बढ़ेगा अन्यथा गरीबों का शो ण होता रहेगा ।

*श्री राजबहादुर चन्द---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो हमारे मंत्री जी ने सहकारिता बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं । श्रीमान जी, श्री मुलायम सिंह जी की बात को मैंने गौर से सुना तथा और भी वक्ताओं ने जो ाषण दिये उनमें यह बात सही है कि सहकारिता वि ाग का जन्म इसलि हुआ कि मनी ेंडर जो हैं वह गरीब जनता को चूस रहे हैं तो उनसे कैसे मुक्ति दिलाई जाय ।

आप विश्वास करें कि हमारा जिला उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हुआ जिला है। हमारे यहां सबसे अधिक मनीलैंडर घुसे हुए हैं । लखनऊ के रस्तोगी ब्रदर्स ने वहां क ेड़ों रुपये फैला रखा था। इस सहकारिता विभाग की सहकारी समिति ों की वजह से वहां से मनी-लेन्डर भाग जा रहे हैं । हमारी मौगढ़ तहसील में रस्तोगी ब्रदर्स काफी जमे हुए हैं । हम कोशिश कर रह हैं कि रस्तोगी ब्रदर्स को वहां से उखाड़ फेंका जाय ।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा---

एक बात माननीय सदस्य पूछना चाहता हूं कि क्या आप रस्तोगियों को खत्म कर सके । वहां आज भी उनका गुना सा उठाया हुआ है।

श्री राजबहादुर चन्द---

मैं खत्म नहीं कर सका लेकिन स्थितियां खत्म कर सकती हैं । जमाना बदल रहा है । वह सब खत्म हो सक अगर सरकार एक आदेश जा ी कर द कि रस्तोगी दर्स ने बस्ती जि में कितना ऋ दिया आ है यह वह डिक्लेयर करें । एक भी पैसा वह सरकार को कर के रूप मे नहीं दे ।

मैं कहना चाहता हूं कि बस्ती जिले में रिजर्व बैंक आफ डिया एक स्कीम प्रस्तुत की । दो लाख रुपया हमारे यहां लगाया जा रहा था कि सारा ऋण दे दिया जाय और मनी लैन्डर्स को बाहर कर दिया जाय । श्रीमान् जी, मैंने अपने पूर्व वक्ता ों को सुना । जो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा ।

उत्तर प्रदेश में इस विभाग में सेल सिस्टम लागू किया गया जो एक क्रांतिकारी कदम था लेकिन उसके बारे में भी उन्हों एक शब्द नहीं कहा, केवल बुराई की बात कही गयी । यह तो एसे ही है कि कोई आदमी कश्मीर जा और वहां की गन्दी नालियों को देखकर लौट आये और कहे कि वहां गंदगी के अलावा कुछ नहीं है । यहां पर कहा गया कि सहकारिता में बड़े लोग ही कब्जा किये हैं । मैं दो तीन नाम गिना सकता हूं । उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष मथुरा सिंह हैं। उनके पास दस बिस्वा भी जमीन नहीं है । छोटे परिवार के आदमी हैं । हमारी पार्टी के वह नहीं हैं । वह वहां बिराजमान हैं ।

---

*वक्ता ने भाष का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रोशनलाल की बात कही गयी। यह उसी तरह है कि जैसे माओवादी लोग माओ की किताब दिखाते हैं और जब सहकारिता की बात आती है तो रोशनलाल रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं दावे के साफ कहता हूं कि प्रीज्युडिस होकर उन्होंने वह रिपोर्ट बनायी। जब उनका स्थानान्तरण हुआ तो उच्च अधिकारी उनके दोस्त थे। जब उनसे कहा कि कब चार्ज दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जब तक इस गोट को नहीं बैठा दूंगा चार्ज नहीं दूंगा। उसी पीरियड में वह किताब लिख गये। श्रीमान जी, यह कहा जाता है कि सहकारिता विभाग अच्छे बीज नहीं देता। एक साल काश्तकार जो बीज लेता है वह उसको मिक्स करके दे देता है। सहकारी संघ 4 रुपया के ओ० जी० बीज खरीदे और एक रुपये पर बेंचे तो कोई सहकारी संस्था किस प्रकार चल सकती है। इस तरह के व्यावहारिक पहलुओं पर भी विचार करना चाहिये।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा--

माननीय सदस्य ने सहकारी बीज भंडारों की वकालत की तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो गल्ला सवाई से आता है उसको तो बाजार में बेंच दें और किसानों को पेडिग्री सीड दें?

श्री राजबहादुर चन्द--

वही मैं कह रहा हूं। सहकारी समिति एक लाख का खरीदती है और एक हजार में बांटती है और फिर एक लाख का खरीद ी है ो इस तरह से कोई सहकारी समिति चल नहीं सकती। जो व्यापारिक संस्थायें हैं उनको लाभ हानि का लेखा-जोखा रखना पड़ेगा। श्रीमान जी, मेरा एक सुझाव यह भी है कि जिस तरह अपराध शाखा या पुलिस सेल सहकारिता विभाग में काम कर रही है उसी तरह इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव और केन कोआपरेटिव सोसाइटी में भी कर दें ताकि जो गड़बड़ियां वहां हैं वे प्रकाश में आयें।

श्रीमान् जी, जो कहते हैं कि गड़बड़ी हुई है, गबन हुआ है, मैं कहता हूं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंकों की पूंजी देखें। 10/15 साल पहले उनमें जो पूंजी लगी थी, आज वह करोड़ों में पहुंच गयी है। कोआपरेटिव बैंकों में पहले जितनी पूंजी थी, उतना लाभ हुआ है। कहते हैं कि कोआपरेटिव का रुपया लुट गया। मैं कहता हूं कि यह मार्केटिंग सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, एशिया में सबसे बड़ी मार्केटिंग सोसाइटी है।

श्रीमान जी, नेशनल कोआपरेटिव यूनियन, गवर्नमेंट आफ इंडिया का मैं मेम्बर था लोग मुझसे पूछते थे कि यह कैसे कार्य करती है, कितनी बड़ी संस्था है। मान्यवर, यह एशिया की सबसे बड़ी संस्था है। उन्होंने, एक अधिकारी छोटे लाल का नाम लिया। मैं कहता हूं कि यह अधिकारी डिप्टी रजिस्ट्रार पहले था और अब भी यही है। उसकी तरक्की नहीं हुयी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हमारी जो केन कोआपरेटिव हैं, उनका 75 प्रतिशत पैसा शिड्यूल्ड बैंक में लगा है, जबकि यह कोआपरेटिव संस्था है और इसका पैसा कोआपरेटिव बैंक में लगना चाहिये। चाहे ऋण-पत्र खरीदना हुआ तो, या लड़ाई का चन्दा इकट्ठा करना हो, पर करीब 2-3 लाख रुपये यह सहकारी संस्था सरकार की मदद करती है। इसको सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिलती। नागर साहब जो केन कमिश्नर थे, ने कोआपरेटिव केन सोसाइटीज को लिखा था कि वह अपना पैसा कोआपरेटिव बैंक में जमा करें, लेकिन उसका पालन आज तक नहीं हुआ।

मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला मजिस्ट्रेट्स ने गेहूं की खरीद में जिले के सारे सुपरवाइजर्स को लगा दिया है। हमारी संस्थाओं को जो करोड़ों रुपया बंटा हुआ है, उसकी वसूली का समय होने के कारण इनको बड़ा धक्का लगा है।

[श्री राज बहादुर चन्द]

श्रीमानजी, हमारी जो भूमि विकास बैंक है, इस प्रदेश में सबसे बड़ी संस्था है और दूसरा स्थान है गुजरात का । मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यह जो अखबारों में नीलामी का विज्ञापन निकलता है, इसको रोक देना चाहिये । श्रीमान जी, आज एल0डी0बी0 की 80 प्रतिशत वसूली हो रही है । अगर नीलामी का विज्ञापन रोक दिया गया तो यह घटकर 40-45 प्रतिशत ही वसूली रह जायेगी । जो लोग ऋण समय से अदा नहीं करते, तो अगर वे लोग डरेंगे नहीं और उनकी भूमि नीलाम नहीं होगी, तो यह तमाम पैसा कैसे वसूल होगा । मैं कहता हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि यह नीलामी रोक दी जानी चाहिय, वे इस सहकारिता आन्दोलन के दुश्मन हैं । मैंने माननीय मुलायम सिंह यादव का भाषण सुना तो मुझको पता चला कि यादव जी को सहकारी मूवमेंट के बारे में कोई ज्ञान नहीं है ।

मान्यवर, ऐसे जैसे कि कोई आदमी मछली को टटोलता है कि कहां गिरी है उसी तरह से वह टटोल रहे थे । उनको कुछ सिखाया गया था वही बार-बार घूम फिर कर कह रहे थे । मैं समझता था कि कोई व्यक्ति जो कोआपरेटिव आन्दोलन में काम कर चुका होगा कोई ऐसा आदमी कटौती का प्रस्ताव पेश करेगा लेकिन मान्यवर, वह मेरी आशा पूरी नहीं हुई ।

श्री अधिष्ठाता—

मान्यवर का समय समाप्त हो गया ।

*श्री चन्दन सिंह कामरेड (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे देश में जब सहकारिता का आन्दोलन आरम्भ हुआ था, जब उसका जन्म हुआ था तब कुछ भले आदमियों ने आशा की थी कि हमारे देश की गरीब जनता और खासतौर से किसानों को साहूकारों के चंगुल में जो फंसे हुये थे और फंसते चले जा रहे थे उनसे उनको छुटकारा मिल जावेगा लेकिन आज इस पूंजीवादी व्यवस्था में जब कि सारी दुनिया में और खासतौर से हमारे देश में महगाई, बेकारी और भ्रष्टाचार के कारण सारी जनता त्राहि-त्राहि कर रही है उस वक्त समाजवादी दुनिया को देखकर के एक बात तमाम लोगों के दिलों में आती है कि समाजवादी व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता को कुछ राहत मिल सकती है और मेहनत करने वालों और कमाई करने वालों को सुख मिल सकता है तो लोग समाजवाद की रट लगाते हैं ।

चारों तरफ से हमारे देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो आज समाजवाद की बात कहने लगी है लेकिन समाजवाद है क्या ? समाजवाद तो समाज क हाथ में समाज के साधन आ जावें और उन उत्पादन के साधनों को हाथ में लेकर ऐसी व्यवस्था की जा सके कि वह उत्पादन पूरी जनता में इस तरह स वितरित हो कि सब सुखी रह सकें और सब पा सकें यही समाजवाद है । सहकारिता समाजवाद की एक सीढ़ी है । सहकारी आन्दोलन के जरिये स समाजवाद की ओर जा सकत हैं । इसलिय आज के इस जमाने में सहकारी आन्दोलन का महत्व और भी बढ़ जाता है ।

सहकारी आन्दोलन में कहीं कोई खराबी होती है तो समाजवाद के दुश्मन सबसे पहले समाजवाद को बदनाम करने के लिय उसी का एक उदाहरण पेश करते हैं, चाहे वह एक मामूली सी कैन्टीन हो । मैं अपने यहां की कैन्टीन को ही लूं । हमारे माननीय सदस्य भी और-और लोग भी जब बात करते हैं तो कहत हैं कि लोग चिल्लाते हैं कि समाजवाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जब आयेगा तब सब लोग सुखी होंगे, उस कैन्टीन में 10 पैसे की चाय और 20 पैसे की काफी वहां मिलती है और उसमें अव्यवस्था का एक उदाहरण पेश करते हैं और समाजवाद को बदनाम करने की कोशिश करते हैं । तो आज समाजवादी आन्दोलन में कहीं भी चाहे वह भ्रष्टाचार हो, चाहे कोई और अव्यवस्था हो, चाहे कोई खराबी आये समाजवाद के दुश्मनों को मौका मिलता है कि समाजवाद देश का कोई भला नहीं कर सकता है । वह कहते फिरते हैं कि देखो फलां खराबी हो गयी है और उसके तमाम उदाहरण देते हैं ।

इसलिये आज सहकारिता का बजट एक ऐसा बजट है जिसको हमको उसी दृष्टिकोण में देखना होगा । बजट पेश हुआ लेकिन बजट में जो खराबियां आयी हैं वह क्यों आयी हैं । जो पहले लेन-देन हुआ करता था उसमें कहां खराबी आयी है, कहां भ्रष्टाचार हुआ, कहां गबन हुआ, इसकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो जिन लोगों के द्वारा ऋण देने की व्यवस्था है उनसे गरीब लोग क्या उन सहकारी समितियों से ऋण ले पाते हैं ? क्या लेते हैं ? लेकिन आज क्या है ? उन्हीं सामन्तों के हाथों में आज इन समितियों का प्रबन्ध है और अगर जिलों की लेबिल पर पहुंचते हैं तो वही सामन्त लोग, वही पूंजीवादी प्रवृत्ति के लोग हैं जो कोआपरेटिव के पैसे को लेकर दूसरे धंधों में लगाये हुए हैं चाहे वह कृषि के नाम से लिया जाता है या किसी और नाम से लेकिन वही लोग इन पर छाये रहते हैं । चाहे इस पक्ष के लोग कांग्रेस पक्ष के लोगों पर आक्षेप करें और चाहे कांग्रेस के पक्ष के लोग इस पक्ष के लोगों के ऊपर आक्षेप करें । यहां से आक्षेप होता है कि यह लोग सहकारी आन्दोलन का अपनी सीटों को मजबूत करने के लिये दुरुपयोग करते हैं । इस पक्ष के लोग कहते हैं कि कहीं कहीं बी 0 के 0 डी 0 के लोग हैं । मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि वहां सहकारिता आन्दोलन बी 0 के 0 डी 0 के हाथ में है । मैं ऐसा समझता हूं कि अपनी पार्टी के प्रचार के लिए इस आन्दोलन का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि अपने स्वयं के स्वार्थ एवं साधनों में इस आन्दोलन का उपयोग होता है ।

कर्जे के लेन-देन में चेक सिस्टम की तारीफ हुई और ठीक है तारीफ होना चाहिये लेकिन देखना यह चाहिये कि आखिर यह ट्रांस्फर एंट्री पैदा कैसे हुई ? ट्रांस्फर एंट्री इस तरह से आई कि कुछ लोग जो चलते पुरजे लोग हैं 10-15 आदमियों के नाम से कर्जा ले लिया और किसी धंधे में लगा दिया और दस्तखत कर देते हैं । यही रास्ता छोटा किसान अपना लेता है लेकिन उसमें नतीजा यह होता है कि वह छोटा किसान कर्जे में डूब जाता है । यह ठीक है कि चेक सिस्टम अब जारी हो चुका है लेकिन किसान आज भी कर्जे में डूबा हुआ है भले ही आपने किस्तें छोटी कर दी हों या बड़ी, लेकिन रुपया उनसे मिल नहीं पा रहा है।

रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को रुपया मदद के तौर पर रुपये की डूब के सिलसिले में अनुदान के रूप में मिलता है । वह अनुदान भी प्रयोग में आता है बड़े कर्जों को पूरा करने के लिये, न कि छोटी रकमों को पूरा करने के लिए । बड़े लोग जो 6 से लेकर 10 हजार रुपये कर्जा लिये हुए हैं उनकी डूब के सिलसिले में इस अनुदान का प्रयोग होता है जब कि दरअसल यह रुपया वह है जो गबन किया गया है ।

केवल कर्जे के सिलसिले में यह सहकारी आन्दोलन नहीं चल रहा है और जगह भी इसका दखल है । हमारे बुलन्दशहर जिले में एक सूती मिल खोली गयी । बड़ी अच्छी बात है । हमारे इस देश में कपड़ा महंगे से महंगा होता जा रहा है। गरीब के हाथ में कपड़ा नहीं आ पाता है । गरीब सस्ता कपड़ा पा सकता है अगर हम पुराने बुनकरों के लिये सूत की व्यवस्था कर सकें । इससे उनके लिये कपड़े की कमी पूरी हो सकती है ।

[श्री राजबहादुर चन्द]

लेकिन हमारे सहकारी क्षेत्र में जो यह बुलन्दशहर में मिल खुली है उसका सूत बुनकर भाइयों को नहीं मिलता है । एक अधिकारी की राय है कि यह सूत बुनकरों को मिलना चाहिये लेकिन वह सूत जा रहा है दिल्ली और हरियाणा क्योंकि सेल्स टैक्स वहां कम है और सेल्स टेक्स की चोरी के लिये यह सब किया जा रहा है । मेरी अपनी राय है कि इस तरह की जो मिल खुलती हैं, जब जो हमारे हैन्डलूम की सोसायटीज हैं उनको यह सूत दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया ।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता के बुनियादी उसूल पर किसी ने आलोचना नहीं की, उसके सिद्धांत से सब सहमत हैं । आलोचना की तो कर्मचारियों के करप्शन पर । यह बात सही है करप्शन समाज में कोढ़ के रूप में फैला हुआ है । यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि समाज का यह कोढ़ जो है वह अन्य विभागों में जितना है उससे कम सहकारिता विभाग में है इसका प्रचार इसलिये किया जाता है कि जनता और कर्मचारी दोनों से इसका सम्बन्ध है और इसीलिये इसकी आलोचना होती है ।

अधिष्ठाता महोदय, यह दोनों दल जो बैठे हैं उत्तर प्रदेश के एक परिवार के रूप में हैं और सभी की यह कामना है कि इसका उत्थान हो । इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आप खाली आलोचना करें और उसका समाधान न बतायें तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है । यह तो वैसी ही बात हो गई जैसे कि यदि किसी बारात में सभी नौजवान हों लेकिन फिर भी आलोचना करने वाली औरतें कहती हैं कि इनकी नाक लम्बी है और चिलम जैसी है। तो यदि स्वस्थ आलोचना हो उसको हम भी मानेंगे और सरकार भी मानेंगी।

ट्रांस्फर इन्ट्री के सम्बन्ध में मैं अपने यादव जी को बधाई देता हूं कि पुराने सिस्टम को तोड़-कर उन्होंने चेक सिस्टम यहां पर लागू किया इससे करेप्शन के रास्ते अवरुद्ध हो गये । इसके लिये हमारे विरोधी दल के भाइयों की ओर से शाबासी आनी चाहिये थी । मैं अपने जिले सुल्तानपुर की बात एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने वहां पर एक उद्योगपति से पूछा कि आप सुल्तानपुर में क्यों उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं तो उसने कहा कि वहां पर इसलिये कोई उद्योग नहीं लग सकता है क्योंकि वहां पर रा-मैटीरियल नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि आपके यहां कोई मार्केट नहीं है जैसे कि कानपुर, बम्बई, कलकत्ता आदि हैं । तो इसके बाद हमारे लिये क्या रास्ता रह जाता है या तो निगम की स्थापना या सहकारी विभाग । एन0 सी0 डी0 सी0 से जो ग्रान्ट आती है वह मैचिंग ग्रान्ट करके दी जाती है, आधा-आधा करके दी जाती है । यह ठीक नहीं है । अलग-अलग जगहों की अलग-अलग समस्यायें हैं । पर्वतीय जिलों में कैसे मैचिंग ग्रान्ट हो सकती है जब कि एन0 सी0 डी0 सी0 ने कहा है कि एक और पांच के अनुपात से यह होना चाहिये । कहीं पर पांचवां हिस्सा भी लगा सकते हैं, कहीं चौथा और कहीं पर तीसरा हिस्सा भी लगा सकते हैं । इसी तरह से सारे उत्तर प्रदेश की मैचिंग ग्रान्ट आप इस तरह से कर दें तो उससे सभी को फायदा होगा ।

दूसरी बात यह है कि जब लक्ष्मी शंकर जी यादव इस विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने यह कहा था कि दुग्ध योजना को 10 यूनिट में चलायें । यह योजना लाभप्रद थी । वैसी ही योजना भी चलनी चाहिये । सुल्तानपुर में यह स्कीम आयी लेकिन वह बाद में उठाव चली गयी । इसके बारे में हमारे यहां के लोग आलोचना करते ह कि सरकार का यह क्या तारीका है यह कैसे हो गया ? तो मैं सरकार से कहूंगा कि वहां पर भी वह दुग्ध योजना चलनी चाहिये ।

एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जब तक सरकार सुपरवाइजरों को अपने हाथ में नहीं ले लेती, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर उनका प्रान्तीयकरण नहीं कर लिया जायेगा, तब तक वे अनिश्चित हैं। उनकी कोई आमदनी न होने के कारण करप्शन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे ? इसलिये उन्हें बुनियादी तौर पर सरकार को ले लेना चाहिये। जैसा कि हमारे एक कम्युनिस्ट भाई ने बताया कि आज लोग केवल आलोचना ही करने में लगे हुए हैं लकिन यह नहीं देखते हैं कि इस सहकारिता आन्दोलन को कैसे सफल बनाया जाय।

यह सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन एशिया की सबसे बड़ी जनतांत्रिक संस्था है और उसके अध्यक्ष वीरपाल सिंह जी है। हम यह कैसे कह दें कि वह दो कौड़ी की संस्था है या दो कौड़ी के आदमी हैं। उनका हमें आदर करना चाहिये। वे हमारे सहकारिता विभाग में बहुत दिनों से सहायता दे रहे हैं और आन्दोलन को आगे बढ़ा रहे हैं।

एक लेबर फेडरेशन है। वह एक उच्च स्तर पर संस्था बनायी गयी है। हमारे यादव जी ने अपने काल में उसकी रचना की है और इससे बड़े-बड़े ठेकेदारों की ठेकेदारी खत्म हुई। श्रम संविदा को हमारे डी०सी०डी०एफ० ने एक लाख रुपया दिया कि वह एक कोल्ड स्टोरेज बनाये लेकिन उसने हाथ ही नहीं लगाया और एक लाख रुपया भी नहीं दिया। 3 लाख रुपये श्रम संविदा में घाटा गया। मैं रजिस्ट्रार को लिखता हूं कि मेरा रुपया वापस किया जाये, लेकिन नहीं होता। मैं बहुगुणा सरकार से उम्मीद करता हूं कि सहकारिता विभाग या अन्य किसी विभाग में जहां ऐसी गड़बड़ियां होंगी, उनकी जांच करके उन्हें सामने लाया जायगा तो मैं यह कहूंगा कि जहां गड़बड़ियां आई वह देखा जाये और जो हमने आगे कदम बढ़ायें, उन्हें भी देखा जाये। आपसे यह भी कहता हूं उसका रूप तो नहीं जानता, लेकिन लेबर फेडरेशन में जो गड़बड़ियां हैं उनको देखा जाये। मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता नहीं तो जरूरी चीजें छूट जायेंगी।

मेरा निवेदन है कि दुग्ध योजना के स्तर की चीजें गांव-गांव में चला दी जायें। जैसा भाषण पहले सहकारिता मंत्री श्री लक्ष्मीशंकर यादव का सुना था, उससे हम लोगों को आशा बंधी थी कि हम लोगों की आमदनी बढ़ जायेगी, लेकिन पता नहीं वह स्कीम क्यों ठप हो गई। इसका निराकरण होना चाहिये और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

सहकारिता ही ऐसा मार्ग है, जिससे आप गांव के कोने-कोने में पहुंच सकते हैं। सहकारिता का रसायनिक खाद का एक करोड़ रुपया बकाया हो गया तो यहां सेक्रेटेरिएट के बड़े-बड़े आई०ए०एस० अफसर कहने लगे कि बड़ा बकाया हो गया, इसे उसके बजाए कृषि विभाग में बांटा जाये। किन्तु आप देखें उससे अब 11 करोड़ का बकाया हो गया तो फिर उन्हीं का विचार हुआ कि सहकारिता विभाग ही उच्च स्तर पर काम कर रहा था। इसलिये मेरा कहना है कि आप की तरफ से इसको अच्छा प्रोत्साहन मिले तो सहकारिता विभाग से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता है। सहकारिता विभाग की जो छोटी-छोटी नीतियां है, जैसे सुपर-वाइजरों का प्रान्तीयकरण करने के लिये, उनको जरूर सहयोग मिलना चाहिये। साथ ही वह संस्थायें जो गिरती जा रही है, उनको अनुदान से सहयोग देना चाहिये, जिससे वह खड़ी हो जायें।

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कटौती के प्रस्ताव पर मुझे मौका दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ ले जाना आवश्यक समझता हूं कि सहकारिता वाकई एक ऐसा अच्छा उपाय है, जिससे गरीब को राहत मिल सकती है और धनी लोगों का मुकाबला किया जा सकता है।

[श्री तेज सिंह]

लेकिन सहकारिता विभाग द्वारा आज हो क्या रहा है, इसको भी आप देखें । मेरे यहां भंडी शामनगर एक जगह है, 5–6 साल पहले दुग्ध स्कीम वहां पर लागू की गई थी । उस सम्बन्ध में जो रुपया सरकार की तरफ से गया वह अब वापस हो रहा है और उसमें केवल सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें मिलती हैं ज्ञात किया तो मालूम हुआ कि जो एक बार काम हुआ वह आगे बढ़ा ही नहीं, स्कीम ठप हो गई । प्राइवेट दूध के जो काम करने वाले हैं, वे लाखों रुपया कमाते हैं । पहले स्कीम जो वहां पर देहली दुग्ध स्कीम के मुकाबिले के लिये शुरू की गई है, उसका मुकाबिला बिल्कुल नहीं हो रहा है । मेरे यू० पी० के दूध वाले का दूध देहली वाले जिस भाव पर चाहते हैं, ले रहे हैं और वे देहली की दुग्ध स्कीम की तरफ देखते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

कांग्रेस पक्ष के एक-दो सदस्यों द्वारा खड़े होकर परस्पर बात करने पर आप लोग स्थान ग्रहण करें या बाहर लाबी में चले जायें, सदन में इस तरह से खड़े होना ठीक नहीं है ।

श्री तेजसिंह (जिला आगरा)—

आगरा में 5 डेरी हैं जो लाखों रुपया सालाना कमाती हैं । हमारा कोआपरेटि यूनियन सन् 1967 से चल रहा है, उसमें भी लाभ हो रहा था और राजकीय डेरी नुकसान में चल रही थी जैसा कि राजमंगल जी पांडेय ने प्रश्नोत्तर में बताया । लेकिन जो हमारी कोआपरेटिव यूनियन थी, उसके सेक्रेटरी का तबादला कर दिया है । वहां भी नुकसान होने लगा है ।

आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान कोआपरेटिव बैंक, बुलन्दशहर की तरफ ले जाऊं । वहां पर कितना बड़ा गोलमाल है । मैं आपसे चाहूंगा कि वहां के जो कर्जदार हैं, जिन्होंने बड़ा रुपया गबन कर रखा है, उनकी लिस्ट तैयार करायी जाय, अखबारों में शाया कराया जाय और वसूली का इंतजाम किया जाय । उसका एक तरीका यह है जो मेरे मित्र ने बताया । डाइरेक्टर और मैनेजिंग डाइरेक्टर का चुनाव भी नहीं कराते । वह आपको समय पर जैसा कि नियमावली में दिया हुआ है करा लेना चाहिये । मैनेजिंग डाइरेक्टर और बोर्ड से कह दिया जाय कि कोआपरेटिव बैंक का जिन लोगों पर बड़े-बड़े ऋण है उनके नाम बतायें तो उनके नाम नहीं दे सकते, उनको अखबारों में शाया नहीं कर सकते । वसूल करने की हिम्मत कहां है ।

इस तरह से कोआपरेटिव बैंक के रुपये को खाये बैठे हैं । जो गरीबों की सुविधाओं के लिये कार्य किया गया है, उसमें बड़े-बड़े लोग रुपये खाये बैठे हैं । वह बड़े-बड़े कौन हैं । कोई एम० एल० ए० है कोई एम० एल० सी० है । ऐसी हालत में उनसे कैसे रुपया लिया जाय ? कोआपरेटिव बैंक, बुलन्दशहर में जिनके जिम्मे बड़ी रकमें हैं उनके नाम मांग लिये जायं, उनको अखबारों में प्रकाशित करें और उनसे वसूली का इंतजाम किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक मित्र सुपरवाइजर्स की वकालत कर रहे थे । ट्रांस्फर एंट्री का ऐसा तरीका निकाला है केवल जून के महीने में रकम वसूल करते हैं उसमें ट्रांसफर एन्ट्री करते हैं । रुपया वसूल नहीं करते । ट्रांस्फर एंट्री में २०–२५ हजार रुपया एक महीने में बन जाता है । दो हजार रुपये महीना तनख्वाह बन जाती है, जो वेतन मिलता है वह अलग से । इस ट्रांस्फर एंट्री से यह उद्देश्य ही खत्म हो जाता है जिस उद्देश्य से रुपया दिया गया । ओम प्रकाश गुप्ता नाम के सुपरवाइजर ने जेवर खादा के सरपंच नारायणसिंह के दस्तखत करवा कर 62 हजार रुपया निकाल लिया । वह रुपया खाद देने के लिये था । बजाय खाद देने के वह रुपया निकाल लिया, कानून के खिलाफ 62 हजार रुपया लेकर 58 हजार हजम कर लिया और पांच हजार रुपये में उन किसानों के दस्तखत करवा लिये जिनके नाम से वह रुपया निकाला था ।

भगवतपुर के जाटव साहबान को पता चल गया तो उधम मचा। उसमें मेरे जरिये बड़े परिश्रम से 25 हजार रुपया सुपरवाइजर से लेने में कामयाब हुये हैं। लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया। मेरा सुझाव है इस तरह के सुपरवाइजर का तबादला न किया जाय और अगर सस्पेंड भी किया जाय तो बाहर न जाने दिया जाय उस इलाके में रहने दिया जाय ताकि उससे वह रुपया वसूल हो सके।

मैंने वादा किया था मैं उसकी हर तरह से हिफाजत करूंगा क्योंकि अगर वह मर जाय तो सुपरवाइजर से 58 हजार रुपया गरीब किसानों का मर गया। हम उसकी हर तरह से हिफाजत करेंगे और उससे रुपया निकाल लेंगे। लेकिन उसको सस्पेंड करके यू० पी० से बाहर भेज दिया। अब वह मिलता नहीं तकाजा किस से करें? ओम प्रकाश गुप्ता सस्पेंड पड़ा है रुपया किस से वसूल होगा? मेरे सामने आ जाय तो धमका कर कुछ करें, आंखों से शर्म खिला कर रुपया निकलवाने की बात करें, कलेक्टर, एस० पी० और मैनेजिंग डाइरेक्टर सब की नालेज में है लेकिन रुपया निकालने का कोई तरीका नहीं है। वह सोसाइटी ठप्प हो जायेगी और रुपया मारा जायेगा। इस सुपरवाइजर ने रुपये का लेन-देन किया है, जेवर गिरवीं रखा है, गहूं खरीदा है, गुड़ भरा है तथा भैंसा गाड़ी किराये पर चलाई है। यह बातें ऐसी खुली हैं कि ऐसे सुपरवाइजर के साथ क्या किया जाय। इसके ऊपर सोचना होगा। मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर से कहा था कि इसका तबादला न करें और न इसको सस्पेंड करें हम इससे रुपया वसूल कर लेंगे। लेकिन श्रीमन्, क्योंकि इसमें शिरकत करते हैं इसलिये उसको सस्पेंड कर दिया। पहले उसके तबादले की कोशिश की गई लेकिन जब ज्यादा उधम हुआ तो सस्पेंड कर दिया। इस तरह से सुपरवाइजर बदमाशी कर रहे हैं। उनके लिये सोचा जाय कि उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके ऊपर मंत्री जी ध्यान दें। ट्रांसफर एंट्री बिलकुल बन्द होनी चाहिये। जो भी सुपरवाइजर ट्रांसफर ऐन्ट्री करता है उसको न रखा जाय। एक महीने में ट्रांसफर ऐन्ट्री करके वे अपना रुपया बना लेते हैं। एक मर्तबा गरीब ने रुपया ले लिया तो वह पड़ा रहता है। जिस आशय के लिये वह रुपया दिया जाता है वह खत्म हो जाता है।

एक प्रार्थना यह है कि कोआपरेटिव विभाग द्वारा जो रुपया बांटा जाता है तो बांटने का काम पूरे साल चलते रहना चाहिये। किसान को जब रुपये की जरूरत हो उसको मिल सके। इस प्रकार की योजना बनाई जाय और तकाजा भी पूरे साल चलता रहे ताकि सुपरवाइजर के पास पूरे साल काम बना रहे। जब जरूरत हो तभी रुपया दिया जाय। बिला वजह रुपया न दिया जाय। जून के महीने में रुपया बेकार दे दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने मुलायम सिंह जी का भाषण बड़े गौर से सुना और मैं उम्मीद करता था कि वे सहकारिता पर अच्छे सुझाव देंगे क्योंकि जैसा चन्दन सिंह जी ने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र ऐसा है जिससे पिछड़े इलाके में, पिछड़े मुल्क में आशा की किरन झलकती है। इसमें पार्टी बन्दी का भी सवाल नहीं है। जो लोग सहकारिता आन्दोलन से सम्बन्धित हैं, चाहे पी०सी०एस० हो या बैंक हो जहां चुनाव होता है वहां बिला लिहाज इसके कि कौन आदमी किस पार्टी का है, चुनाव किया जाता है। जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि पी०सी०एफ० उपभोक्ता

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

भंडार आदि में विरोधी दल के लोग काम कर रहे हैं । तो मैं कहूंगा कि कहते समय जो उनकी पार्टी का नजरिया है उसको निकाल दें अपने दिमाग से और तब सहकारिता के बारे में कहें । मेरा ख्याल है कि वे कम उम्र के आदमी हैं । मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र से स्वर्गीय हर-गोविन्द सिंह थे, वे मंत्री थे । पुराने आदमियों का ध्यान सहकारिता की ओर नहीं था ।

मैं बता देना चाहता हूं कि आज बहुत परिवर्तन हो चुका है और सहकारिता आन्दोलन सारे देश और प्रदेश में ज ड़जमा चुका है । उसमें खामियां हो सकती हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ बराबर उन्हीं तथ्यों की ओर प्रकाश डाला गया जिनसे मालूम हो कि सहकारिता ऐसी बदनाम चीज है, जिसमें नहीं जाना चाहिये ।

माननीय सदस्य मुलायम सिंह ने कहा कि यहां विशेष अनुसंधान शाखा बनायी गयी है वह सभी छोटे-छोटे लोगों को पकड़ रही है और उनको बन्द कर रही है । उसका काम किसी छोटे या बड़े को पकड़े जाने से सम्बन्धित नहीं है जिसके खिलाफ रिपोर्ट लाज होती है उ ी के खिलाफ पकड़ धकड़ होती है और उन्हीं के विरुद्ध कार्यवाही होती है । यह जो विशेष अनुसंधान शाखा है जिसको मैं समझता हूं कि इसका प्रयोग इस सूबे में सबसे पहले किया गया है । मैं जानता हूं कि पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज करायी जाती थी उसकी जांच नहीं होती थी ।

इसकी स्थापना हो जाने के बाद उसकी जांच की गयी । दसियों आदमियों ने सरेन्डर किया और बहुतों के मामले कोर्ट में चल रहे है । जब से इसकी स्थापना हुई है और जो लोग सहकारिता का रुपया खाकर हजम कर गये हैं उनके अन्दर घबराहट पैदा हो गयी है । मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है कि विशेष अनुसंधान शाखा का विस्तार किया जाना चाहिये । इसमें जो कर्मचारी रखे गये है उनकी संख्या कम है और वे इस काम को दक्षता से कर सकने में सक्षम नहीं हैं अतः उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिये और उसको मजबूत किया जाये ।

मैं कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं एक तो यह है कि सहकारी अधिनियम के सिलसिले में कहना चाहता हूं । बाबा राम नाथ जी चले गये उन्होंने बहुत जोर से भाषण दिया कि 2 टर्म से ज्यादा कोई अध्यक्ष या मैनेजिंग डाइरेक्टर न बनाया जाये, परन्तु यह बात गलत है । जब आप किसी एम० एल० ए० या एम० पी० के लिये नहीं रोक लगाते हैं कि 2 टर्म अथवा 3 टर्म के बाद नहीं चुना जाना चाहिये तो कोई वजह नहीं है कि 2 टर्म के बाद कोई संचालक न रह सके । मंत्रियों ने इसको कबूल किया है । दीक्षित जी ने इसको माना है । इस समय के सहकारिता मंत्री ने इसको माना है, जो यहां बैठे हैं, पं० कमलापति त्रिपाठी ने माना है । बहुगुणा जी ने भाषण किया कि यह सिद्धांत गलत है । मैं जरूर कहता हूं कि जो एनामली है इसको दूर करें और संशोधन ऐक्ट में करें । जो आदमी ठीक काम करता है वह 2 टर्म 4 टर्म तक संचालक रह सकता है किसी को इसमें एतराज नहीं होना चाहिये ।

मैं इस किताब को पढ़ रहा था । यह किताब हम लोगों को आज प्रातः काल मिली मेरा ख्याल है कि 50–60 पन्ने की किताब है । मझको मौका लगा है । महाराष्ट्र में आप जानते होंगे एक कोआपरेटिव ट्रेनिंग स्कूल है और मैंने 2–3 बार इस प्रश्न को उठाया भी कि भाई हमारा इतना बड़ा सूबा है, 55 जिल हैं, 9 करोड़ भी जनसंख्या है ट्रेनिंग के स्कूल्स भी आपके यहां हैं ? सरकारी लोगों के लिए उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था है, परन्तु जो गैर सरकारी लोग हैं उनके लिए ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है । इसके अलावा जो गैर-सरकारी सदस्य आते हैं, चाहे बैंक हो, या उपभोक्ता हो, उसमें संचालक मंडल को जो चुन लिया जाता है तो उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो वहां की वर्किंग समझाने में ही लग जाते हैं । तो इसके लिए आवश्यक है कि जो बराबर सहकारिता के जो दनिक काम हैं इसके प्रशिक्षण के लिए कोई बड़ा इंस्ट्रीट्यूट कायम कर, जो पसे वगरह की अगर जरूरत हो तो उसको वह दें ।

दूसरी चीज इस सिलसिले में आपसे कहना चाहूंगा, इसको आप आलोचना न समझें। पिछले 2 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि सहकारिता के मामले में हम लोग यद्यपि पीछे हटे हैं। मेरे पास एक किताब है जो मैंने देखा है अभी, आपकी लोनिंग भी बढ़ी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस मामले में हम लोग पीछे चले गए, जितनी लोनिंग होती है शार्ट टर्म और मीडियम की उसका सवा 6 प्रतिशत, श्रीमन, उस लोनिंग का सवा 6 प्रतिशत खाली चार राज्यों में होता है---गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और तामिलनाडु में। इतना बड़ा सूबा होते हुए भी हम उस मामले में पीछे रह गए।

अगर मार्केटिंग को देखिए तो आपको मालूम होगा कि हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य भी उत्तर प्रदेश से आगे हैं। हमारा प्रतिशत घट गया है मार्केटिंग के मामले में। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय में विशेष ध्यान दिया जाय। हमारा सुझाव है कि एक तो जसे सुपरवाइजर्स हैं, उनको प्रान्तीयकरण कर दिया जाय क्योंकि वह एक सहकारी आन्दोलन की कड़ी हैं।

दूसरी चीज मैं इसी के साथ चाहूंगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने जो कुछ योजनाएं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बनाई हैं, वह स्कीमें जो अपने प्रदेश में पिछड़े इलाके हैं उसमें कोई भी पूंजीपति उद्योग लगाने के लिए तयार नहीं। उसके लिए एक ही तरीका है कि सहकारिता के क्षेत्र में उद्योग लगाये जायं।

पिछड़े इलाके में अगर पूंजी लगाकर उद्योग चलाए जायं तो हमारे जैसे पिछड़े इलाके में तरक्की हो सकती है। इसी के साथ जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जहां पर उपभोक्ता भंडार है, उन उपभोक्ता भंडारों में पिछले दो सालों में इतनी तरक्की हुई कि सूबे के अन्दर 25--26 स्टोर्स ऐसे हैं जो मुनाफे पर चल रहे हैं। जौनपुर उपभोक्ता भंडार की काफी पूंजी समाप्त हो गईथी। 3 लाख की वर्किंग कैपिटल पूंजी पर इस वर्ष इसने 82 हजार रुपए प्राफिट किया है। यह एक रेकार्ड है।

माननीय चौधरी साहब ने एक दिन सहकारिता विभाग की आलोचना करते हुए कहा था कि आप कैसे करते हैं। जहां इस प्रकार के काम सूबे में हो रहे हैं, उस आन्दोलन को बदनाम करने के लिए जो उसके बुरे एसपेक्ट्स हैं, उन्हीं को बताना चाहते हैं। आपको चाहिए कि उसके जो अच्छे आसपेक्ट्स हैं, उनकी प्रशंसा करें ताकि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उन लोगों की हिम्मत अफजाई हो सके। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में अपने विचारों को रखने का अवसर दिया। मैं खासतौर से एक बात यह अज करना चाहता हूं कि सहकारिता के पवित्र उद्देश्य को, हमारे सत्ताधारी दल ने एक चुनाव जितने और धन अर्जित करने का माध्यम बनाकर, समाप्त कर दिया है। जो भी कायवाही हो रही है प्रदेश के स्तर पर उसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सत्ताधारी दल के लोग लूट खसौट और चुनाव के लिए राजनीति से लिप्त न हों।

मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से, माननीय मन्त्री जी से 3 बातें निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक यह कहा जा रहा है कि जो बजट पेश है, वह घाट का बजट है लकिन एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि प्रदेश म सन् 1954 से आडिटर लोग ह, चीफ

[श्री हरि केवल]

आडिटर का जो कार्यालय है, इससे वर्ष 1974 में करीब 214 और 40 लोगों का स्थानान्तरण किया गया है और जो तबादले हुए हैं, उसमें जो व्यय मार शासन को वहन करना पड़ेगा, मेरे जैसे आदमी के अनुमान के अनुसार 1 लाख 50 हजार रुपया होगा। हमारा बजट घाटे का है और इसके लिए हमें अतिरिक्त पैसे जुटाने होंगे लेकिन इतने लोगों को यहां से हटाकर व्यर्थ में शासन को 1 लाख 50 हजार रुपया उनको देना होगा।

मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् 1954 से लेकर आडिटर्स की फौज ने जो जगह-जगह पर आडिट किया था, उसकी जो रिपोर्ट्स आयी हैं, उनके अनुसार विभाग में 15 करोड़ रुपया का गबन हुआ है और उसको प्राप्त करने के लिए और जिम्मेदार अधिकारियों को सजा देने के लिए सरकार ने कोई कारगर उपाय नहीं किये हैं और न कोई उचित तरीका ही उनको प्राप्त करने के लिए अपनाया है।

यह सरकार निगमों की सरकार है, इन्होंने सारी चीजों के निगम बना दिये हैं। ये 11 जिलों में दुग्धशाला खोल रहे हैं लेकिन देवरिया का कहीं भी नाम नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। जो यह विभाग है और इसमें जो सोसाइटीज हैं, इनमें जगह-जगह पर इस तरह की लूट की गयी है कि अगर कायदे से देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और साझेदारी सत्ताधारी दल के लोगों की होगी। श्रीमन्, आपके माध्यम से सत्ताधारी लोगों पर आक्षेप करता हूं कि इसके पवित्र उद्देश्य को समाप्त करके अपनी राजनीति को चला रहे हैं।

श्रीमन्, हमारे यहां देवरिया में, एक पी0सी0एफ0 विभाग है। जिसमें 1,800 लाख रुपये का गबन हो गया है---देवरिया कोआपरेटिव बैंक है। हमारे श्रम मन्त्री जो जब उस बैंक के अध्यक्ष थे उस समय 22 लाख रुपए का गबन हुआ और इस तरीके से श्रीमन्, एक दो जगह नहीं, पूरे प्रदेश में गबन का काम हुआ है। शायद कागज के आंकड़े म लाभ आ गया? दुग्धशालायें चल रही हैं कागज में...

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

मेरे जमाने में 22 लाख का जो गबन है तो इनके मित्र डायरेक्टर हैं, वह क्यों नहीं पुलिस में रिपोर्ट लाज करत कि उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो सके जिन्होंने गबन किया है?

श्री हरिकेवल---

मैं कहना चाहता हूं कि भेदभाव वाली बात नहीं, मैं तो आपको भी कहता हूं और हमारे भी अगर कोई साथी डायरेक्टर हैं तो उनको भी कहता हूं कि जो भी भ्रष्ट कामों में लिप्त हैं उनकी तो जांच होनी चाहिए और उन पर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री राजमंगल पांडेय---

मैंने पूछा कि 22 लाख का गबन जो मेरे जिले में हुआ है तो उनके मित्र डायरेक्टर हैं, क्या वह सारे गबनों को पुलिस में देकर के उनका चालान करायगे?

श्री हरिकेवल---

जहां तक गबन की जांच कराने का सवाल है उसके मालिक तो आप ह, सरकार तो आपके हाथ में है। मै आपसे कहना चाहता हूं...

श्री अधिष्ठाता--

आप स्थान ग्रहण करें। ऐसा है कि सहकारिता विभाग में जहां-कहीं भी गबन हुआ है वहां के संचालक मंडल जब उसकी रपट करते हैं तो उसको पकड़ा जाता है और शासन की ओर से तभी कार्यवाही होती है। तो माननीय मन्त्री जी यह आग्रह कर रहे हैं कि क्या अगर गबन हुआ है--जैसाकि आपका आरोप है--तो उस गबन के सम्बन्ध में क्यों नहीं रपट की जाती है, जिससे इसकी सफाई हो सके ?

श्री हरिकेवल--

श्रीमन्, जहां तक रिपोर्ट करने का सवाल है जो आडिटर उस समय हुआ और माननीय श्रम मन्त्री जी उस समय उस बैंक के अध्यक्ष थे और वहां से रिपोर्ट आनी चाहिए थी। जहां तक रिपोर्ट न आने का सवाल है तो वह तो वह विभाग जाने ।

श्री राजमंगल पांडेय--

मैं फिर यह कहता हूं कि यह कहना ही गलत है कि मैं अध्यक्ष रहा। अध्यक्ष तो कलक्टर रहे, मैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर रहा--अपनी जानकारी ठीक कर लीजिये। मैं पूछता हूं कि इस सम्बन्ध में आज भी एफ0 आई0 आर0 क्या आपके मित्र लिखाने को तैयार हैं जबकि बोर्ड आपके हाथ में है ?

श्री हरिकेवल--

अधिष्ठाता महोदय, रिपोर्ट की बात जहां तक है कि मेरे हाथ में है और मैं दिखाने का काम करूं तो यह तो श्रम मन्त्री जी को उस दफ्तर से रिपोर्ट मिल जायगी और जो आडिट हुआ होगा उसकी जांच वह करवा लेंगे तो शायद मालूम हो जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कुछ सुझाव दीजिए, समय समाप्त होने वाला है।

श्री हरिकेवल--

मैं दो एक बात कहना चाहूंगा। जहां तक छोटे-छोटे काश्तकारों को पैसे देने का सवाल है उसमें एक-एक सुपरवाइजर और एक-एक एकाउन्टेंट और सारे विभाग के लोग इस तरह से लीन हैं कि जो किसान को पैसा मिलना चाहिए वह पैसा एक नए तरीके से मिलता है। मन्त्री जी कह रहे थे कि अब तो हम चेक सिस्टम करा दिए, अब इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, और गांव के हर जगह पर लोग जानते हैं कि जब कोई सुपरवाइजर के पास जाता है और जिसके पास कम जमीन है वह पैसा लेना चाहता है तो पहले परसेंटेज सुपरवाइजर जमा करा लेता है, एकाउन्टेंट करा लेता है तब कर्ज की दरखवास्त बनवाई जाती है और तब पेमेन्ट होता है। पेमेन्ट के पहले ही ये सारी रकमें जमा करवा ली जाती हैं और यह भी काम होता है। जिस तरह से गांव के बड़े सूदखोर अपना पैसा सूद पर चलाते रहे हैं उसी तरह से आज इसमें एक बीमारी चल पड़ी है जिसको समाप्त करने का काम माननीय मन्त्री जी को करना चाहिए।

श्रीमन्, एक और जरूरी बात कहना चाहता हूं। संविद सरकार ने, कैसे लोगों को अधिक से अधिक दूध मिल सके इसके लिए श्री उग्रसेन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी

[श्री हरिकेवल]

बनायी थी। उस कमेटी ने 300 पन्ने की अपनी रपट दी थी लेकिन उस रपट को आज तक प्रकाश में नहीं लाया गया। क्या माननीय मन्त्री जी उस रपट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री जय नारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता बजट के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया। जैसा कि मेरे साथियों ने भाई मुलायम सिंह जी के सम्बन्ध में बताया, उनको सहकारिता के सम्बन्ध में शायद जानकारी नहीं है और वह ऐसे दल से आते ह जिनके नेता का भी कोई विश्वास सहकारिता पर नहीं है। इसलिए सिवाय भ्रष्टाचार शब्द के कोई नई बात उनके भाषण में नहीं सुनी जिससे जो कमियां इस विभाग में हैं वह दूर हो सकें।

समाजवादी व्यवस्था में सहकारिता का एक विशेष स्थान है। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन आज जो असुविधा उन राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में है वह सब को मालूम है। समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए आज हमारे सामने केवल एक विकल्प है कि हम हर क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा दें।

ऋण वितरण के सम्बन्ध में चौधरी मुलायम सिंह व अन्य साथियों ने बहुत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एक जमाने की बात थी जब कह सकते थे कि ऋण वितरण और वसूली में काफी भ्रष्टाचार है लेकिन जैसाकि हमारे और साथियों ने कहा, जब माननीय यादव जी इस विभाग के मन्त्री थे तो उन्होंने एक चेक प्रणाली लागू की जिससे काश्तकार को डायरेक्ट चेक मिलता था। लेकिन उस चेक प्रणाली में भी सुपरवाइजर या सरपंच काश्तकार से चेक पर दस्तखत करा लेते थे और बैंक से रुपया ले लते थे।

माननीय यादव जी ने उसका काट किया और कहा कि उस काश्तकार को बैंक जाना होगा और रजिस्टर में अलग से दस्तखत करना होगा और उसकी एक फोटो होगी जिसको देखकर बक उसी आदमी को पेमेन्ट करेगा। इसमें ट्रांसफर एन्ट्री की बात नहीं। जब जिसको ऋण लना होता है वह खुद जाकर रुपया लेता है।

सन् 1967 से पयवेक्षकों के बारे में बिल्कुल अनिर्णीत व्यवस्था है। उनकी सेवायें कैसे कन्ट्रोल की जायं, उनको कौन नियुक्त करे, कैसे उनका ट्रांसफर हो उसके बारे में सन् 67 से हम अस्तव्यस्त हो गये हैं। पहले इन पर्यवेक्षकों का कन्ट्रोल, नियुक्ति या दंड प्राविंशियल कोआपरेटिव यूनियन किया करता था लेकिन सन् 67 में माननीय सचिव महोदय ने एक आदेश दिया कि इनकी सेवायें पी०सी०यू० से हटायी जाती हैं और जिन संस्थाओं में ये काम करते हैं उनके अधीन की जाती हैं। इससे एक अस्तव्यस्तता जरूर आ गयी और जैसाकि अन्य साथियों ने कहा है अब पर्यवेक्षक एक स्थान में बहुत दिनों से बना रहता है, न उसका ट्रांसफर होता है, न उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होती है। इस लिए अगर इन पर्यवेक्षकों का प्रान्तीयकरण न करें तो कम से कम एक ऐसी व्यवस्था बना दें जैसी पहली थी। पहले इनकी देखरेख के लिए एक कमेटी बनी थी जो अब समाप्त कर दी गयी है। आज अगर उनकी किसी सरपंच से नहीं पटती तो उसे सर्विस से अलग कर दिया जाता है, दूसरी सोसाइटी उसको लेती नहीं हैं। इसलिए सरकार को इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए।

मान्यवर, यह व्यवस्था की गई है कि हर सोसायटी में एक सचिव होगा, लेकिन उस पर किसका कन्ट्रोल होगा, अगर वह एक जगह रहता है तो क्या उसकी व्यवस्था होगी आदि प्रश्नों पर अभी विचार नहीं किया गया है। हम बिना इनका अलग कैडर बनाये हुए आगे नहीं चल सकते।

जैसा अभी हमारे एक साथी ओम प्रकाश सिंह जी ने बताया, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि हमारे यहां सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित शिक्षा दीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है जैसी कि कुछ अन्य प्रान्तों में चल रही हैं। हमारे यहां इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इतना प्रसार इस सहकारी आन्दोलन का है, मगर उसकी शिक्षा दीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे प्रान्तों में अच्छी खासी रकम इसके लिये रखी जाती है।

इस प्रदेश में 1960-61 में 66 लाख रुपया पी०सी०यू० को मिलता था जो घटकर 1967-68 में वह 9 लाख रह गया, अब वह भी समाप्त हो गया। सरकारी कर्मचारियों की शिक्षा-दीक्षा के लिये जो थोड़ा-सा रुपया रखा है वह बहुत कम है। इतनी थोड़ी-सी रकम में आप उनको शिक्षा नहीं दे सकते। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

जहां तक इस विभाग के प्रचार व प्रसार का सम्बन्ध है, आपने केवल 72 हजार रुपया पी०सी०यू० को दिया है जो बहुत कम है। इस स्कीम के लिए और अधिक रुपए की जरूरत है। सहकारिता आन्दोलन तभी सफल हो सकेगा जब गांव के लोग ट्रेंड हों। वे यह समझते हों कि उनके क्या अधिकार ह, कैसे उनको कर्जा मिल सकता है, किस प्रकार अन्य सुविधायें मिल सकती हैं, तभी वे सही मानी में इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार सहकारिता की शिक्षा का इन्तजाम अच्छी तरह से करे।

मैं माननीय मुलायम सिंह जी की इस बात से भी सहमत हूं कि सहकारी विभाग में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जहां कहीं गड़बड़ी हो, जांच के बाद वहीं सरकारी हस्तक्षेप हो। हस्तक्षेप के पहले समिति को जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। एक चीज मैं पी० सी० यू० के बारे में कहूंगा। इस समिति के साथ अन्याय हुआ है। 4 लाख रुपया इसमें सरकार का लगा था। 6 साल से उनकी इमारत पर गवर्नमेंट का कब्जा है। काफी किराया बाकी हो चुका है। लेकिन चार लाख न देने पर प्रबन्ध समिति समाप्त कर दी गई है। म तो समझता था मुलायम सिंह जी फतेहपुर के बारे में मेरी ताईद करेंगे। वहां कोई साइन्स डिग्री कालेज नहीं है। लड़कों को साइन्स पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। मैंने अन्य लोगों से 2–3 रुपए प्रति व्यक्ति चन्दा देने के लिए कहा ताकि यह कालेज खुल सके। लेकिन अभी इतना रुपया इकट्ठा नहीं हुआ है कि साइन्स कालेज खोला जाय, प्रयास चल रहा है। मैं चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से फतेहपुर में एक साइन्स डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था हो। अगर सहकारिता के माध्यम से मैं कोई कमी फतेहपुर जनपद की दूर कर सकता हूं तो अवश्य करूंगा।

अभी मेरे भाई मुलायम सिंह ने भ्रष्टाचार की तमाम बातें कहीं और उदाहरण भी दिए। मैं फतेहपुर के बारे में चैलेंज से कहता हूं कि वहां जिला सहकारी बक में एक पैसा का भी गबन नहीं हुआ है। इस तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर आप साबित कर देंगे कि वहां पर किसी तरह का गबन या भ्रष्टाचार हुआ है तो म आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह जिस तरह से कहेंगे मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं उन्हें ही जांच करने को अधिकृत करता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 8 साल से म जिला सहकारी बैंक, फतेहपुर का अध्यक्ष रहा हूं लेकिन एक पैसे का भी मैंने आज तक टी०

[श्री जय नारायण सिंह]

ए० या डी० ए० नहीं लिया है। मेरे बैंक में एक पैसे का भी गबन या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति साधुवाद प्रकट करता हूं कि आपने सहकारिता के बजट के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की है।

मान्यवर, जहां तक सहकारिता का प्रश्न है, सहकारिता इस देश की हजारों वर्ष पुरानी परम्परा रही है। वेदों और उपनिषदों ने इसका समर्थन किया है---

'ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवाव है।
तेजस्विनावधीत मस्तु नोविद्विषावहै।
'संगच्छध्वं संवदध्वं संदो मनांसि जानतां'

इस तरह वेद और उपनिषद् भी सहकारिता की बात करते हैं। मैं और कहना चाहता हूं कि:-

'परस्परम भावयुक्तः
श्रेयः परमावस्तंह'
'सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा,
पुरोवाच प्रजापतिः।'

कारण यह था कि एक दूसरे के श्रम से एक दूसरे का कल्याण हो। यह ठीक है। लेकिन आज कठिनाई यह हो गई है कि मैं आपका ध्यान इस कठिनाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश के और लोक सभा के एक माननीय सदस्य ग्यानी गुरमुख सिंह जी, एक शेर कहा करते थे,

'अगर तूफां में कश्ती हो तो काम आती हैं तदबीरें
मगर कश्ती में तूफां हो तो फूट जाती हैं तकदीरें।'

अगर तूफान में कश्ती होती है तो आदमी की तदबीरें काम आती हैं लेकिन कश्ती में तूफान हो तो नष्ट होने में क्या शंका है। यह हाल इस विभाग का है। मान्यवर ऐसे, तो हर विभाग में भ्रष्टाचार है लेकिन जो आपका यह सहकारिता विभाग है उसका कहना ही क्या है।

मान्यवर गोविन्द वल्लभ पन्त जी ने एक बार कहा था कि कोआपरेशन को अगर ठीक तरीके से किया जाता है तो ठीक है नहीं तो कोआपरेशन करप्शन का पर्यायवाची बन जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि आज कोआपरेशन करप्शन का पर्यायवाची हो गया है। वैसे तो सभी विभागों में भ्रष्टाचार नारकीय यातना जैसा विद्यमान है लेकिन सहकारिता विभाग में यह रौरव और कुम्भीपाक नक जैसा रूप धरे हुये है। मान्यवर, यहां लूट मची है। एक शेर है---

'जो चमन में हैं लुटेरे, उन्हें और यूं है जल्दी,
कहीं रात न ढल जाये, कहीं दिन निकल न आये।'

और सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हमने एक अनुसंधान सेल खोला है। जितने अफसर हैं उसमें मैं उनको जानता हूं। वह क्या करते हैं मैं यह भी जानता हूं। आज एफ० आई० आर० जब तक लाज नहीं करायी जाती तब तक किसी के विरुद्ध इस विभाग में जांच नहीं हो सकती है। यही भ्रष्टाचार की शु आत है। आपने भ्रष्टाचार की यहीं से शुरुआत की है।

एक सदस्य––

आपसे मतलब क्या अधिष्ठाता महोदय से है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

मान्यवर, आपसे मतलब सत्ता पक्ष से है। उधर के बैठने वाले कर्णधारों से और हुकूमत करने वालों से है। मान्यवर, आज कोआपरेशन, कारपोरेशन और करप्शन इन तीनों का त्रिगुट है। मान्यवर, मैं आपको बतलाऊं कि इस प्रदेश में एक बहुत बड़ा विभाग है विजिलेन्स-सतर्कता अधिष्ठान। लेकिन विजिलेन्स के डाइरेक्टर के इतने पावर नहीं हैं कि एक अमुक आफिसर के खिलाफ इन्क्वायरी कर सके। विजीलेन्स डाइरेक्टर के हाथ कटे रहते हैं। वह बिना ऊपर के आदेशों के इंक्वायरी नहीं कर सकता है। श्रम मंत्री जी कहते हैं कि श्री हरिकेवल जी आप जांच करवा लीजिये। किस अफसर की हिम्मत है कि वह जांच करवा ले। यदि जांच करवाता है तो उसका उत्तरकाशी–पिथौरागढ़ ट्रांसफर हो सकता है।

श्री राज मंगल पांडेय––

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से इस प्रदेश में चौधरी साहब सबसे मजबूत प्रशासक माने गये हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि श्री कौशिक जी आप इस नियम को बदलवा दें कि सारे डाइरेक्टर के पावर गवर्नमेंट की परमिशन पर हों जैसे यदि इंक्वायरी हो तो भी गवर्नमेंट की परमिशन पर।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

चौधरी साहब की बातों को रहने दीजिये हम से बात कीजिये। मान्यवर, मैं कोआपरेटिव क्षेत्र की गम्भीर घटना का जिक्र कर रहा हूं। पडरौना, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा के श्री चन्द्र बली सिंह ने दो-ढाई लाख रुपये का गबन किया। इस पर जांच हुई। जांच को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब वे यूनियन बक में बैठे हुये हैं। दूसरे एक ठाकुर साहब आये। उन्होंने भी घुटाला किया और उसकी जांच भी नहीं हो पायी। इन्होंने ऐसा काम किया कि एक महीने तक सारा केस, सारे कागजात को बन्द करके चले आये लखनऊ। लखनऊ में एक महीने तक बैठे रहे। वहां के कलेक्टर साहब ने कहा कि बैंक में ताला लगा दो। ठाकुर साहब पर इन कर्णधारों का हाथ था। इसलिये कुछ नहीं हुआ।

श्री राज मंगल पांडेय––

मान्यवर, सारे रेकार्ड मौजूद हैं कि उनका ट्रांसफर न हो। आप लोगों ने उनका ट्रांसफर रुकवाया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

दूसरे श्री हरिश्चन्द्र गुप्ता ने 3 लाख रु० का गबन किया। उनका कहना है कि उन्होंने रात में रुपये बांटे हैं। इस प्रकार सहकारिता में काफी भ्रष्टाचार है।

श्री महेश सिंह (जिला हरदोई)––

अधिष्ठाता महोदय, आज जब सहकारिता की मदों पर हम विचार-विमर्श कर रहे थे तो मैंने देखा कि इस माननीय सदन का अधिकतर समय व्यक्तिगत बातों में चला गया। जो मुख्य विषय हमारे सामने था और जो इस प्रदेश और देश के लिये बहुत महत्व का है उस पर हम उतना विचार नहीं कर सके जितना कि करना चाहिये और हम लोग व्यक्तिगत मामलों में उलझे रह गये।

[श्री महेश सिंह]

हम सभी जानते हैं और यह सत्य निर्विवाद है कि पंचवर्षीय योजना चली। पहली पंचवर्षीय योजना और विशेषकर तीसरी और चौथी में हमने सहकारिता के माध्यम से नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो गांव में खेती की तरक्की के लिये साधनों के जुटाने की बात थी उसमें 35 प्रतिशत जिम्मेदारी सहकारिता की है। बहुत बड़े पैमाने में हमने गांव में काम किया। किसानों के लिये जहां दूसरा विकल्प नहीं था वहां हमने इसके अरिये, चाहे वह खेती की उन्नति हो, चाहे पशु की बात हो और चाहे बीज की उन्नति की बात हो, तरक्की की है।

(इस समय 4 बज कर 6 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

चाहे बीज की बात हो, चाहे खाद की बात हो, हर प्रकार से हमने बड़े पैमाने पर इस प्रदेश में सहकारिता द्वारा गांवों में विकास-कार्य को बढ़ाया। हमारे मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से हमने मास्टर प्लान के अन्तर्गत 72-73 में लगभग 2 लाख 90 हजार नये सदस्य बनाये। ये वे सदस्य हैं जो कि लघु और सीमांत किसानों में हैं। इनके पहले ऐसे किसानों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती थी क्योंकि इनके पास खेती कम थी और इनके लिये अपना हिस्सा जमा करना मुश्किल था। लेकिन अब इन छोटे किसानों को कितनी बड़ी मदद मिलने लगी है इसको महत्व नहीं दिया जा सकता।

सहकारिता द्वारा आगे हम कितने बड़े पैमाने पर काम करने जा रहे हैं जिससे हमारे गांवों की स्थिति सुधरे इसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने शुरू में किया। उन्होंने इस बात को बताया कि हम पशुओं की उन्नति द्वारा सहकारिता द्वारा जो दूध की स्कीमें हैं उनमें कैसे प्रगति कर सकते हैं। इसमें मेरा इतना सुझाव और जोड़ दें कि यह केवल दुग्ध उत्पादन की ही योजना न रहे बल्कि पशुधन सुधार की योजना भी बनावें। आज हमें बैल की हालत सुधारने की जरूरत है। अगर बलों की उन्नति नहीं होगी तो गाय की उन्नति नहीं होगी और इसी प्रकार भैंस और भैंसे की उन्नति नहीं होगी। इसलिये हमें सर्वांगीण रूप से पशुधन की उन्नति की बात सोचनी चाहिये। वर्ल्ड बैंक से भी रुपया मिला है तो उस स्कीम को ब्योरे से बनाना चाहिये। स्कीम तो आ जाती है लेकिन जब वह ब्योरे से नहीं बनायी जाती तो वह कारगर ढंग से कामयाब नहीं हो पाती।

हमें यह भी देखना है कि किसानों के लिये जितने रुपये की जरूरत है अगर वह हम कोआपरेटिव बैंक से नहीं दे पाते तो क्या उस जरूरत को कार्मशियल बैंक्स पूरा करते हैं या नहीं। कई बार यह बात आयी कि उत्तर प्रदेश में कार्मशियल बैंक्स का परफारमेंस अच्छा नहीं है। छोटे किसानों में उनका योगदान प्रायः नगण्य रहा है। जितने डिपाजिट्स इस प्रदेश में वे इकट्ठा करते हैं तो कम से कम उतने डिपाजिट्स कृषि और लघु उद्योगों में वे लगायें। एक बिक्कत कोआपरेटिव में और आती है। जहां कार्मशियल बैंक को उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुविधा दे रखी है कि वे जिन किसानों को रुपया देते हैं तो उनसे सीधे रुपया वसूल कर सकते हैं, किसी सहकारी समिति के द्वारा नहीं हालांकि रुपया सहकारी समिति के माध्यम से बांटते हैं लेकिन उनकी कुर्की सीधे हो जाती है और इस तरह से रुपया वसूल करने में आसानी होती है।

माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि भूमि विकास बैंक का कार्य भी इसलिए अच्छा है कि उनका भी सीधे नीलाम करके रुपया वसूल हो जाता है। मेरा यह सुझाव है कि जिला बैंक को भी यह अधिकार होना चाहिये। बीच सहकारी समिति के आने से आठ दस साल लग जाते हैं और इस तरह से बहुत सारा धन बकाया रहता है और इससे आगे धन देने में मुश्किल होती है। यह भी कहा गया कि गांवों में लोगों को, किसानों को ठगा जाता है। यह बात कुछ हद तक सही है। इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है इसके लिये मैं सुझाव देना

चाहता हूं कि इनके प्रशिक्षण के लिये कुछ काम हो। पहले भी प्रौढ़ एजूकेशन इस प्रकार की स्कीम चलाई गयी, लेकिन उससे काम नहीं चला। जैसे तीन दिन की ट्रेनिंग के लिये 6 रुपये एक गैर सरकारी मेम्बर को देते थे। इसके लिये मेरा सुझाव है कि जैसे सुनो किसानो का प्रोग्राम आल इण्डिया रेडियो द्वारा होता है, उसी तरह से इसी प्रकार की एक वार्ता प्रसारित की जाय कि कोआपरेटिव समितियों से कैसे ऋण लें, कैसे उनसे लाभ उठायें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार बड़े पैमाने पर यह आवाज किसानों तक पहुंचेगी। मेरी भी एक वार्ता आने वाली है। आल इण्डिया रेडियो एक ऐसा मीडिया है कि जिसके जरिये बड़े पैमाने पर किसानों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं।

हम देखते हैं कि सहकारिता में अभी इन्टीग्रेटेड स्कीम नहीं चल पाती है। जैसे गल्ले के लिये रुपया दिया। जब गल्ला उत्पन्न करने के लिये रुपया दें, तो उसकी जो उपज हो, वह हमारे द्वारा बिके। अगर गेहूं के उत्पादन के लिये रुपया दिया है, तो गेहूं में ही वह पैसा अदा करें। जब उसको मार्केटिंग करें, तो वह भी सहकारिता के हाथ में हो। महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलें क्यों तरक्की कर गयीं। उनके यहां एक कोआर्डिनेटेड स्कीम है कि किस प्रकार गन्ने के लिये पैसा दिया जाय। गन्ना उगाते हैं, उसकी तरक्की होती है और उसके बाद कोआपरेटिव मिलें ही उसकी मार्केटिंग करती हैं। शुरू से लेकर अंत तक उत्पादन से लेकर विपणन तक, वे करते हैं। सर्वांगीण रूप से बड़े पैमाने पर इस प्रकार की स्कीम होने से हम देखेंगे कि कर्जा भी वसूल हो जाता है और किसानों को बीच में ठगने वाले भी नहीं होते।

इस प्रकार से सहकारिता का बड़ा रूप हमारे सामने आ सकेगा और हम देखेंगे कि हम इस दिशा में तरक्की कर रहे हैं। जैसे गुजरात में पशुओं की उन्नति के लिये आनन्द डेरी स्कीम है, उसी तरह से हमारे यहां भी उसी पद्धति से पशुधन का विकास किया जा सकता है। उसके लिये 4 करोड़ से काम नहीं होने वाला है और कामर्शियल बैंक से व्यवस्था करनी चाहिये। हर जिले में एक योजना बनाई जाय कि किस प्रकार से हर गांव, या हर गांव में नहीं तो हर ब्लाक में, पशुओं की कैसे उन्नति हो सकती है, गाय-भैंस और खेती की कैसे तरक्की हो सकती है।

इसी के साथ सुपरवाइजर्स के बारे में सुझाव देना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक की एक नयी स्कीम रखी गयी है कि हर बाइबिल समिति के सचिव होंगे, जिसको अलग से भी रख सकते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो भ्रष्ट सुपरवाइजर्स हैं, उनकी सेवायें अपने आप खत्म हो जायेंगी।

कोआपरेटिव में सबसे कमी इस बात की है कि इसमें नेतृत्व गांव में जाग्रत नहीं हुआ। जब तक यह नहीं होगा, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। जो प्लानिंग विभाग का 73 प्रतिशत पैसा स्टाफ और अधिकारियों की तनख्वाहों में चला जाता है। जो ये विकास खंड बने थे तो इस बात को मान कर चलाये गये थे कि जितने विकास खण्ड अधिकारी और जितने ग्राम सेवक आदि ह, उनकी सघन विकास खण्ड में जरूरत नहीं होगी और इनके पद समाप्त कर दिये जायेंगे। सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिये यह जरूरी है कि गांवों में नेतृत्व जागृत होना चाहिये। इस प्रकार हम इन तमाम बातों को अपना कर इस आन्दोलन को आगे बढ़ा सकते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। चूंकि समय बहुत कम है, इसलिये मैं चाहूंगा कि थोड़े में अपनी बात प्रस्तुत करूं।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

मैं चाहता था कि मैं माननीय लक्ष्मीशंकर यादव को जिन्होंने इन मांगों को पेश किया है, बधाई देता। पहले जब वह सहकारिता मंत्री थे तो भ्रष्टाचार से आजिज आकर उन्होंने एक स्कीम चलाई थी और सी० आई० डी० का एक दल मुकर्रर किया था कि जो इसकी जांच करे लेकिन अधिकारियों के चक्कर में पड़ कर वह ऐसे कांटे में पड़ गया कि वह चीज बिल्कुल बेकार हो कर रह गयी। आज भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है फिर भी मैं अपने बस्ती के भाई जो विधायक चुन कर आये हैं श्री राज बहादुर चन्द जी को उनके इस भाषण पर और उनके इस विचार पर उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस विभाग में जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं सब दूध के धोये हैं और कोई भ्रष्टाचार वहां नहीं है और इधर के सब लोग गलत आलोचनायें करते हैं।

मान्यवर, साथ ही साथ मैं लोकपति जी के इस विचार से सहमत हूं और जो भी उन्होंने सुझाव दिये हैं अगर इधर के लोगों के सुझाव को न माना जाय तो सिर्फ लोकपति जी के सुझावों को मान कर सरकार संशोधन इस विभाग में कर दे तो यह सहकारिता कितनी बढ़िया चीज बन सकती है। कम से कम तराई के इलाके के हजारों काश्तकार जो तबाह व बरबाद हो रहे हैं बरबादी से बच जाते, मुझको तो ताज्जुब हो रहा है श्रीमन्। कि राजबहादुर चन्द जी उसी इलाके के रहने वाले हैं लेकिन वे उसी पक्ष के सदस्य भी हैं जिस पक्ष के हमारे बहुगुणा जी जो मुख्य मंत्री हैं वे इस तरह के विचार रखते हैं।

मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में आज से दस पन्द्रह रोज पहले यह तसलीम किया था कि बैंकों के ऐसे कर्मचारी और सुपरवाइजर हैं जिन्होंने साल-साल भर तक रुपया वसूल करके अपने पास रखा हुआ है और उनसे वसूली की कार्यवाही की जा रही है। आज भी उन पर पांच-पांच सात-सात सौ रुपया बाकी है। जिस पार्टी के मुख्य मंत्री इस बात को मानें कि आज सरकार असमर्थ है सुपरवाइजरों और एकाउन्टेंटों के खिलाफ कार्यवाही करने पर उसी पक्ष के माननीय सदस्य उसी विभाग को इतना उछालें और वह क्यों उछालते हैं? इसलिये उछालते हैं कि ये ही लोग उस विभाग में भ्रष्टाचार के लिये जिम्मेदार हैं, ये ही लोग प्रेसीडेंट और डाइरेक्टर्स बने हुये हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से आज किसानों को अच्छी तरह से लूटा जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस चीज की अच्छी तरह से जांच करवायें और यह भी देखें कि इन सुपरवाइजरों और एकाउन्टेन्टों पर किसी न किसी तरह से कोई सरकार का अंकुश लगे। जो माननीय यादव जी ने सी० आई० डी० का एक विभाग कायम किया था आज उसको एक कांटे में डाल कर उलट दिया गया है। उसमें यह कर दिया गया कि जब तक डी० आर० या ए० आर० अपनी रिपोर्ट न दे दें तब तक सी० आई० डी० का स्टाफ बेकार है। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि उस कांटे को हटाकर सी० आई० डी० को सीधे-सीधे अधिकार दिया जाय कि छोटे से लेकर बड़े कर्म चारी अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो वह कान्फीडेंशल तरीके से, छुपे तरीके से जांच करे और उन पर मुकदमा कायम करा कर उनको सजा दी जावे। उस पर किसी किस्म का डी० आर० या ए० आर० का कब्जा न रहे।

सहकारिता इतनी अच्छी चीज है कि हमने बचपन से पढ़ा था कि आपस में मिलकर काम करने से बड़े से बड़े काम बनते हैं और सहकारिता से उम्दा कोई चीज नहीं है लेकिन आज इस कानून ने इस सहकारिता को इतना बरबाद कर रखा है कि हम लोग जो इधर बैठे हुये हैं उनको मजबूर होकर उसका विरोध करने के लिये मजबूर होना पड़ता है।

कुछ लोग कह रहे है और ज्यादातर उधर से लोग खड़े होकर यह कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई सुझाव नहीं आये, महज शिकायतें ही शिकायतें की गयीं। लेकिन वे सभी

सरकार को धन्यवाद देने के बाद और इधर की शिकायतें करने के बाद वही बातें कहते हैं जो इधर के लोग कह रहे थे। वही सब बातें दोहराते हैं जो इधर के लोग कहते रहते हैं। आज गबन की बातें सब करते हैं कि एक-एक सहकारी समिति में लाखों-लाखों रुपयों का गबन है और पूरे सूबे में तो करोड़ों रुपयों का गबन है और हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं। किसान जबरदस्ती लूटा जा रहा है। सौ-सौ रुपया या पांच सौ रुपया कर्जा लेता है वह बढ़कर चार हजार हो जाता है और उस दो सौ-चार सौ रुपये के जुर्म में जाकर वह 14 दिन तहसील की हवालात में बन्द रहता है। और जिनके ऊपर 10-5 हजार रुपया बाकी है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती महज इसलिये कि वह अध्यक्ष हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो उनकी पीठ पर बैठे हैं।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चेक सिस्टम जारी करके जो उन्होंने बहुत सुधार किया आज उसमें भी गड़बड़ी है। वह इस तरह से जो सहकारी समितियां हैं, जो उसके सदस्य हैं, खजांची, मंत्री हैं वे बिल्कुल अनपढ़ तथा जाहिल हैं और सुपरवाइजर उन पर हावी रहता है। वह पैसा ले लेता है। जितने गबन या चोरी तथा बदमाशी के मामले होते हैं उन सबमें उसका हाथ होता है लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं सकता। खजान्ची, मन्त्री, सदस्य जेल जाते हैं और सुपरवाइजर मौज उड़ाता है।

लक्ष्मीपुर के बी० डी० ओ० के खिलाफ जांच में मैं गया था। वहां पर सच्चिदानन्द नाम के सुपरवाइजर 5 साल से हैं। दूसरे जिले से आये हैं। दो-दो ट्यूबवेल अपने तथा अपनी बीबी के नाम से लगा लिये और 4 हजार रुपये का अनुदान उसको बी० डी० ओ० से मिला है। दो ट्यूबवेल के मतलब ये हुए कि 20 एकड़ जमीन भी उसने खरीद ली है। लाखों रुपये की बिल्डिंग वह बनवा रहा है। इस विभाग की यानी कोआपरेटिव की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके हाते के अन्दर उसकी कोठी का दरवाजा खुला हुआ है। क्या नीयत है उसकी? डायरेक्टर तथा अध्यक्ष महोदय दोनों मिलकर क्या उस सहन को भी उसे दिलवा देंगे? मैंने जांच-कर्त्ता को आउट करके लिखवा दिया है डी० एम० को। यह भी सदन को बतला दूं कि पांच दफा उसका ट्रांस्फर हुआ। ब्लाक प्रमुख, समन क्षेत्रीय एम० एल० ए० तथा डायरेक्टर सब आजिज हैं लेकिन जब ट्रांस्फर होता है तो जो यहां कर्णधार बैठे हुये हैं हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में लिये हुए वे उसका ट्रांस्फर रुकवा देते हैं।

कहा जाता है ताकत हमारे हाथ में है। मैं जोरों के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारे हाथ में छोटी-मोटी ताकत है तो हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में है। क्यों नहीं आप हमको सजा दिलाते? ताकत हमारे हाथ में है यह कह कर आपकी जिम्मेदारी नहीं हट जाती। आप अविलम्ब ऐसे केसेज देखें जिनमें गलत कर्जे लेकर मुकदमे चलाये गये हैं और जो जेल में बन्द हैं विशेष कर फरेन्दा तहसील के। अगर इसके बाद भी कुछ निकलेगा उन पर तो वे जायदाद बेचकर देने को तैयार हैं।

सहकारिता से बुनकरों की बड़ी सहायता हो सकती है सूत के वितरण में, उनके कर्ज चलाने में, उनको रोजी-रोजगार दिलाने में। लेकिन वहां भी यह लटका लगा हुआ है कि लोग सोसाइटीज बनाते हैं। लेकिन हावी सुपरवाइजर वगैरह हो जाते हैं। यह इस बात का सबूत है कि आज चार गुना सोसाइटीज तथा उनकी मेम्बर शिप बढ़ गयी है लेकिन फिर भी लोगों को उससे लाभ नहीं हो पाता है। लोग दुखी हैं और लूटे जा रहे हैं। अगर कायदे से पैसा बांटा गया होता तो हजारों की तादाद में बस्ती और गोरखपुर में आज छड़ियों का राज्य न होता। आज छोड़िये 10 प्रतिशत सूद लेते हैं और इन जिलों के हजारों किसान उनसे कर्जा लेकर काम चलाते हैं सहकारिता से कोसों भागते हैं।

[श्री अब्दुल रऊ लारो]

सौ रुपये प्रर 100 पया सूद हो जाता है और पीछे से डन्डा मारने वाले लोग अलग रहते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि यह आपकी स्कीम गरीबों के लिये नहीं है। जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी इसमें हैं वे गरीब को लूटकर अपना घर भर रहे हैं। अभी ो-चार रोज हु गोरखपुर की एक मामूली-सी दूध की डेरी का सवाल था 41 लाख पये का फार्म था, उसमें 9 लाख प का घाटा हुआ। लिहाजा कारोबार बन्द हो गया। उसके बाद जो चीजें उसमें अब फर्जी शे रह गई हैं उनका नीलाम होगा और जो 5-4 लाख रुपया उससे आयेगा, पता नहीं वह किसके पास जाता है किसान के पास जाता है या बड़े लोगों के पास जाता है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और उस पक्ष के लोगों से यह कहूंगा कि जो बातें सही हैं उन पर तो वे अमल करावें।

श्री मुलायम सिह यादव--

अध्यक्ष महोदय, मेरे इस क तो के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं उनका मैं कृतज्ञ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि दुनियां में जहां भी सहकारी आन्दोलन चला है और जहां भी वह सफल हुआ है वहां सहकारी आन्दोलन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रहा और न नियंत्रण ही रहा। इसीलिये उन शो में यह सहकारी आन्दोलन कामयाब हुआ। कुछ माननीय सदस्यों ने केवल मेरी आलोचना की और कहा कि मुझे सहकारी आन्दोलन की कोई जानकारी नहीं है।

मैं माननीय सदस्य श्री राज बहादुर चन्द जी को कहना चाहता हूं कि पूरे प्र श में माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की जांच करालें कि जो सबसे ज्यादा सहकारी आन्दोलन का जानने वाला हो, जिसको सबसे ज्यादा जानकारी है, वही इस सहकारी आन्दोलन को भ्रष्ट कर रहे हैं। मैं फिर हराना चाहता हूं कि प्रदेश में जो जिला सबसे कम भ्रष्ट हो उसी की जांच पहले करा लें। जो सहकारी आन् ोलन में ज्यादा दिनों से काम कर रहा है, जो सबसे ज्यादा सम्मानित संचालक और अध्यक्ष हैं व ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। उन्हीं के संरक्षण में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं माननीय राज बहादुर चन्द जी से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करा लें इसकी आज ही सदन में घोषणा होनी चाहि।

दूसरी बात यह कही गई कि रोशन लाल की रिपोर्ट गलत है, पक्षपातपूर्ण है, एक तरफा है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ोशनलाल की रिपोर्ट आप अलग रख, हाई कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति करके उसकी नः जांच करा लें। मैं कहता हूं कि यदि वह रिपोर्ट सही नहीं है तो क्यों नहीं सरकार फिर से उसकी जांच करवाती है।

लखनऊ में आपके ही पास जो सुपर मार्केट है, वह क्यों कामयाब नहीं हुआ। लखनऊ का हर नागरि क यह महसूस करता है कि इस सुपर मार्केट का प्रबन्ध केवल एक व्यक्ति के कारण बर्बाद और तबाह हुआ है। फिर भी आप कहते हैं कि यह रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है। मैं अप जिले का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर डी0सी0डी0 एफ0 के संचालक मंडल ने, 5 लाख की कीमत के प्लाट को अपने नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम के अलावा किसी और को प्लाट दिया हो तो उसकी जांच करा लें और वह भी केवल सवा लाख रुपये में। उस समय जिसकी कीमत 5 लाख थी और आज इटावा के मार्केट के अनुसार उनकी कीमत 7 लाख रूपये से कम नहीं है। इसकी आप एक जांच करा लें। इससे साबित हो जायगा कि यह सहकारिता आन्दोलन भ्रष्टाचार का अड्डा है या नहीं।

सहकारी आन्दोलन का विरोधी नहीं हूं। जो यह कहते हैं कि सहकारी आन्दोलन को भ्रष्टाचारी कहने वाले लोग समाजवाद के दुश्मन हैं, मैं उनको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार डाक्टर लोहिया के साथ एक साथी उनके साथ नी जल में थ और उस साथी न सहकारी समितियों से कभी भी कोई कर्ज नहीं लिया था। लेकिन जब वह जल में आया, सहकारी

कर्मचारियों ने उसके खिलाफ कार्यवाही की और कार्यवाही करने के बाद उसके घर को कुर्क किया, उसके पास कुछ भी नहीं था । एक बहुत गरीब घर का वह था, जाति का केवट था । उसके र पर केवल दो बैल थे । सहकारी कर्मचारियों ने इन ोनों बैलों को कुर्क कर लिया ।

जेल से जब वह साथी बाहर आता है और वह देखता है कि उसने कोई कर्ज नहीं लिया, तो उसके बाद दो बैल और कुर्क हो गये । उसने कर्मचारियों से कहा, उनके सामने रोया कि यह मरे साथ बहुत बड़ा अन्याय है, उसन किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं लिया है, यह कैसा अन्धेर है, लेकिन उन कमचारियों ने उसकी एक नहीं सुनी । वह बेचारा निराश हो गया । उसने र छोड़ दिया । उसके 3 पेड़ थे । उस संकल्प किया और एक पेड़ डाक्टर राम मनोहर लोहिया का और एक पेड़ अपने परिवार के लिये छोड़ा और तीसरा एक पेड़ क्षेत्रीय नेता मधुकर दिघे के लिये छोड़ दिया और डाक्टर राम मनोहर लोहिया के पेड़ के नीचे बैठकर आन्दोलन शुरु-किया । उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, सबने समझाया, उसने किसी की नहीं सुना और अपने धुन में आन्दोलन में जुटा रहा । सर्दी, गर्मी, बरसात में उसी पेड़ के नीचे रहकर उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया । क्या यही समाजवाद है ।

जो समाजवाद के हामी है, जो सदस्य इस प्रकार की बात करते हैं, वह सबसे पक्के दुश्मन है । मैं गांधी के समाजवाद में विश्वास करता हूं, इसलिये मैं यह आलोचना करता हूं और आपके भ्रष्टाचार की बात करता हूं । आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रशंसा करूं । लेकिन विरोधियों का काम प्रशंसा करना नहीं है, मैंने तो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मेरा उद्देश्य विभाग के भ्रष्टाचार और खामियों को उभाड़ कर आपके और जनता के सामने लाना है । प्रशंसा का काम तो आपका ही है और इसके लि आपके पास रेडियो, अखबार और सूचना विभाग है, जो आपकी और विभाग की प्रशंसा करेगा । यही हाल इटावा जिले का है, जिन्होंने कोई कर्ज नहीं लिया, उनके खिलाफ फर्जी लोनिंग है और उनके लिये लोग वारन्ट लिये घूम रहे हैं उनकी फसल भी पाले में चली गई । वह दरख्वास्त देते हैं कि मैंने कोई लोन न ीं लिया । फर्जी लोनिंग है लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं ।

क्षेत्रीय नेता श्री भारत सिह चौहान ने मे पास सहकारी समितियों के नाम दिये हैं-इटावा जिले के अन्तर्गत पाना, दरबनाई, रामू, अदाना और फतेहपुर आदि जहां-जहां सब धांधली हो रही है । उन्होंन कोई कर्ज नहीं लिया, उसके बाद भी उनसे कर्ज वसूल हो रहा है । लेकिन उनकी बात वहां के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं । जो आपके साथ के लोग हैं, दल के लोग हैं और सहकारी आन्दोलन में दिलचस्पी रखते हैं, ये लोग किसी न किसी पद के पदाधिकारी हैं मैं उनके नाम दे रहा हूं । हजारों रुपये के बकायेदार हैं । आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसमें चौधरी लाल सिह, अजीतमल, श्यामबिहार दुबे, शिवशंकर लाल, अयाना, मुलायमसिह यादव ब्लाक प्रमुख भागनगर, स्वदेश दुबे नौगवां, रामप्रकाश अवस्थी बेलहुपुर और फफूंद के हृदयनारायण शुक्ला जी है जो हजारों के बकायेदार हैं और हमारे जिले में भी प्रचार कर रखा है कि मैं बहुगुणा जी का खास रिश्तेदार हूं । इसलिये वहां पर किसी आदमी की हिम्मत नहीं कि उनसे वसूली करे ।

मेरी छोटे लाल से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मैं वास्तव में उनको सूरत से भी नहीं जानता हूं लेकिन उनके काम के बारे में 6-7 साल से जानता हूं । सब बातें छोड़ दो तीन साल में जो लगभग 50 हजार का जो उन्होंने टी० ए० लिया है उसी की जांच करा लें । उधर के माननीय सदस्य मेरी आलोचना करते है । किन सत्तारुढ़ दल के माननीय सदस्यों ने जब अपने क्षेत्र की बात कही तो वही ोना रोया जो मैं कह रहा था । तब उन्होंने भी स्वीकारा है कि भ्रष्टाचार है, हम भी उसके भुक्तभोगी है ।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

अगर सरकार सहकारी आन्दोलन से करप्शन मिटाना चाहती है, तो सुपरवाइजर्स का सरकारीकरण कीजियेतुरन्त । मैं जानता हूं कि सरकारीकरण ये नहीं कर सकते । क्योंकि यह बहुत बड़ा उनका साधन है, राजनीतिक कार्यों में जिसका प्रयोग होता है, सारा आना जाना, जीप, पेट्रोल, मोटर, सारा का सारा इसी माध्यम से मिल रहा है । सुपरवाइजर्स का सरकारीकरण हो । इसी तरह से मैं आपको एक उदाहरण दूं, जो कि गरीबों के हमदद माननीय सदस्य कह रहे थे, और कह रहे थ कि हम समाजवाद के दुश्मन हैं । वे भूमि विकास बैंक की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे ।

ग्राम सभाई का एक गरीब बघेल जाति का था । उसने पांच हजार रुपया कर्जा लिया भूमि विकास बैंक से । जब कर्जा उसको स्वीकार हुआ तब एक हजार के लगभग खच हो गया । फिर ढाई हजार रुपया दिया गया । पांच सौ रुपया उसने इंजन वाले को एडवांस दे दिया । दो हजार पये में बोरिंग का कमरा बनवाया । उसके बाद कह दिया कि पहले इंजन ले आओ तब ढाई हजार रुपया दिया जायगा । उसका पांच सौ वह भी चला गया । अगर उसके घर में होता तो वह भूमि विकास बैंक से क्यों मांगता ? नतीजा यह हुआ कि सारे कर्जे की डिग्री होकर, कुर्की होकर, 26 जून को उसकी जमीन भी शायद नीलाम हो गयी ।

यह सहकारिता आन्दोलन समाजवाद लायेगा? निर्बल की सहायता करेगा, किसान की सहायता करेगा ? मेरे कम्युनिस्ट भाई जिस गांधी समाजवाद को नहीं मानते ह, भ्रष्टाचार बढ़, उसके बाद एक मानोपली होती है वह कायम हो, उनके समाजवाद का क्या मतलब है, बईमानी करो, गबन करो, करोड़ों रुपया सहकारिता आन्दोलन का खाया गया है, लोग मौज उड़ा रहे हैं, अगर इसका अर्थ समाजवाद है तो समाजवाद को चलाया जाय ।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, भूमि विकास बैंक के बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा । भूमि विकास बैंक रुपया जब किसानों को दता है तो वह किसी कम्पनी को अधिकृत कर देता है कि उसी से इंजिन लिया जाय । किसान को उसके यहां 3,600 रुपय में इंजिन मिलता है जब कि अन्य दुकानों पर वही इंजिन 2,500 पये में मिलता है । इसम कोई बात छिपाने की नहीं है । उनसे बात कीजिये कि जब बाजार में इंजिन 2,500 रुपये में मिलता है तो फिर आप 3,600 रुपये में क्यों देते हैं । वह कहता है कि मैं अधिकृत तब हुआ हूं जब मुझसे 15–20 हजार रुपये लेकर अधिकृत किया है । उसने यह भी कहा है कि बड़े अफसर लेते हैं और शायद उनके द्वारा मंत्री जी लेते हों । तब जाकर अधिकृत होते हैं । खैर कुछ भी हो लेकिन इतना सही है कि आजकल खुले आम किसानों की लूट हो रही है । इसको क्यों नहीं रोका जाता है ? इसमें क्या कानून बनेगा ? आप किसान को चेक दीजिये और कह दीजिये कि वह ओपिन मार्केट से जहां सस्ता मिले इंजिन खरीद ले । इसके बाद चैक कर लीजिये कि उसने इंजिन खरीदा या नहीं । लेकिन उससे कहा जाता है कि फलां डीलर से लो इसीलिये उसकी लूट हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अगर यह चाहते हैं कि सहकारिता आन्दोलन चले तो मेरा सुझाव है कि इनको जिला परिषद् के नियंत्रण में छोड़ दिया जाय । जनता के चुने हुये लोगों के नियंत्रण में छोड़ दिया जाय । यदि यह सरकार ईमानदारी और निष्पक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती है तो एक डी0सी0डी0एफ0 को ले लीजिये और दस साल की जांच करा लीजिये और हिसाब लगाइये कि कितनी पूंजी थी, कितना घाटा हुआ और कितना नफा हुआ यदि लाभ हुआ है तो क्या उत्पादकों को बांटा गया और यदि घाटा हुआ तो क्यों ? जब कि प्राइवेट वालों को सबको लाभ हुआ है । आपके सारे डी0सी0डी0एफ0 नुकसान में चल रहे हैं ।

जो किसान बैंक से कर्जा लेते हैं और अगर उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उनकी भूमि को नीलाम करते हैं । मेरा सुझाव है कि किसी की रोजी को नीलाम नहीं करना चाहिये । उसकी फसल को नीलाम कीजिये । इससे तो आप उनको बेकार और भूमिहीन बना रहे हैं । जहां आप भूमिहीनों को जमीन देने की बात करते हैं वहां इनको भूमिहीन बना रहे हैं । इस तरह से इटावा में भ्रष्टाचार चल रहा है ।

सेवा मंडल द्वारा जो नियुक्तियां होने वाली थीं उसके खिलाफ हाई कोर्ट सेस्टे ले लिया है और संचालकों के रिश्तेदारों की ही नियुक्तियां हो रही हैं । मैंने आपको बताया कि इटावा जिस बैंक में केवल 3 आदमी ही इसमें इलेक्टेड हैं । पंचायतों का जैसे चुनाव होता है उसी तरह से सामान्य चुनाव किया जाय और 5 साल के लिये चुनाव हो । इससे सहकारी समिति ों में सुधार होने वाला नहीं है । उन्हीं संचालक मंडल को अधिकार दिया जाता है । बहुत जगहों पर यह पता ही नहीं चलता है कि चुनाव कब हुआ । इसलिये कार्यवाही शुरू करने के पहले ही उसे भंग कर देना चाहिये । सामान्य चुनाव कराना चाहिये और हर सदस्य को वोट देने का अधिकार होना चाहि ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह सहकारी आन्दोलन ूरे रूप से असफल रहा है और इस आन्दोलन ने भ्रष्टाचार फैलाया है । जिन लोगों का बेईमानी से मतलब नहीं था उन तक यह व्याप्त हो गया है । ऊपर से लेकर गांवों तक जो भ्रष्टाचार फैल गया है उसका एक कारण है यह सहकारी आन्दोलन । आप यह ेखें कि जिन्होंने खाद नहीं लिया, लोन नहीं लिया और उनके खेत नीलाम होने को हैं, फसल नीलाम होने को है । यह सब सहकारी आन्दोलन के माध्यम से हुआ है । इन सारी बातों को ेखते हुये मुझे आशा है कि सदन कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेगा ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव––

अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद ेता हूं कि उन तमाम माननीय सदस्यों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया । इस विवाद में हिस्सा लिया । और खासतौर से उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंन मूल्यवान सुझाव दिये हैं । कटौती के प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य ने अभी भी कई बातों का जिक्र किया पहले भी कुछ कहा था लेकिन फिर उन्होंने दुहराया पहले तो उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों से कोई भी लाभ छोटे किसानों को नहीं पंहुच पा रहा है । मैंने पहले भी कहा था जब कि भूमि विकास बैंक की काफी चर्चा की गई । भूमि विकास बैंक ारा अब तक 160 करोड़ दीर्घ कालीन ऋण दिये जा चुके हैं उसमें से साढ़े बावन करोड़ उन काश्तकारों को दिया गया है जो 5 एकड़ से नीचे के हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह 40 फीसदी के करीब हो जाता है ।

हमारे उत्तर प्रदेश में मैं ही करने वाला था एक संयुक्त ऋण योजना चलायी गयी थी जिसमें कई काश्तकार मिलकर चाहे वह ट्रैक्टर हो, चाहे पंम्पिग सेट हो ले सकते हैं । वे ग्रुप बनाकर ऋण ले सकते हैं जिसमें एक बिसवें के काश्तकार भी शामिल हो सकते हैं । इसलिये यह कहना है कि छोटे काश्तकारों को कोई लाभ नहीं पंहुचा है यह सही नहीं है दूसरे मध्यकालीन और ीर्घकालीन ऋण के सिलसिले में निवेदन है कि अब तक 20 फीसदी छोटे काश्तकारों को ऋण दिये गये हैं । यह सुरक्षित है । जो विश्व बैंक की योजना चलायी है उसमें 65 फीसदी उन काश्तकारों को ऋण दिया जायेगा जो 5 एकड़ से कम के हैं इसलिये यह कहना कि छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं है यह गलत है.....।

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

दूसरी चीज जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि इन्होंने जिक्र किया कि सत्ताधारी लोगों के हाथ में आन्दोलन है । सारे प्रदेश में हर जिले को देख आओ और जिले में जो केंद्रीय संस्थायें हैं चाहे वह डी०सी०डी०एफ० हों या कंज्युमर स्टोर्स हों, हर दलों के लोग उसमें हैं । सहकारी आन्दोलन से यह मतलब नहीं है कि कोई कैसे दल का हो । अध्यक्ष महोदय, आप उस वक्त थे शायद मालूम होगा कि इस तरह के भ्रष्टाचार पहले हुआ करते थे और उसी की बुनियाद पर यह तरीका निकाला गया कि चेक दिया जाय और सोचने के बाद कि इस तरह की फर्जी लोनिंग होती है ।

आज भी कोई कहा करे कि चेक के जरिये भी ट्रांस्फर इंट्री होती है मैं समझता हूं कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है । एक बार मुरादाबाद जिले में सुपरवाइजरों ने कुछ चेकों को इकट्ठा किया और उसे ले जाकर बैंक वालों से मिलकर चेक भुना लिये । जब यह बात शासन को मालूम हुई तो शासन से यह आदेश हुआ कि हर आदमी को बैंक जाना पड़ेगा तभी उसको रुपया मिल सकता है ।

अगर आज कोई ऐसा भ्रष्टाचार का तरीका निकल आया है और अगर कोई मा० सदस्य किसी स्थान पर भ्रष्टाचार बताता है तो वह उसे लिखकर दे मैं उसकी पूरी छानबीन कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा । अगर कोई मा० सदस्य कहीं पर कोई भ्रष्टाचार निकाल देते हैं, तो मैं वह रास्ता निकाल दूंगा कि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं रह सकेगा ।

श्री मधुकर दिघे---

खाद आप कहां से देंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

दूसरा निवेदन मुझे जो करना है, जो आम भ्रष्टाचार के संबंध में कहे गये, वह तो और बात है । कुछ खास-खास जिले दिये गये । उन जिलों का तो प्रतिवाद यहां पर हो गया । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन में और आपके सामने । फिर भी माने नहीं, कहीं सत्ताधारी पार्टी को रिस्तेदार बना दिया गया कहीं रिस्तेदारी के नाते उस पर कुछ नहीं किया जाता यह कहा गया । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जहां कहीं पर कोई भ्रष्टाचार या गबन किया गया होगा, उसकी गिरफ्तारी होगी चाहे वह हमारा बाप हो, चाहे लड़का हो । क्योंकि अध्यक्ष महोदय, यह वसूल और न्याय अपना और पराया नहीं देखता । अगर भ्रष्टाचार को सहकारिता से समाप्त करना होगा तो इस तरह से भ्रष्टाचार को हमें हटाना ही होगा और हमें इस तरह से कदम उठाना ही पड़ेगा ।

अगर किसी प्रदेश ने भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कदम उठाये हैं तो वह है उत्तर प्रदेश जहां पर सर्वप्रथम चेक सिस्टम लागू किया गया । मैं यह भी आपसे निवेदन करता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा कि कोई भी यदि भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाता है तो वह बच नहीं सकता है। क्या कोई बता सकता है कि किसी भी ऐसे मामले की भी जांच कोई करता है जिसकी एफ०आई० आर० न लिखाई जाय । जब एफ० आई० आर० लिखाई जाती है तभी जांच होती है । मैं समझता हूं इन थोड़े दिनों में विशेष अनुसंधान शाखा ने जितने मामलों की जांच की हैं उसके प्रति वह धन्यवाद देने के योग्य हैं । मगर फिर भी अगर कहीं पर कोई मामला मालूम हो जाय तो अवश्य कार्यवाही होगी, इसमें कोई शक नहीं है । साथ ही कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बहुत थोड़ा-थोड़ा पैसा लोगों को दिया जाता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ लोगों को उसकी जानकारी नहीं है । कर्जा देने का नियम यह है कि गन्ने को छोड़कर एक एकड़ पर 150 रुपया नकद और 300 रुपया काइंड में दिया जाता है ।

और गन्ने वालों को 150 रुपया नकद और 600 रुपया काइंड में दिया जाता है । तो इसलिये यह कहना कि किसी को बहुत थोड़ा ही मिलता है, यह बहुत ज्यादा उचित नहीं है।

कुछ चर्चा यहां पर बुलन्दशहर मिल के सूत की हुई कि हमारे प्रदेश में यह सूत नहीं दिया जाता है । इसके बारे में मेरा निवेदन है कि वह हमारे प्रदेश में पश्चिमी जिलों में दिया जाता है । वैसे जो वहां पर 10 काउन्ट का सूत होता है, उसको अधिकतर इस्तेमाल करने वाले दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग हैं । इसलिये वहां पर जाता है, इस सूत की वहां पर बड़ी प्रशंसा भी है । यह प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी वितरण किया जाता है।

अन्त में, मैं इस वाद-विवाद में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया उनको धन्यवाद देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हूं कि जितने भी उनके अमूल्य सुझाव आये हैं, उन पर चलने की कोशिश करूंगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर अधिकारियों का जिक्र किया । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे लिखकर दे दें तो उनके खिलाफ उच्च अधिकारी से जांच कराकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जायगी । इसलिये इसमें किसी भी माननीय सदस्य को शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है । अन्त में मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और प्रस्तुत अनुदानों को स्वीकार करने की कृपा करें ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

आप अपनी चैक प्रणाली को भी चैक करवा लीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 41 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41—सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,74,60,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थिन किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 73 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73—सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले

[श्री अध्यक्ष]

परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,01,38,100 रुपये से अनधिक धनर शि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 92 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,14,11,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50 के अधीन संपूर्ण मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50—दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब नियम 51 के अन्तर्गत कुछ सूचनायें आयी हैं....

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। 5 बज चुके हैं....

श्री अध्यक्ष—

क्या खत्म कर दिया जाय ?

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—

आधा घंटा समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं बढ़ा सकता हूं, लेकिन आवश्यकता नहीं है।

इनमें माननीय पुरुषोत्तम, माननीय कृपा शंकर आर्य और माननीय बांकेलाल द्वारा प्रस्तुत बद्रीनाथ मंदिर को बिड़ला बन्धुओं द्वारा तोड़वाकर अपनी निर्माण शैली से बनाये जाने के संबंध में जो है उसे मैं वक्तव्य के लिये मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। बाकी सब अस्वीकृत हैं

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 1 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
8 जुलाई, 1974।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 979 पर)

तालिका 'झ'

निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर दिनांक 31–5–74 को बकाया गन्ना मूल्य की स्थिति

(केन यूनियन की सूचना के आधार पर)

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	चीनी मिल का नाम	सीजन 1973–74 के पूर्व का अवशेष	सीजन 1973–74 का अवशेष
1	इकबालपुर	0.41	84.84
2	देवबन्द	..	53.44
3	लक्सर	..	49.48
4	मंसूरपुर	5.34	32.25
5	खतौली	0.22	5.35
6	शामली	2.14	76.97
7	दौराला	..	53.22
8	जसवन्त	0.19	30.25
9	बेगमाबाद	..	24.16
10	सिम्भौली	..	17.80
11	मवाना	1.52	133.64
12	काशीपुर	..	58.46
13	बिलारी	0.56	31.17
14	रामपुर	4.11	83.68
15	सिवहारा	..	12.04
16	धामपुर	0.04	16.54
17	नेवली	..	8.00
18	बहेड़ी	1.06	73.80
19	बरेली	9.07	77.85
20	पीलीभीत	..	78.36
21	रोजा	..	61.47
22	हरदोई	..	5.73

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	चीनी मिल का नाम	सीजन 1973–74 के पूर्व का अवशेष	सीजन 1973–74 का अवशेष
23	हरगांव	..	73.15
24	महोली	..	57.37
25	बिसवां	..	32.49
26	गोला	..	61.80
27	ऐरा	..	16.01
28	पलियाकलां	..	102.28
29	मोतीनगर	0.03	1.63
30	शाहगंज	0.39	10.14
31	बभनान	..	3.93
32	नवाबगंज	..	12.45
33	तुलसीपुर	..	30.63
34	बलरामपुर	..	0.03
35	खलीलाबाद	0.07	..
36	मुंडेरवा	..	5.00
37	बस्ती	..	..
38	वाल्टरगंज	..	0.06
39	सरदारनगर	0.12	..
40	घुघली	..	16.72
41	सिसवाबाजार	1.81	20.41
42	आनन्दनगर	0.05	8.34
43	परतावपुर	..	0.03
44	बैतालपुर	..	5.00
45	गौरीबाजार	..	..
46	देवरिया	..	3.30
47	छितौनी	..	15.57
48	कैप्टेनगंज	..	..
49	लक्ष्मीगंज	..	7.72
50	रामकोला (पी)	..	0.13
51	पडरौना	0.04	7.45
52	कठकुइंयां	..	..
53	सेवरही	..	2.37
	कुल योग ..	27.17	1562.49

तालिका 'ब'

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन के अन्तर्गत चीनी मिलों पर दिनांक 31-5-74 को गन्ना मूल्य बकाया की स्थिति
(केन यनियन्स की सूचना के आधार पर)

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	सीजन 1973-74 के पूर्व का अवशेष	सीजन 1973-74 का अवशेष
		रु०	रु०
1	सहारनपुर	37.42	39.39
2	रोहाना	24.85	33.56
3	डोईवाला	4.25	36.97
4	सुखौती टांडा	0.15	31.88
5	मोहीउद्दीनपुर	5.19	22.00
6	बाराबंकी	27.25	15.35
7	खड्डा	9.82	13.48
8	भटनी	0.68	1.65
9	किच्छा	..	35.78
	योग ..	109.61	230.06

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9866 पर)

ब्लाक मियांव—

क्रम-सं०	चीनी के कोटेदारों के नाम जिनके विरुद्ध जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी को शिकायतें प्राप्त हुई	शिकायतों पर कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3
1	श्री बैजनाथ यादव, आशापार ..	जांच कराई गयी । जांच के फलस्वरूप कोटा निलम्बित किया गया । प्रधानगण की संस्तुति एवं निरीक्षक की रिपोर्ट पर कोटा पुनः बहाल किया गया । पुनः शिकायत प्राप्त हुई है। जिस पर जांच जारी है ।
2	श्री पृथ्वी पाल पाठक, पारवनपुर ..	जांच कराई गयी । कोई अनियमितता नहीं मिली ।
3	श्री झिनकू यादव, पारवनपुर ..	कोटा रोक दिया गया है । जांच चल रही है।
4	श्री लक्ष्मण प्रसाद, मोसहरा ..	कोटा निलम्बित कर दिया गया है। जांच चल रही है ।
5	श्री हीरा लाल, मियांव ..	जांच के परिणाम स्वरूप कोटा निरस्त कर दिया गया।
6	श्री भगौती प्रसाद, दुल्हूपुर ..	कोटा निलम्बित कर दिया गया है तथा कारण बताओं नोटिस दिया गया है ।
7	श्री रामचेत, मुरहरा ..	जांच चल रही है।
8	श्री द्वारका प्रसाद, अजमलपुर ..	जांच की जा रही है ।
9	श्री विनय कुमार सिंह, बन्दोपुर ..	जांच चल रही है ।
10	श्री त्रिलोकी नाथ रामसिंगार, मियांव	जांच चल रही है ।

ब्लाक जलालपुर—

1	श्री वसीउल्लाह, सम्मनपुर ..	जांच के परिणामस्वरूप कोटा निरस्त कर दिया गया ।
2	श्री राम नरायण, धहसआ ..	जांच चल रही है जिसके दौरान कोटेदार ने त्याग-पत्र दिया जो स्वीकार नहीं किया गया। पत्रावली पर निर्णय खाद्य सलाहकार समिति की बैठक में होना है । कोटा निलम्बित है ।
3	श्री भगवती प्रसाद, खजुरीकरोदी ..	जांच में अभिलेख न दिखाने के कारण कोटा निलम्बित कर दिया गया है। बिक्रेता ने त्याग-पत्र भी दिया जिसे स्वीकार नहीं किया गया।

क्र०सं०	चीनी के कोटेदारों के नाम जिनके विरुद्ध जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी को शिकायतें प्राप्त हुईं	शिकायतों पर कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3
4	श्री राम नयन, फतेहपुर ..	जांच चल रही है ।
5	श्री राम जीत, मालीपुर ..	कोटा निलम्बित है जांच चल रही है।
6	श्री राम लखन सिंह, डोमियांव ..	जांच चल रही है ।
7	श्री राम नयन, नगपुर ..	कोटा निलम्बित है, जांच चल रही है।
8	श्री राम उजागिर, सुरहुरपुर ..	कोटा निलम्बित है । पत्रावली पर निर्णय खाद्य सलाहकार समिति की बैठक में होना है।
9	श्री राम अचल सिंह, स्माइलपुर ..	जांच चल रही है ।
10	साधन सहकारी समिति, बड़ेपुर ..	कोटा निलम्बित किया गया परन्तु गम्भीर अनियमितता न पाये जाने के कारण बी० डी० ओ० की संस्तुति पर कोटा बहाल किया गया ।
11	श्री अनन्त राम, डोमियांव ..	कोटा निलम्बित किया गया है । बिक्रेता ने त्याग-पत्र भी दिया है जिसे स्वीकार नहीं किया गया ।
12	श्री शिव कुमार, सकरायुसुफपुर ..	जांच चल रही है ।
13	श्री राम रतन, मालीपुर ..	जांच चल रही है ।
14	श्री राजाराम, सरथनपुर ..	जांच चल रही है ।
15	श्री जिया लाल सकरायुसुफपुर ..	जांच चल रही है।
16	श्री जय राम, सुरहुरपुर ..	जांच चल रही थी पर बी०डी०ओ० की संस्तुति पर दुकानदार का त्याग-पत्र स्वीकार किया गया।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 987 पर)

सूची

1—सुरक्षा आपूर्ति करने वाली इकाइयां .. .. क्षमता का 100 प्रतिशत

2—दियासलाई बनाने वाली इकाइयां .. .. ,, 50 ,,

3—क्लोरिनेटेड पैराफीन वैक्स .. .. ,, 50 ,,

4—फार्मासिटिकल्स .. .. ,, 50 ,,

5—वैक्स पेपर/इस्ट्रास .. .. ,, 45 ,,

6—ग्रिपाल .. .. ,, 50 ,,

7—जूते की पालिस बनाने वाली इकाइयां .. .. ,, 30 ,,

8—मोमबत्ती बनाने वाली इकाइयों को :

(अ) 1.00 मैं० टन एक बार में यदि बिक्री-कर नहीं दिया है ।

(ब) 2.00 मैं० टन एक बार में यदि बिक्री-कर दे दिया है ।

(स) 2.00 मैं० टन एक बार में पिछड़े जिले की इकाइयों को ।

9—अन्य .. .. .. क्षमता का 20 ,,

नत्थी 'घ'

सूची

(देखिए तारांकित प्रश्न सं० 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 988 पर)

गेहूं के उत्पादन में सरप्लस जिलों का नाम

1—सहारनपुर
2—मेरठ
3—मुजफ्फरनगर
4—बलन्दशहर
5—अलीगढ़
6—मथुरा
7—इटावा
8—फर्रुखाबाद
9—फतेहपुर
10—हमीरपुर
11—जालौन
12—ललितपुर
13—हरदोई
14—खीरी—लखीमपुर
15—सीतापुर
16—बहराइच
17—बाराबंकी
18—फैजाबाद
19—गोंडा
20—मैनपुरी
21—एटा
22—बरेली
23—बिजनौर
24—बदायूं
25—मुरादाबाद
26—शाहजहांपुर
27—पीलीभीत
28—रामपुर
29—बांदा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 989 पर)

रेल मन्त्रालय द्वारा जुलाई, 73 से मई, 74 तक जिलेवार आवंटित स्लैक कोल रेकों का विवरण

क्र०-सं०	जिले का नाम	रेल मंत्रालय द्वारा जुलाई, 73 से मई, 74 तक आवंटित स्लेक कोल रेक की संख्या	क्र०-सं०	जिले का नाम	रेल मंत्रालय, द्वारा जुलाई, 73 से मई, 74 तक आवंटित स्लेक कोल रेक की संख्या
1	2	3	1	2	3
1	अलीगढ़ ..	2	25	हरदोई ..	3
2	इटावा ..	1	26	रामपुर ..	3
3	एटा ..	4	27	कानपुर ..	7
4	मैनपुरी ..	3	28	गाजीपुर ..	..
5	लखनऊ ..	3	29	गोरखपुर ..	1
6	आगरा ..	3	30	आजमगढ़ ..	5
7	सीतापुर ..	4	31	बहराइच ..	1
8	बुलन्दशहर ..	9	32	बस्ती ..	3
9	जौनपुर ..	5	33	देवरिया ..	4
10	मुरादाबाद ..	5	34	बलिया ..	2
11	मुजफ्फरनगर ..	5	35	गोंडा ..	6
12	प्रतापगढ़ ..	1	36	बदायूं ..	1
13	इलाहाबाद ..	4	37	फर्रुखाबाद ..	5
14	बरेली ..	4	38	देहरादून ..	2
15	मथुरा ..	4	39	नैनीताल ..	1
16	रायबरेली ..	2	40	बिजनौर ..	..
17	शाहजहांपुर ..	2	41	फतेहपुर ..	..
18	सहारनपुर ..	7	42	जालौन ..	..
19	बाराबंकी ..	5	43	पीलीभीत ..	..
20	फैजाबाद ..	5	44	उन्नाव ..	1
21	वाराणसी ..	5	45	बांदा ..	..
22	मेरठ ..	16	46	मिर्जापुर ..	..
23	लखीमपुर खीरी ..	2	47	झांसी ..	..
24	सुल्तानपुर ..	1	48	हमीरपुर ..	..
				योग ..	147

नोट—कोयला का वर्ष जुलाई से आरम्भ होकर जून में अन्त होता है।

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 991 पर)

तालिका 'क'

प्रदेश की चीनी मिलों पर 31-5-74 तक बकाया गन्ना मूल्य की स्थिति
(केन यूनियन को सूचना के आधार पर)

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	सीजन 1973-74 के पूर्व का अवशेष	सीजन 1973-74 का अवशेष
1	2	3	4
		रु०	रु०
1	इकबालपुर	0.41	84.84
2	देवबन्द	..	53.44
3	लक्सर	..	49.48
4	सहारनपुर	37.42	39.39
5	सरसावां	2.33	56.82
6	मन्सूरपुर	5.34	32.25
7	खतौली	0.22	5.35
8	रोहाना	24.85	33.56
9	शामली	2.14	76.97
10	डोईवाला	4.25	36.97
11	सखौती	0.15	31.88
12	बौराला	..	53.22
13	जसवन्त	0.19	30.23
14	मोहिउद्दीनपुर	5.19	22.00
15	बगमाबाद	..	24.16
16	सिम्भौली	..	17.80
17	मवाना	1.52	133.64
18	बागपत	..	52.58
19	बलन्दशहर	3.84	70.38
20	काशीपुर	..	58.46
21	बाजपुर	..	6.08
22	अमरोहा	7.63	55.87
23	बिलारी	0.56	31.17
24	रामपुर	4.11	83.68
25	सिवहारा	..	12.04
26	बिजनौर	..	21.70
27	धामपुर	0.04	16.54

1	2	3	4
		रु०	रु०
28	नेवली	..	8.00
29	बहेड़ी	1.06	73.80
30	बरेली	9.07	77.85
31	पीलीभीत	..	78.36
32	मझोला	0.10	24.28
33	रोजा	..	61.47
34	हरदोई	..	5.73
35	हरगांव	..	73.15
36	महोली	..	57.37
37	बिसवां	..	32.49
38	गोला	..	61.80
39	ऐरा	..	16.01
40	पलियां कलां	..	102.28
41	बढ़वल	55.76	12.58
42	बाराबंकी	27.25	15.35
43	मोतीनगर	0.03	1.63
44	शाहगंज	0.39	10.14
45	बभनान	..	3.93
46	नवाबगंज	..	12.45
47	तुलसीपुर	..	30.63
48	बलरामपुर	..	0.03
49	जरवल रोड	39.60	11.07
50	खलीलाबाद	0.07	..
51	मुंडेरवा	..	5.00
52	बस्ती	..	..
53	वाल्टरगंज	..	0.06
54	सरदारनगर	0.12	..
55	पिपराइच	11.24	15.34
56	घुघली	..	16.72
57	सिसवाबाजार	1.81	20.41
58	आनन्दनगर	0.05	8.34
59	फराबपुर	..	0.03
60	बैतालपुर	..	5.00
61	गौरीबाजार	..	..
62	देवरिया	..	3.30
63	छितौनी	..	15.57
64	खड्डा	9.82	13.48
65	कैप्टेनगंज	..	..
66	लक्ष्मीगंज	..	7.72
67	रामकोला (पी)	..	0.13
68	रामकोला (के)	8.78	9.22
69	पड़रौना	0.04	7.45

1	2				3	4
					रु०	रु०
70	कठकुइयां	..	..	..	..	..
71	सेवरही	..	..	..	..	2.37
72	भटनी	..	..	..	0.68	1.65
73	ओराई	..	..	..	0.10	5.81
74	किच्छा	..	..	..	..	35.78
				कुल योग	.. 266.16	2134.28

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 1001 पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय–कर) (संशोधन) विधेयक, 1974

उत्तर प्रदेश में दो विशेष निधियों के जिनमें से एक, गन्ना अनुसंधान एवं विकास के लिये, और दूसरी, शक्कर फैक्टरियों के पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना के लिये हो, सृजन की व्यवस्था करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1––(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे, राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें ।

उ०प्र० अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 3 का संशोधन

2––उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में––

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में, शब्द "सड़सठ पैसे" के स्थान पर शब्द "एक रुपया" रख दिये जायें ।

(ख) उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:––

"(10) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन लगाये गये कर में उस सीमा तक जहां तक कर की दर प्रति क्विंटल गन्ने पर साठ पैसे से अधिक हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार राज्य की संहत निधि में से उतनी धनराशि निकालेगी जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किये गये कर के आगम के बराबर हो, और उसे नीचे लिखी दो पृथक् निधियों के खातों में निम्नलिखित अनुपातों में जमा करेगी, अर्थात्:––

(क) एक तिहाई भाग, 'उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि' के खाते में, और

(ख) दो तिहाई भाग, 'उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्टरियां पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि' के खाते में ।

(11) उपधारा (10) में अभिदिष्ट दोनों पृथक् निधियों में उस उपधारा में निर्दिष्ट आगमों का जमा किया जाना राज्य की संहत निधि पर भारित व्यय होगा ।

(12) उक्त दोनों निधियों का अनुरक्षण तथा प्रवर्तन एक समिति में निहित होगा जो उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:––

(क) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शक्कर उद्योग विभाग, जो समिति का संयोजक होगा;

(ख) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड;

(ग) गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

(13) उपधारा (12) में अभिदिष्ट समिति एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा, और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा, और उसे निधियों की धनराशि को ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विनिहित करने की और विधियों के उपरोक्त नामों में क्रमशः इंगित उद्देश्यों पर व्यय करने की शक्ति होगी ।"

उद्देश्य और कारण

देश के शक्कर उत्पादन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, किन्तु कुछ अन्य राज्यों की अपेक्षा इस राज्य में प्रति हेक्टर गन्ने का उत्पादन कम है। अतएव, यह आवश्यक है कि गन्ने के अनुसंधान एवं सुधार, और उसकी अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाय। यह भी आवश्यक है कि राज्य की शक्कर फैक्टरियों का आधुनिकीकरण किया जाय। कुछ शक्कर फैक्टरियों के संयंत्र बेकार हो गये हैं तथा उनके आधुनिकीकरण के निमित्त पर्याप्त निधि की आवश्यकता है। नई शक्कर मिलों को स्थापित करने के लिये भी संसाधनों की आवश्यकता है। अतएव, राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि गन्ने पर क्रय-कर बढ़ा कर एक रुपया प्रति क्विंटल कर दिया जाय और यह व्यवस्था की जाय कि क्रय-कर की दर में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप जो धन वसूल होगा उसे दो विशेष निधियों में, अर्थात् (1) शक्कर अनुसंधान एवं विकास निधि, और (2) शक्कर फैक्टरियां पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि में, अन्तरित कर दिया जायगा।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
भारी उद्योग मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 105 डिएसभा—(1475)—1975-835।